तार : 'फूडकोर्प'
Gram : 'FOODCORP'
फैक्स नं: एचएफसीआई एन डी
Fax No.: HFCI ND
00911123413241
00911143527433

भारतीय खाद्य निगम
FOOD CORPORATION OF INDIA

मुख्यालय
नई दिल्ली
Head Quarters
New Delhi

16-20, बाराखम्बा लेन, नई दिल्ली-110001, दूरभाष: 011- 43527697, 43527698
16-20,BARAKHAMBA LANE, NEW DELHI - 110001, PHONE: 011-43527697, 43527698

<u>नोट:-किसी भी विवाद की स्थिति मे एमटीएफ़ का अंग्रेज़ी अनुवाद ही मान्य होगा।</u>

हिन्दी अनुभाग का ई-मेल **gmhindi.fci@nic.in**
हिन्दी अनुभाग का दूरभाष न. 43527321/43527340

सं. ई-4(41)/पीईजी-08/स्टोरेज.IV/2010/वॉल.III दिनांकः 14.09.2011

परिपत्र

विषयः भारतीय खाद्य निगम के लिए गोदामों के निर्माण हेतु योजना के संबंध में संशोधित मॉडल टेंडर फॉर्म- निजी उद्यमियों के माध्यम से भंडारण आवश्यकता- गैर-डीसीपी राज्यों के लिए 2008 (पीईजी-2008)।

संदर्भः 1. इस कार्यालय का दिनांक 25.02.2011 का समसंख्यक परिपत्र- गैर-डीसीपी राज्यों के लिए एमटीएफ।

2. इस कार्यालय का दिनांक 23/25.05.2011 का पत्र सं.ई-4(41)/पीईजी-08/स्टोज.IV/पार्ट- एमटीएफ में galvalume शीट रूफिंग के विनिर्देशन का समावेश।

3. इस कार्यालय का दिनांक 23.06.2011 के पत्र सं. ई-4(41)/पीईजी-08/स्टोज.IV/2010/वॉल.III- धारा12.3(क), (ख) तथा (ग) में संशोधन।

कृपया उपरोक्त विषय के संदर्भ में, एतद्वारा संलग्न संशोधित मॉडल टेंडर फॉर्म (एमटीएफ) का संदर्भ लें जिसमें सक्षम प्राधिकारी द्वारा समय-समय पर अनुमोदित सभी संशोधन शामिल हैं, जोकि निम्नानुसार हैः-

1. "धारा 12.3 (क), (ख) तथा (ग)"- 2 (दो) अथवा दो से अधिक स्वीकार्य प्रस्तावों को "3 (तीन) अथवा इससे अधिक स्वीकार्य प्रस्तावों से प्रतिस्थापित किया गया है।
2. "धारा 8.....ईएमडी की वापिसी/बैंक गारंटी जारी करना"- भूमि दस्तावेजों को प्रस्तुत करने के लिए समय-सीमा को 90 दिनों से बढ़ाकर 120 दिन कर दिया गया है। तदनुसार, संपूर्ण एमटीएफ में अवधि को प्रतिस्थापित (रिप्लेस) कर दिया है।
3. "धारा 6-बयाना राशि" तथा "तकनीकी बोली"- स्टेट स्पेसिफिक लैंड रेवन्यू कोड में रेवन्यू रिकॉर्ड के लिए इस्तेमाल की गई नामावली के अनुसार स्टेट्स को खसरा नं./किला नं. से प्रतिस्थापित किया जाए।

4. "अनुसूची-I, पैरा-B (7)-रूफिंग"- galvalume शीट रूफिंग के विनिर्देशन को पैरा 7.2 में वैकल्पी रूप में समावेशन किया गया है।

यह एमटीएफ पूर्व में इस कार्यालय के दिनांक 25.02.2011 के परिपत्र के माध्यम से परिचालित एमटीएफ का स्थान लेगा।

यह परिपत्र अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

(अनूप कुमार)

महाप्रबंधक (एस एण्ड सी)

वितरणः

1. **संयुक्त सचिव (भंडारण), उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, कृषि भवन, नई दिल्ली।**
2. **सचिव (खाद्य), ...सरकार(सूची के अनुसार)**
3. **कार्यकारी निदेशक (अंचल), भारतीय खाद्य निगम, आंचलिक कार्यालय, नोएडा/चेन्नई/ कोलकाता/मुम्बई/गुवाहाटी**
4. **प्रबन्ध निदेशक, केन्द्रीय भंडारण निगम, 4/1 सिरी इंस्टीट्यूशनल एरिया, हॉज़खास, नई दिल्ली**
5. **प्रबन्ध निदेशक, आंध्र प्रदेश स्टेट वेयरहाउसिंग कॉर्पोरेशन, प्रधान कार्यालय, वेयरहाउसिंग सदन, गांधी भवन के पीछे, नामापल्ली, हैदराबाद-1**
6. **प्रबन्ध निदेशक, बिहार स्टेट वेयरहाउसिंग कार्पोरेशन, बी ब्लॉक, मौर्या लोक काम्पलेक्स (प्रथम तल), डाक बंगला रोड, पटना- 800001**
7. **प्रबंध निदेशक, गुजरात स्टेट वेयरहाउसिंग कॉर्पोरेशन, "आनंद" शांति सदन एस्टेट, दीनभाई टॉवर, मिर्जापुर रोड, अहमदाबाद - 380001**
8. **प्रबंध निदेशक, हरियाणा स्टेट वेयरहाउसिंग कॉर्पोरेशन , बे नं. 15-18, सेक्टर-2, पंचकूला - 134101**
9. **प्रबंध निदेशक, कर्नाटक स्टेट वेयरहाउसिंग कॉर्पोरेशन, नं.-43, प्रीमरोज रोड, बंगलौर - 560025**
10. **प्रबंध निदेशक, महाराष्ट्र स्टेट वेयरहाउसिंग कॉर्पोरेशन, 583/बी, गुलटेकड़ी मार्किट यार्ड, पुणे - 411037**
11. **प्रबंध निदेशक, पंजाब स्टेट वेयरहाउसिंग कॉर्पोरेशन, 74-75, बैंक स्केयर, सेक्टर-17-बी, चंडीगढ़ - 17**
12. **प्रबंध निदेशक, राजस्थान स्टेट वेयरहाउसिंग कॉर्पोरेशन, भवानी सिंह रोड, जयपुर - 302015**
13. **प्रबंध निदेशक, उत्तर प्रदेश स्टेट वेयरहाउसिंग कॉर्पोरेशन, भंद्रान भवन, न्यू हैदराबाद, पी.बी. नं. 196ए लखनऊ - 226007**
14. **प्रबंध निदेशक, पनग्रेन, सेक्टर-17, चंडीगढ़ (पंजाब)**
15. **प्रबंध निदेशक, हैफेड, कारपोरेट आफिस, सेक्टर-5, पंचकूला (हरियाणा)**
16. **प्रबंध निदेशक, हिमफैड, सर्कु हिमफैड, सर्कुर रोड, विक्ट्री टान्नल,शिमला - 171003**

17. महाप्रबन्धक (क्षेत्र), भारतीय खाद्य निगम, क्षेत्रीय कार्यालय ..... सचिव (खाद्य), राज्य सरकार को एम.टी.एफ. को स्पष्ट करने के अनुरोध सहित (सूची के अनुसार)।

(समाचार पत्रों में प्रकाशन हेतु)
राज्य भंडारण निगम

सं. _____ दिनांक_____

निविदा आमंत्रण सूचना

एस.डब्ल्यू.सी. द्वारा संचालित एवं पर्यवेक्षित किए जाने वाले भारतीय खाद्य निगम की भंडारण आवश्यकता के लिए गोदामों के निर्माण हेतु दो-बोली प्रणाली के तहत सीलबंद निविदाएं आमंत्रित की जाती है जो कि निम्न उल्लेखित स्थानों के खाद्यान्न भंडारण के लिए _____ मीट्रिक टन क्षमता हेतु 10 वर्षों के गारंटीशुदा लीज पर निर्मित, स्वयं के एवं ऑपरेट/लीज पर है-

क्र.सं.	भारतीय खाद्य निगम के जिला	राजस्व जिला	स्थान	क्षमता मीट्रिक टन में

किसी एक अथवा अन्य स्थानों के लिए उपरोक्त दर्शायी गयी क्षमताओं के लिए पर्याप्त ऑफर प्राप्त न होने के मामले में छोटी क्षमता के लिए ऑफर पर भी विचार किया जाएगा जो इस शर्त के अधीन है कि न्यूनतम गोदाम का आकार मैदानी क्षेत्रों के लिए 5000 मी.टन तथा पहाड़ी क्षेत्र के लिए 1670 मी.टन होना चाहिए।

निविदा दस्तावेज एवं अन्य विवरण दिनांक-_____से_____ तक _____ (रु. 5000/- लागू कर) के लिए _____ वेबसाइट पर उपलब्ध है और _____ कार्यालय में भी बिक्री के लिए उपलब्ध है। निर्धारित पद्धति से पूर्ण सीलबंद निविदाएं दिनांक_____ की 3.30 (अपराह्न) तक इस कार्यालय मे स्वीकार किए जाएंगें तथा उसी तिथि को 4.30 (अपराह्न) को खोले जाएंगे। टेंडर खोलने के बाद को समझौता (Negotiations) नहीं किया जाएगा।

एस.डब्ल्यू.सी. के पास बिना कारण बताए किसी भी समय टेंडर इंक्वायरी के रद्द का अधिकार सुरक्षित है एस.डब्ल्यू.सी. इच्छुक निविदादाता द्वारा खर्च किसी भी लागत के लिए जिम्मेदार नहीं होगा।

कृते प्रबन्ध निदेशक
एस.डब्ल्यू.सी.

राज्य भंडारण निगम

सं. _____ दिनांक_____

विस्तृत निविदा आमंत्रण सूचना

एस.डब्ल्यू.सी. द्वारा संचालित एवं पर्यवेक्षित किए जाने वाले डी सी पी भंडार के राज्यों की भंडारण आवश्यकता के लिए गोदामों के निर्माण हेतु उन निविदाकारों से दो-बोली प्रणाली के तहत निविदाएं आमंत्रित है जिनकी गोदामों के निर्माण अनुमति 13 वर्ष की न्यूनतम अवधि के लिए अपनी स्वामित्व वाली भूमि है अथवा अपनी अधिग्रहण वाली भूमि है अथवा निविदा स्वीकृति की तारीख से 120 दिनों के अंदर स्वामित्व के माध्यम से / रजिस्टर्ड लीज भूमि के अर्जन हेतु इच्छुक हैः-

क्र.सं.	भारतीय खाद्य निगम के जिला	राजस्व जिला	स्थान	क्षमता मीट्रिक टन में

1. किसी एक अथवा अन्य स्थानों के लिए उपरोक्त दर्शायी गयी क्षमताओं के लिए पर्याप्त ऑफर प्राप्त न होने के मामले में छोटी क्षमता के लिए ऑफर पर भी विचार किया जाएगा जो इस शर्त के अधीन है कि न्यूनतम गोदाम का आकार मैदानी क्षेत्रों के लिए 5000 मी.टन तथा पहाड़ी क्षेत्र के लिए 1670 मी.टन होना चाहिए।
2. निविदाकार प्रत्येक स्थान एवं साइट के लिए अलग-अलग निविदा प्रस्तुत करेंगे।
3. सभी कार्यदिवसों में दिनाँक _____ से _____ तक पूर्वाह्न 11.00 बजे से अपराह्न 4.00 बजे के बीच सी.डब्ल्यू.सी. के पक्ष में _____डिमांड ड्राफ्ट या नकद राशि की अदायगी की जा सकती है एवं इसे वेबसाइट से भी डाउनलोड किया जा सकता है। जहाँ फॉर्म वेबसाइट से डाउनलोड किया गया है निविदाकार तकनीकी बोली के साथ अलग से रु. 5000 + कर का डिमांड ड्राफ्ट जो कि निविदा दस्तावेजों की लागत है, को सीलबंद लिफाफे में जिस पर "वेबसाइट के माध्यम से" लिखा जाएगा, प्रस्तुत करेगा।

4. विधिवत पूर्ण सीलबंद निविदा निर्धारित प्रणाली से _____ (एस.डब्ल्यू.सी.) को जमा की जाएगी, उपरोक्त वर्णित पते पर 3.30 अपराह्न से _____ तक तथा निविदाकारों या उनके प्राधिकृत प्रतिनिधियों जो वहां उपस्थित रहना चाहते हैं, की उपस्थिति में तकनीकी बोली उसी दिन सायं 4.30 बजे खोली जाएगी।
5. स्वीकृति हेतु ऑफर तकनीकी बोली खुलने की तिथि को 90 दिनों तक खुले रहेंगे। तथापि, एस.डब्ल्यू.सी. को अधिकार है इस अवधि को अपने विवेकाधिकार से अतिरिक्त 45 दिनों तक बढ़ा दे, जो निविदाकर्ता पर बाध्यकारी होगा। इसके पश्चात् यह अवधि पार्टियों की पारस्परिक सहमति (mutual consent) से आगे

बढ़ाया जा सकता है। निर्धारित अवधि के लिए कोई निविदाकर्ता ऑफर खुला नहीं रखता तो सरसरी तौर पर निरस्त कर दिया जाएगा र उसकी EMD जब्त (forfeited) हो जाएगी।

6. यदि निविदा खुलने की तिथि को अवकाश घोषित होता है तो निविदा अगले कार्य दिवस पर उसी समय और स्थान पर खोली जाएगी।
7. निविदा रु._____ लाख (रुपये _____ लाख केवल) की EMD के साथ में किसी भी अनुसूचित बैंक से जारी एस.डब्ल्यू.सी. _____ को देय डिमांड ड्राफ्ट के रूप में होना चाहिए। यदि निविदाकर्ता की अपनी भूमि या पजींकृत पट्टे पर अधिकार नहीं है परंतु स्वीकृति-पत्र की तिथि से 120 दिनों के अंदर स्वामित्व/ पंजीकृत पट्टे के माध्यम से अधिग्रहण करना चाहता है, तो उपरोक्त EMD के साथ किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक द्वारा जारी रु._____ की बैंक गारंटी के रूप में अनुपूरक गारंटी भी प्रस्तुत करे तथा जो निविदा को जमा करने की तिथि से छः माह की न्यूनतम अवधि हेतु वैध हो।
8. निर्धारित बयाना राशि (Earnest Money) (अनुपूरक गारंटी सहित, यदि लागू हो तो) के बिना निविदाएं सरसरी तौर पर निरस्त हो जाएगी।
9. निविदा के अंतिम चरण पर असफल निविदाकर्ता को बयाना राशि (अनुपूरक गारंटी सहित, यदि लागू है तो) लौटा दी जाएगी तथा कुछ भी ब्याज नहीं मिलेगा।

10. विहित टेंडर फर्म में विहित रूप में नहीं भरे गए अपूर्ण आवेदन। आवेदनों को या देर/विलंब से जमा किए जाने वाले आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा और वे पूर्णतः खारिज कर दिए जाएंगे।

11. ऐसे टेंडर निरस्त कर दिए जाएंगे और बयाना राशि जब्त कर दी जाएगी।

12. निविदा में विनिर्दिष्ट भूमि के स्थान को किसी भी स्तर पर परिवर्तित नहीं किया जा सकता है।

13. जमा किए गए आवेदन विहित टेंडर फार्म में उल्लेखित सभी निबंधनों एवं शर्तों के साथ यहां उल्लेखित निबंधनों एवं शर्तों द्वारा संचालित होंगे।

(i) टेंडर के पश्चात् किसी प्रकार का मोलभाव नहीं होगा।

14. तकनीकी बोली के लिए टेंडर की मूल प्रति दस्तावेजों सहित एक सील लिफाफे में जिस पर **'क' तकनीकी बोली** लिखा हो उसमें रखी जाएगी और मूल्य बोली को एक दूसरे लिफाफे जिस पर **'ख' मूल्य बोली** अंकित हो, उसमें रखी जाएगी। उसके बाद दोनों बोलियां एक अलग लिफाफे में जिस पर **"निजी उद्यम गोदामों के लिए 2008.....(स्थान)",** लिखा होगा, रखी जाएंगी। विधिवत् रूप से सीलबंब निविदा दस्तावेज को निविदा दस्तावेज में दर्शाए पते पर भेजा जाए।

15. एस.डब्ल्यू.सी के पास अधिकार रक्षत है कि वह किसी भी टेंडर अथवा टेंडरों से भी को बिना कोई कारण बताए। नोटिस दिए खारिज कर सकता है और न्यूनतम टेंडर को स्वीकृत करने हेतु बाध्य नहीं है। एस.डब्ल्यू.सी. के पास यह भी अधिकार रक्षित है कि वह कोई कारण बताए बिना किसी भी स्तर पर टेंडर आमंत्रण खारिज कर सकता है और एस.डब्ल्यू.सी. इच्छुक टेंडरदातों द्वारा वहन की गई किसी भी प्रकार की लागत अथवा परिणाम के लिए उत्तरदायी नहीं होगा।

कृते प्रबंध निदेशक
(एस.डब्ल्यू.सी)

टेंडर आमंत्रण और टेंडरदाता को निर्देश

से

_____

_____

_____

प्रबंध निदेशक

एस.डब्ल्यू.सी.

(एस.डब्ल्यू.सी. कार्यालय का पूर्ण पता व दूरभाष नं.)

विषय:- विभिन्न स्थानों के खाद्यान्न भंडारण के लिए _____ मीट्रिक टन क्षमता हेतु 10 वर्षों के गारंटीशुदा लीज पर निर्मित, स्वयं के एवं ऑपरेट/लीज हेतु एस.डब्ल्यू.सी. द्वारा संचालित और पर्यवेक्षित किए जाने वाले डीसीपी राज्य के स्टॉक की भंडारण आवश्यकताओं हेतु गोदामों के निर्माण के लिए टेंडर ।

सेवा में

_____

_____

_____

महोदय,

प्रबंध निदेशक एस.डब्ल्यू.सी., दो बीड पद्धति के अंतर्गत गोदाम निर्माण की अनुमति सहित कम से कम 13 वर्षों के लिए जमीन है अथवा एस.डब्ल्यू.सी. द्वारा संचालित और पर्यवेक्षित किए जाने वाले डीसीपी राज्य के स्टॉक की भंडारण आवश्यकताओं हेतु गोदामों के निर्माण के लिए टेंडर स्वीकृति के 120 दिनों के अदर स्वयं की /रजिस्टर्ड लीज़ की ज़मीन ग्रहण करने के इच्छुक हैं जो विभिन्न स्थानों के खाद्यान्न भंडारण के लिए _____ मीट्रिक टन क्षमता हेतु 10 वर्षों के गारंटीशुदा लीज पर निर्मित, स्वयं के एवं ऑपरेट/लीज हेतु आप टेंडर प्रक्रिया के अनुसार भाग लेंगे के इच्छुक हैं तो आप विहित टेंडर फार्म में विहित रूप से और पूर्णतः सील बंद तरीके से इस कार्यालय में जमा करें।

1. **पत्राचार हेतु पता** -

एस.डब्ल्यू.सी. से पत्राचार हेतु पता ऊपर दिया गया है।

इस टेंडर के सभी प्रयोजनों के लिए टेंडरदाता का पता टेंडर में दर्शाया गया पता होगा जिस पर टेंडरकर्ता को सभी पत्राचार किए जाएंगे, जब तक कि पावती देय रजिस्टर्ड डाक के माध्यम से एक अलग पत्र द्वारा टेंडरदाता पते में परिवर्तन को अधिसूचित न कर दे।

टेंडरदाता उपरोक्त तरीके से पते में परिवर्तन को अधिसूचना में किसी प्रकार की चूक के परिणाम के लिए पूर्णतः स्वयं उत्तरदायी होगा।

2. संविदा का उद्देश्यः-

टेंडरदाता इस टेंडर की अनुसूची में संलग्नित रेलवे साइडिंग (यदि प्रयोज्य है तो) वे ब्रिज आदि के साथ अभियांत्रिकी और अन्य गोदाम विनिर्दिष्टियों के अनुसार निश्चित स्थान पर अपनी ज़मीन पर तय समय सीमा में स्वयं खर्चे पर गोदाम का निर्माण करेगा और एस.डब्ल्यू.सी. को गोदाम लीज़ पर देगा तथा जब भी अवश्यक हो या उस प्राधिकृत प्रतिनिधि या किसी अधिकारी एस.डब्ल्यू.सी. द्वारा समय-समय पर दिए गए निर्देशों के अनुसार संरक्षण, प्रबंधन और सुरक्षा (यदि प्रयोज्य हो तो) सहित इस टेंडर दस्तावेज में दी गई से प्रदान करेगा। एस.डब्ल्यू.सी. को अधिकार है कि वह अपने प्राधिकृत अधिकारों के माध्यम से समय-समय पर साइट का निरीक्षण करवा सकता है और टेंडरदाता किसी भी सुधारात्मक कार्रवाई के लिए दिए गए निर्देशों का पालन करेंगे। टेंडरदाता एवडब्ल्यूसी के स्थानीय प्राधिकृत प्रतिनिधि या उसके पक्ष में कार्यरत किसी अधिकारी द्वारा दिए गए उन अतिरिक्त तात्कालिक और आकस्मिक कार्यों, सेवाओं और संचालनों को पूर्ण करेंगे जो कि इस संविदा के निबंधनों एवं शर्तों में उल्लेखित नहीं है।

3. टेंडर तैयार करनाः-

(क) टेंडरदाता टेंडर आमंत्रण पत्र कोई पृष्ठ(ठों) को अलग किए बिना/पूर्ण रूप से विधिवत भरा गया टेंडर फार्म जिसके प्रत्येक पष्ठ पर हस्ताक्षर हों और अनुलग्नकों सहित टेंडर दस्तावेज जमा करेंगे। टेंडरदाता का टेंडर निरस्त किया जा सकता है यदि वह टेंडर दस्तावेजों में अपेक्षित कोई दस्तावेज अथवा सूचना उपलब्ध नहीं कराता।

(ख) यदि टेंडर फार्म में किसी स्थान पर जगह अपर्याप्त लगती है तो अतिरिक्त पृष्ठ पर क्रम सं. टेंडर सं. तथा टेंडरदाता के पूर्ण हस्ताक्षर होने चाहिए। ऐसे मामले में अतिरिक्त पृष्ठों का संदर्भ टेंडर फार्म में दिया जाना चाहिए।

4. टेंडर पर हस्ताक्षरः

(क) यदि टेंडर में पूर्ण जानकारी नहीं दी जाती है अथवा टेंडर में वांछित विवरण पूर्णतः नहीं भरे गए है तो टेंडर को नजर अंदाज किया जा सकता है। सीलबंद टेंडर सभी प्रकार से पूर्ण रूप से विधिवत भरा हो और टेंडर के प्रत्येक प्रष्ठ पर टेंडरदाता या उसके प्राधिकृत प्रतिनिधि द्वारा हस्ताक्षरित हो तथा उस पर कंपनी की व्यक्तिगत स्टैम्प/सील लगी हो।

(ख) टेंडर अथवा टेंडर से संबंधित दस्तावेज का हस्ताक्षरकर्ता यह स्पष्ट रूप से उल्लेख करे की वह किस पद से टेंडर पर हस्ताक्षर कर रहा है;

1. क्या वह फर्म अथवा उसके एटोरनी के 'एकल स्वामी' के रूप में हस्ताक्षर कर रहा है।
2. क्या वह फर्म अथवा टेंडर से संबंधित सभी मामलों में सभी साझीदारों को जोड़ने वाली विधिवत बनाई गई एटोरनी के 'साझीदार' के रूप में हस्ताक्षर कर रहा है।
3. भारतीय कंपनी अधिनियम और भारतीय साझेदारी अधिनियम/लिमिटेड दायित्व साझेदारी के अधीन कंपनियों व साझेदारी फर्मों के मामले में हस्ताक्षरकर्ता को उल्लेख करना होगा कि वह किस पद जैसे सचिव, प्रबंधक, साझेदार आदि से या एटोरनी के अंतर्गत उन्हें दिए कर्त्तव्य से हस्ताक्षर कर रहे हैं और उसे यह अधिकार प्रदत्त करने वाले दस्तावेज की प्रति उपलब्ध करानी होगी।

उपरोक्त के संबंध में टेंडरदाता को टेंडर के साथ निम्न दस्तावेज जमा करने होंगेः-

(i) साझेदारी/न्यास शपथनामाः- अरजिस्टर्ड साझेदारी फर्म टेंडर प्रक्रिया में भाग ले सकती है। यद्यपि अरजिस्टर्ड साझेदारी फर्म को टेंडर दिया गया है तो यह साझेदारी फर्म का स्वयं का दायित्व होगा कि वह उसे विधित रजिस्टर्ड कराए और उसे संविदा किए जाने के 30 दिनों में जमा कराए।

(ii) निजी/प्राइवेट लिमिटेड कंपनीः- गठन का प्रमाण-पत्र/संगठन का ज्ञापन, संगठन की धारांए, निदेशकों और प्रमुख शेयर होल्डर्स का नाम और पता, संब्सिडरीज एवं होल्डिंग कं. का विवरण।

5. (1) कौन आवेदन कर सकते हैः (पात्र टेंडरदाता)

(i) व्यक्तिगत रूप से –

कोई व्यक्ति भूमि स्वामी के रूप में आवेदन कर रहा है जिसके पास स्वंय के नाम में भूमि है।

(ii) साझेदारी फर्मः-

यदि टेंडरदाता रजिस्टर्ड/अरजिस्टर्ड साझेदारी फर्म हो तो, भूमि उस फर्म के नाम अथवा उसके एक या अधिक साझीदारों के नाम होनी चाहिए और साझेदारी शपथनामे में भूमि की फर्म के साझेदारों के बीच हिस्सेदारी दर्शायी गई हो।

(iii) कंपनी अथवा न्यासः-

निजी अथवा प्राइवेट लिमिटेड कंपनी या रजिस्टर्ड न्यास के मामले में भूमि केवल कंपनी या न्यास के नाम होनी चाहिए। भूमि का निदेशक अथवा शेयर होल्डरों या ट्रस्टियों या यहभागी कंपनी अथवा प्रमोटर आदि के नाम होने पर विचारणीय नहीं होगी।

(iv) वह व्यक्ति जिसके पास भूमि नहीं है अथवा भूमि रजिस्टर्ड लीज पर भी नहीं है परंतु स्वामीतत्व अथवा रजिस्टर्ड लीज के द्वारा स्वीकृति पत्र की विधि से 120 दिनों के अंदर भूमि ग्रहण करने का इच्छुक है, वह वांछित प्रतिभूति राशि के साथ बैंक गारंटी के रूप में रु.100.00 प्रति मी.ट. की दर से अतिरिक्त गारंटी जमा करा कर आवेदन कर सकता है।

(v) गोदाम के निर्माण की अनुमति के साथ 13 वर्ष की न्यूनतम अवधि के लिए पंजीकृत पट्टे के तहत भूमि धारण करने वाला व्यक्ति भी आवेदन कर सकता है।

(vi) यदि निविदाकर्ता रखरखाव और रखरखाव के साथ पट्टे के लिए आवेदन कर रहा है तो निविदाकर्ता को अनाज के संरक्षण और रखरखाव का दो वर्ष का अनुभव होना चाहिए और उसके पास दो साल के कर्मियों को भर्ती करने का विकल्प भी है जो खाद्यान्नों के संरक्षण और रखरखाव का तकनीकी अनुभव है।

6. धरोहर राशि(EMD):

तकनीकी बिड के साथ रु. 20.00(रुपये बीस मात्र) प्रति मैट्रिक टन की दर से रुपये ... . लाख(रुपये . . . . . लाख मात्र) की धरोहर राशि संलग्न की जाएगी। ऐसे मामले में जहां निविदादाता के पास अपनी कोई जमीन नहीं है या पंजीकृत लीज के आधार पर उसका स्वामित्व है, लेकिन स्वीकृति पत्र की तिथि से 120 दिनों के अन्दर उस भूमि के स्वामित्व/पंजीकृत लीज की प्रक्रिया में है उसे उपरोक्त धरोहर राशि के अलावा रुपये 100/-(रुपये एक सौ मात्र) प्रति मैट्रिक टन की दर से अनुपूरक गारंटी जोकि राष्ट्रीयकृत बैंक से जारी बैंक गारंटी

जोकि टेंडर जमा करने की तिथि से न्यूनतम 6 माह के लिए हो, जमा करनी होगी। फिर भी निविदादाता के लिए यह पूर्णतया आवश्यक होगा कि अधिग्रहीत की जाने वाली प्रस्तावित भूमि को विशिष्टता तथा स्पष्टता के साथ प्रस्तुत करना होगा{खसरा/किला नंबर(राज्य के द्वारा विनिर्दिष्ट आंकिक विवरण तथा रेवेन्यू कोड) को तकनीकी मूल्यांकन शीट में अंकित करना होगा}। धरोहर राशि राज्य वेयर हाउसिंग कारपोरेशन(CWC) के पक्ष में केवल. . . . . पर भुगतान योग्य अनुसूचित बैंक द्वारा जारी डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से जमा करना होगा। निविदाकर्ता ने यदि विहित प्रपत्र के साथ धरोहर राशि/बैंक गारंटी(यदि लागू है) नहीं संलग्न की है अथवा जिस मात्रा के लिए आवेदन किया है उसके लिए विहित धन राशि से कम की धरोहर राशि संलग्न की हैं तो सरसरी तौर पर उसके आवेदन को निरस्त कर दिया जाएगा। निविदाकर्ता द्वारा प्रस्तुत बैंक गारंटी तथा समय-समय पर इसके विस्तार संबंधी जांच जारीकर्ता बैंक से स्वयं राज्य वेयरहाउसिंग स्वतंत्र रूप से करेगा।

7. <u>धरोहर राशि की जब्ती/बैंक गारंटी का नकदीकरणः</u>

निविदादार्ता द्वारा निविदा जमा करने के बाद यदि वह अपने प्रस्ताव से पीछे हटता है और/या शर्तों एवं उपबंधों जोकि उसे नियमानुसार उपलब्ध करा दिया गया था, में किसी प्रकार की फेर बदल करता है तो धरोहर राशि की जब्ती कर ली जाएगी। ऐसी स्थिति में भी धरोहर राशि की जब्ती कर ली जाएगी जबकि निर्धारित तिथि के अन्दर वह आवश्यक सुरक्षा धनराशि जमा कराने में असमर्थ रहता है तथा यह कार्य बिना किसी दुर्भावना के नियमानुसार किया जाएगा। यदि कोई निविदादार्ता वैकल्पिक निविदा प्रस्तुत करता है तब भी धरोहर राशि जब्त कर ली जाएगी। वैकल्पिक गारंटी के रूप में जमा बैंक गारंटी के मामले में बैंक गारंटी एवं धरोहर राशि जब्त कर ली जाएगी।

8. <u>धरोहर राशि की वापसी/बैंक गारंटी की निर्मुक्तिः</u>

टेंडरों पर निर्णय के पश्चात धरोहर राशि(यदि अनुपूरक गारंटी लागू है) को सभी असफल निविदादाताओं को लौटा दी जाएगी। यदि निविदादाता तकनीकी आकलन के दौरान अयोग्य पाया जाता है तो धरोहर राशि(यदि अनुपूरक गारंटी लागू है) एमटीएफ के धारा 7 और 26 के अधीन तकनीकी अर्हता के 15 दिनों के अंदर लौटा दी जाएगी।

सफल निविदादाताओं की धरोहर राशि ऐसी स्थिति में वापस कर दी जाएगी जबकि वह टेंडर प्रपत्रों में वर्णित प्रतिभूति राशि जमा कर देगा। किसी भी स्थिति में धरोहर राशि पर ब्याज देय नहीं होगा। यदि निविदाकर्ता चाहेगा तो धरोहर राशि को प्रतिभूति राशि में समायोजित कर दिया जाएगा। सफल निविदादाता द्वारा प्रस्तुत अनुपूरक गारंटी के रूप में जमा बैंक गारंटी ऐसी स्थिति में वापस कर दी जाएगी जबकि वह 120 दिनों के अन्दर स्वामित्व अथवा पंजीकृत लीज से संबंधित आवश्यक कागजात सबूत के तौर पर प्रस्तुत करेगा अन्यथा बैंक गारंटी राज्य वेयरहाउसिंग कारपोरेशन द्वारा नकदीकृत कर ली जाएगी।

इस टेंडर का अभिव्यक्त सिद्धान्त है कि कोई मुकदमेंबाजी, किसी न्यायालय द्वारा स्थगन/व्यादेश, भूमि के स्वामी/विक्रेता की गैर निष्पादनता, तीसरे पक्ष द्वारा निर्मित हित अथवा अन्य कोई कारण जिसके चलते निविदादाता द्वारा 120 दिनों के अन्दर भूमि विशेष के अधिग्रहण तथा संबंधित प्रपत्रों को जमा न करने पर विमुक्त कर दिया जाएगा।

9. <u>प्रतिभूति जमाः</u>

।) समय पर निर्माण के लिए सफल निविदादाता को रेलवे साइडिंग के इतर स्थलों पर रुपये 40/- प्रति मैट्रिक टन तथा रेलवे साइडिंग के निकट स्थलों पर गोदाम निर्माण के लिए रुपये 60/- प्रति मैट्रिक टन की दर से

स्वीकृति तिथि के 15 दिनों के भीतर किसी अनुसूचित बैंक के द्वारा जारी डिमान्ड ड्राफ्ट के माध्यम से राज्य वेयरहाउसिंग कारपोरेशन के कार्यालय में प्रतिभूति राशि जमा करनी होगी जोकि राज्य वेयरहाउसिंग कारपोरेशन के पक्ष में . . . . . पर भुगतान योग्य होगा। यदि निविदादाता विहित समय के अन्दर प्रतिभूति राशि जमा नहीं करता है तो विधिक रूप में उसके ठेके को निरस्त कर दिया जाएगा तथा धरोहर राशि की जब्ती एवं जमा बैंक गारंटी(यदि कोई है) को नकदीकृत कर लिया जाएगा। प्रतिभूति जमा गोदाम निर्माण सम्पन्न होने के बाद राज्य वेयरहाउसिंग कारपोरेशन द्वारा अधिग्रहीत करने तक राज्य वेयरहाउसिंग कारपोरेशन के पास लंबित रहेगा। निविदादाता द्वारा जमा धरोहर राशि को उसके निवेदन पर प्रतिभूति जमा में समायोजित किया जा सकता है। यदि निविदादाता द्वारा प्रस्तुत विहित भूमि पर गोदाम का निर्माण पूरा नहीं किया जाता तथा विहित समय पर नहीं सौंपा जाता अथवा ठेके के किसी प्रावधान का उल्लंघन किया जाता है तो प्रतिभूति जमा को जब्त कर लिया जाएगा तथा प्रस्तुत गारंटी को निरस्त कर दिया जाएगा। राज्य वेयरहाउसिंग कारपोरेशन के पास यह अधिकार होगा कि वह प्रतिभूति जमा को जब्त कर ले, तथा 10 वर्षीय गारंटी के तहत कब्जा लेने से इंकार कर दे। गोदाम के निर्माण के बाद राज्य वेयरहाउसिंग कारपोरेशन द्वारा गोदाम को हस्तगत करने के पश्चात निविदादाता द्वारा जमा की गयी धरोहर राशि बिना किसी ब्याज के वापस कर दी जाएगी तथा निविदादाता द्वारा जमा प्रतिभूति राशि से कोई धनराशि(प्राप्त करने योग्य) के समायोजन के पश्चात राज्य वेयरहाउसिंग कारपोरेशन द्वारा “कोई मांग नहीं” का प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा।

II. सफल निविदादाता लीज के निष्पादन के समय किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक द्वारा जारी अप्रतिसंहरणीय बैंक गारंटी के रूप में पूरी भंडारण क्षमता के गोदाम(मों) के लिए “लीज ” करार @ रु. 50 /एमटी के तहत तथा “लीज ”करार @ रु. 100/एमटी के तहत अनुबंधात्मक दायित्वों को पूरा करने के लिए कार्य-निष्पादन गारंटी भी भेजेंगे अन्यथा इस प्रकार के अन्य उपचारों को प्रभावित किए बिना अनुबंध टर्मिनेट करने के उत्तरदायी होंगे जैसाकि अनुबंध/लॉ की शर्तों के तहत एसडब्ल्यूसी को उपलब्ध हो सकता है। बैंक गांरटी निर्धारित प्रपत्र में होगी । बैंक गारंटी लीज अवधि समाप्त होने के बाद छह महीने के लिए वैध रहेगी।

यह निविदादाता की जिम्मेदारी होगी कि वह यह सुनश्चित करें कि बैंक गारंटी लीज अवधि और उसके बाद छह माह के दौरान निरंतर रहें।

एसडब्ल्यूसी, निविदादाता द्वारा अग्रेषितानुसार समय समय पर बैंक गारंटी और इसके विस्तार की सत्यता की जारीकर्ता बैंक से स्वतंत्र रूप से सत्यापित करेंगे।

यदि निविदादाता अनुबंध के तहत अपने दायित्वों का अवलोकन अथवा निष्पादन करने में विफल रहते हैं या लापरवाही बरतते हैं तो निविदादाता द्वारा भेजी गई प्रतिभूति जमा राशि को पूरे स्वविवेक से या तो संपूर्ण या उसके भाग को जब्त करने हेतु निगम विधिक अधिकार का प्रयोग करेगा या किसी भी क्षति, हानि, चार्जेस, व्यय या लागतों के दावे वाले किसी राशि के देय के किसी भाग को या संतुष्टि पर जो निगम द्वारा वहन या व्यय की जाए।

यदि परियोजना को निर्धारित समय पर निष्पादित नहीं किया जाता है तो प्रतिभूति जमा राशि जब्त कर ली जाती है और गोदाम किराये पर लेने के लिए दी गई गारंटी निरस्त कर दी जाएगी इसके अतिरिक्त इस प्रकार के उपचारों को करने के लिए अनुबंध / लॉ की शर्तों के तहत एसडब्ल्यूसी के पास उपलब्ध हो सकते है।

उपरोक्तानुसार कार्य-निष्पादन गारंटी, देय होने पर निविदादाता को बिना ब्याज के तथा सेवाओं के संतोषजनक निष्पादन तथा लीज करार शर्तों के तहत निविदादाताओं द्वारा दायित्वों के पूरा होने पर ऐसी वसूलियों के अधीन एसडब्ल्यूसी द्वारा क्लीयर **"बेबाकी प्रमाण-पत्र "** प्रस्तुत करने पर लौटा दी जाएगी जो निविदादाताओं के प्रति एसडब्ल्यूसी का दावा करने के लिए जरूरी है।

प्रतिभूति जमा से कटौती की के लिए एसडब्ल्यूसी का निर्णय अंतिम होगा तथा ठेकेदार पर बाध्यकारी होगा और इस संबंध में जो भी हो किसी भी अकाउंट पर कोई आपत्ति नहीं होगी ।

10. निविदा की सुपर्दगीः

तकनीकी बोली के तहत निविदा के अनुसार अपेक्षित निविदा की मूल प्रति, एनआईटी और दस्तावेजों को **"A" – तकनीकी बोली** अंकित किए गए सीलबंद लिफाफे में रखे जाए तथा **मूल्य बोली** को **"A" – मूल्य बोली** अंकित किए गए किसी अन्य में रखा जाए। तत्पश्चात् दोनों बोलियां को " **..... (स्थान) के लिए निजी उद्यमी गोदाम – 2008 के लिए निविदा**" अंकित किए गए किसी अन्य कवर लिफाफे में रखा जाए। यदि निविदा वेबसाइट से डाउनलोड की जाती है तो निविदादाता तकनीकी बोली के साथ निविदा दस्तावेजों की लागत के लिए रु...../- का अलग से डी.डी. संलग्न करें और लिफाफे पर **"वेबसाइट के माध्यम से"** भी अंकित करें । लिफाफों के अंदर वाले और उसके बाहर वाले लिफाफे पर भी सील लगाई जाए तथा उस पर निविदा संख्या और तिथि, निविदादाता का नाम, फोन नंबर, ई-मेल, फैक्स आदि भी दर्शाया जाएं। बाहर वाले लिफाफे पर एसडब्ल्यूसी कार्यालय का नाम लिखा होना चाहिए। एसडब्ल्यूसी को, किसी भी निविदा जो उपरोक्त अनुदेशों का अनुपालन करने में विफल रहती है उसे निरस्त करने का अधिकार सुरक्षित है। सभी बाहर जाने वाली(outstation)निविदाएं पंजीकृत डाक / स्पीड पोस्ट से भेजी जाए ताकि निश्चित तिथि / समय के अंदर निर्दिष्ट कार्यालय को पहुंच सकें। एसडब्ल्यूसी किसी भी डाक की विलंबता के लिए जिम्मेदार नहीं होगा और इस संबंध में जो भी हो किसी भी आधार पर किसी भी दलील पर विचार नहीं किया जाएगा।

नियत समय और तिथि से ऊपर प्राप्त किसी भी निविदा पर विचार नहीं किया जाएगा।

11. अवधि जिसके लिए प्रस्ताव खुला रहेगाः

(i) यह प्रस्ताव तकनीकी बोली खोलने की तिथि से 90 दिनों की स्वीकृति के लिए खुला रहेगा । तथापि, एसडब्ल्यूसी के पास स्वविवेक से 45 दिनों तक इस अवधि को बढ़ाने का अधिकार सुरक्षित है और यह वृद्धि निविदादाता पर बाध्यकारी होगी । इसके बाद इस अवधि को आपसी सहमति के आधार पर पार्टियों द्वारा आगे बढ़ाया जाएगा।

(ii) कोई भी निविदादाता निर्धारित अवधि के लिए प्रस्ताव को खुला नहीं रखता, उसे सरसरी तौर पर निरस्त कर दिया जाएगा और उसकी ई.एम.डी. जब्त कर ली जाएगी।

12. निविदा खोलनाः

1. निविदादाताओं को निविदा में विनिर्दिष्टानुसार समय और तिथि पर निविदा खोलते समय उपस्थित होने वाले व्यक्ति या प्रतिनिधि को प्राधिकृत करने की स्वतंत्रता है । यदि निविदा बिड खुली रहने की निर्धारित तारीख को यदि अवकाश घोषित कर दिया जाता है तो निविदा को अवकाश के बाद अगले कार्य दिवस तक खुला माना जाएगा परंतु निविदा खोलने के लिए समय/स्थान में कोई परिवर्तन नहीं होगा ।

2. तकनीकी बोली के मूल्यांकन (जब भी जरूरी हो प्रस्तावित भूमि के एसडब्ल्यूसी/एफसीआई द्वारा स्थान के निरीक्षण के बाद), केवल तकनीकी रूप से योग्य निविदादाताओं की मूल्य बोलियां ही तकनीकी रूप से योग्य सभी निविदादाताओं या उनके प्राधिकृत प्रतिनिधियों, जो बाद में अधिसूचित किए जाने वाली तिथि और समय पर मूल्य बोलियां खोलते समय उपस्थित रहने के इच्छुक है, की उपस्थिति में खोली जाएगी । जिन पार्टियों की मूल्य बोलियां योग्य नहीं होती वे तकनीकी बोली में नहीं खोली जाएगी।

3.

(क) 25,000 एमटी या उससे अधिक क्षमता वाले गोदाम के लिए, यदि तकनीकी बोली के बाद, स्थान की पूरी क्षमता के लिए 3(तीन) या उससे ज्यादा स्वीकार्य प्रस्ताव रेलवे साइडिंग गोदाम के लिए प्राप्त होते है और अन्य सभी मापदंड जैसेकि भूमि का आकार और स्वरूप, सड़क संबद्धता, जल-निकास, मंडियों आदि से दूरी संतोषजनक पाई जाती हैं तो इस तरह की निविदाएं ही मूल्य बोली खोलने के लिए पात्र समझी जाएंगी।

(ख) कम क्षमता वाले अन्य गोदामों के लिए, यदि पूरी क्षमता के लिए 3(तीन) या उससे ज्यादा स्वीकार्य प्रस्ताव फुल रैक रेलवे साइडिंग गुड्स शेड के 8 कि.मी. के अंदर गोदाम के लिए प्राप्त होते है और अन्य सभी मापदंड संतोषजनक पाए जाते हैं तो इस तरह की निविदाएं ही मूल्य बोली खोलने के लिए पात्र समझी जाएंगी।

(ग) यदि उपरोक्त दो मामलों में 3(तीन) निविदाओं से कम प्राप्त होती है तो एसडब्लयूसी नॉन-रेलवे साइडिंग / मौजूदा रेलवे साइडिंग (जैसा भी मामला हो) से 8 कि.मी. से अधिक पर विचार कर सकता है तथा तदनुसार वे पार्टियां जिन्हें प्रथम भाग खोलने के बाद अन्यथा तकनीकी रूप योग्य पाया जाता है उनकी मूल्य बोलियां खोली जा सकती है।

4. इस प्रस्ताव पर इस शर्त के अधीन निम्नलिखित ढ़ग से विचार किया जाएगा कि क्षमताओं की न्यूनतम सब-डिवीजन मैदानी क्षेत्रों के मामले में 5000 एमटी तथा पर्वतीय क्षेत्रों के मामले में 1,670 एमटी होगे।

क) 100% की वांछित क्षमता के लिए सभी प्रस्ताव खोले जाएंगे बशर्ते कि ऐसे वैध प्रस्ताव कम से कम 03 (तीन) हो।

ख) यदि प्रस्ताव (क) के अनुसार प्राप्त नहीं होते है तो 50% की वांछित क्षमता या उससे अधिक के लिए प्रस्ताव खोले जाएंगे बशर्ते कि ऐसे वैध प्रस्ताव कम से कम 04 (चार) हो।

ग) यदि प्रस्ताव (क) या (ख) के अनुसार प्राप्त नहीं होते है तो 25% की वांछित क्षमता या उससे अधिक के लिए प्रस्ताव खोले जाएंगे बशर्ते कि ऐसे वैध प्रस्ताव कम से कम 06 (छह) हो।

घ) यदि प्रस्ताव (क), (ख) या (ग) के अनुसार प्राप्त नहीं होते है तो 10% की वांछित क्षमता या उससे अधिक के लिए प्रस्ताव खोले जाएंगे बशर्ते कि ऐसे वैध प्रस्ताव कम से कम 11 (ग्यारह) हो।

ङ) यदि प्रस्ताव (क), (ख), (ग) या (घ) के अनुसार प्राप्त नहीं होते है तो मैदानी क्षेत्रों के मामले में 5000 एमटी या उससे अधिक और पहाड़ी क्षेत्रों में 1,670 एमटी या उससे अधिक के भी वैध प्रस्ताव खोले जाएंगे।

यदि सबसे निम्नतम निविदादाता संपूर्ण क्षमता को कवर नहीं करता है तो L-1 दर पर काउंटर प्रस्ताव L-2, L-3 से चढ़ते क्रम में और इसी तरह प्रस्ताव दिए जाएंगे जिससे कि एक विशेष लोकेशन पर क्षमता को पूरा किया जा सके।

5. एसडब्ल्यूसी को कोई भी या सभी निविदाएं जो भी हो बिना कोई कारण बताएं/नोटिस दिए स्वीकार करने या निरस्त करने का अधिकार सुरक्षित है और निम्नतम निविदा स्वीकार करने के लिए बाध्य नहीं है और बिना कोई कारण बताएं किसी भी स्तर पर निविदा इंक्वायरी को स्क्रैप करने का अधिकार सुरक्षित है और एसडब्ल्यूसी इच्छुक निविदादाता द्वारा वहन की गई किसी भी लागत और परिणामों के लिए उत्तरदायी नहीं होगा ।

13. स्वीकृति

निविदा को अंतिम रूप देने के बाद एसडब्लयूसी कार्यालय ज्ञापन / फैक्स /ई-मेल / स्पीडपोस्ट आदि के माध्यम से निविदा की स्वीकृति के संबंध में संसूचित करेगा। जोकि निष्कर्षतः पार्टियों के बीच एक बाध्यकारी अनुबंध होगा और निविदादाता को ऐसे स्वीकृत पत्र पर कार्रवाई करनी होगी।

सामान्य शर्तें तथा निबंधन

14. परिभाषाएं०:-

I. **एसडब्ल्यूसी का तात्पर्य राज्य भंडारण निगम**

II. **एफसीआई का तात्पर्य भारतीय खाद्य निगम**

III. **प्रबंध निदेशक का तात्पर्य राज्य भंडारण निगम के प्रबंध निदेशक**

IV. **सेवाओं का तात्पर्य ऐसे अनुषंगी कार्य, अतिरिक्त और आकस्मिक कर्तव्य, सेवाएं व ऑपरेशन सहित परिशिष्ट - । में प्रगणित कार्य की किसी भी मद का कार्य-निष्पादन जिसे राज्य भंडारण निगम के स्थानीय प्राधिकृत प्रतिनिधि या उनकी ओर से उसके द्वारा किसी भी प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा उल्लेख किया जाए।**

V. **स्टॉक का तात्पर्य गोदामों में रखा खाद्यान्न**

VI. **निगम का तात्पर्य राज्य भंडारण निगम**

VII. **वेयरहाउस मैनेजर का तात्पर्य विशेष गोदाम इकाई/इकाइयों का प्रमुख**
तकनीकी सहायक का तात्पर्य राज्य भंडारण निगम के तकनीकी सहायक

VIII. तकनीकी सहायक का मतलब एसडब्ल्यूसी के तकनीकी सहायक है।

IX. निवेशक का अर्थ है गोदामों का मालिक। निवेशक था उसके द्वारा विधिवत रूप से प्राधिकृत कोई व्यक्ति या प्रतिनिधि।

X. अनुबध का अर्थ है तथा निविदा आमंत्रण सूचना, निविदा दस्तावेज, उसकी अनुसूची, अनुलग्नक, परिशिष्ट औन निविदा की स्वीकृति शामिल है।

XI. लेखन में हस्ताक्षर या मुहर लगी, जैसा भी मामला हो हस्तलिखित, टंकित, लिथोग्राफ्ड, साइक्लोस्टाइल्ड, फिटोग्राफ्ड या मुद्रित चाहे संपूर्ण हो या आंशिक सामग्री शामिल है।

XII. लिए गए पुल्लिंग शब्दों के आशय में स्त्रीलिंग भी शामिल है ओर व्यक्तियों शब्द से आशय में कोई कंपनी या एसोसिएशन या व्यक्तियों का निकाय चाहे निमंत्रित हो या नहीं, सम्मिलित हैं।

XIII. शर्तें और अभिव्यक्ति जो यहां परिभाषित नहीं हैं तो इनका अर्थ भारतीय अनुबंध अधिनियम, 1872 या सर्व-साधारण परिभाषा अधिनियम, 1897 जैसा भी मामला हो में निर्दिष्ट अर्थ से लिया जाए।

15. निविदाकर्ता को इंजीनियरिंग और अन्य गोदाम विनिर्देशों के अनुसार निविदा में निविदाकर्ता द्वारा वर्णित भूमि पर इस करार की अनुसूचि के अनुसार स्वयं की लागत से गोदाम का निर्माण पूरा करना होगा।

16. गोदाम के निर्माण के लिए निविदा में निविदाकर्ता द्वारा प्रस्तावित भूमि का विशिष्ट स्थान किसी भी परिस्थिति में निविदा जमा करने के बाद किसी भी स्तर पर नहीं बदला जा सकता है, जिसके कारण निविदाकर्ता द्वारा प्रस्तुत ईएमडी, पूरक गारंटी, सुरक्षा जमा और प्रदर्शन गारंटी एसपीसी के लिए उपलब्ध किसी भी अन्य कानूनी उपचार के प्रतिकूल प्रभाव के बिना मामले को जब्त कर लिया जा सकता है / जब्त किया जा सकता है।

17. रेलवे साइडिंग गोदामों में रेलवे साइडिंग (यदि लागू हो) में सिग्नलिंग, साइडिंग आदि के विद्युतीकरण जैसे सहायकों के निष्पादन, उसकी लागत पर निविदाकर्ता द्वारा पूरा किया जाना है। इसी प्रकार, रेलवे साइडिंग के साथ-साथ गैर-रेलवे सिडिंग को पूरा करने में किए गए सभी अन्य कार्यों को निविदाकार द्वारा उनकी लागत पर पूरा किया जाना है। शहरी या ग्रामीण स्थानीय निकायों, रेलवे, भारत सरकार और राज्य सरकार से सभी जरूरी अनुमतियों के मामले में भी निविदाकार खुद को निर्माण / पूरा करने के लिए और गोदामों को चलाने के लिए और साथ ही प्राप्त कर सकते हैं। 18 रेलवे साइडिंग गोदामों के मामले में रेलवे साइडिंग के निष्पादन और उपयोग के लिए।

18 निर्माण कार्य के लिए आवश्यक निर्माण सामग्री पहले से ही निविदादाता द्वारा खरीद लिया जाएगा । एसडब्ल्यूसी किसी भी सामग्री के अनुपलब्धता के कारण कार्य में हुई देरी के संबंध में ऐसे किसी भी निवेदन पर विचार नहीं करेगा ।

19 अनुसूची में विनिर्दिष्ट के अनुसार 4.60 मी.टन का मानक पिटलेस इलैक्ट्रानिक लॉरी वे-ब्रिज स्थापित किया जाएगा ।

20. रेलवे साइडिंग के गोदामों के मामले में, यदि मुख्य गोदाम पूर्ण रूप से तैयार है तथा (नियम तिथि से पहले रेलवे साइडिंग के गोदामों के सिवाय) सभी प्रकार से भंडारण योग्य है तथा एसडब्ल्यूसी को ऐसे गोदामों की आवश्यकता है, एसडब्ल्यूसी उन्हें सहमत किराये के 60% की दर से उन्हें किराये पर ले सकता है जब तक कि रेलवे साइडिंग वास्तविक उपयोगिता आधार पर पूरा होता है। इस अवधिक को गारंटी अवधि के रूप में नहीं गिना जाएगा । एसडब्ल्यूसी द्वारा गोदाम पर कब्जा करने के लिए निर्धारित समय में रेलवे साइडिंग के पूरा न होने को आधार नहीं बनाया जाएगा तथा ऐसे मामले में 10 वर्ष की गांरटी के तहत गोदामों को किराये पर नहीं लिया जाएगा। गोदामों की गारंटी अवधि उस तिथि से शुरू होगी जब रेलवे साइडिंग के पूरा होने के पश्चात् गोदाम भंडारण के लिए उपलब्ध हो जाएंगे। यह क्लाज एसडब्ल्यूसी निविदादाता को उपरोक्त आधार पर सभी मामलों के पूरा होने से पहले ऐसे गोदामों को किराये पर लेने की कोई गारंटी नहीं प्रदान करता है।

21. निविदादाता स्थानों का विवरण, सर्वे नम्बर, स्वामित्व का प्रमाण / भूमि की लीज का पंजीकरण / भूमि के मूल दस्तावेज को तकनीकी बोली में प्रस्तुत करेगा, जिसे निविदादाता भूमि के स्थान के बारे में तैयार ढांचा एवं अर्जित क्षेत्र जो चारदीवारी एकड़ सहित गैर-भार प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करेगा । उचित निविदादाता के चयन के लिएएक मुख्य मानदंड का उद्देश्य है कि भूमि की उपयुक्तता का उचित विवरण उपलब्ध करना होगा । जिस भूमि पर गोदाम के निर्माण का प्रस्ताव है वहां गोदाम के प्रस्तावित ले आउट प्लान के ऊपर से एचटी लाइन (11 K V and above) नहीं होगी। एसडब्ल्यू सी को यह अधिकार है कि वह समय-समय पर साइट का निरीक्षण करेगा तथा निविदाकार किसी भी तरह की अपेक्षित सुधारात्मक कार्रवाई के संबंध में उनके निर्देशों का क्रियान्वयन करेगा। बाद में, क्षमता घटाने के किसी प्रस्ताव पर विचार नहीं किया जाएगा। भूमि, बाढ़ अथवा वॉटर लॉगिंग की संभावना वाले क्षेत्र। जोन/में नहीं होनी चाहिए। प्रदूषणकारी उद्योग इस भूमि के समीप नहीं होने चाहिए तथा सहायक कार्यों के लिए पर्याप्त भूमि उपलब्ध होनी चाहिए। गोदामों, तौल पुल, कार्यालय, बिल्डिंग, सड़क तथा रेलवे साइडिंग (रेलवे साइडिंग वाले गोदामों के मामले में) तथा अन्य सुविधाओं के लिए प्रस्तावित विस्तृत ले-आउट प्लान भी तकनीकी बोली में दी हुई होनी चाहिए।

22. सेवाओं सहित लीज के मामले में,

(क) निविदाकारों को खाद्यान्नों के परीक्षण तथा रख-रखाव के लिए दो वर्ष का तकनीकी अनुभव होना चाहिए अथवा ऐसे व्यक्ति की सेवाएं किराए पर लेनी चाहिए जिसे दो वर्ष का संबद्ध तकनीकी अनुभव हो।

(ख) निविदाकार, लीज एग्रीमेंट में अनुबंधित अनुसार दैनिक आधार पर डाटा एंट्री सुनिश्चित करने के लिए कम्प्यूटर सहित डाटा एन्ट्री ऑपरेटर की मुहैया कराएगा।

23. जहां कहीं भी, 25000 मी.टन तथा उससे अधिक क्षमता की आवश्यकता हो, वहां निजी रेलवे साइडिंग के लिए वरीयता प्रावधान होना चाहिए। सभी मामलों में, जहां रेलवे साइडिंग आएगी, वहां गोदाम फुल रैक वाले रेलवे गुड शेड से 8 किमी के घेरे के अन्दर होना चाहिए।

24. रजिस्टर्ड लीज भूमि के मामले में, लीज की न्यूनतम अवधि निविदा प्रस्तुत करने की तारीख से 13 वर्षों तक होगी तथा निविदाकार को रजिस्टर्ड लीज भूमि पर गोदामों का निर्माण करने की अनुमति होनी चाहिए।

25. मूल्य बोली में दर, आंकड़ों तथा शब्दों में रुपये प्रति क्विंटल/प्रति माह में उद्धृत होनी चाहिए। शब्दों तथा अंकों में उद्धृत दरें अंकों में उद्धृत दरों से भिन्न हो तो, उनमें से जो कम होगा वह स्वीकार्य होगा।

26. शर्तबन्ध निविदाओं की स्वीकृति पर विचार नहीं किया जाएगा।

27. जो निविदा किसी भी शर्त को पूरा नहीं करती या किसी भी प्रकार से अपूर्ण हैं, उन्हें सरसरी तौर पर निरस्त कर दिया जाता है।

28. यदि निविदादाता द्वारा प्रस्तुत किए गए दस्तावेज क्रम से नहीं है तो एसडब्ल्यूसी किसी भी स्तर पर किसी भी प्रस्ताव को निरस्त करने के लिए स्वतंत्र हैं।

29. एसडब्ल्यूसी द्वारा प्राधिकृत अधिकारियों के माध्यम से निविदा की वित्तीय और तकनीकी विशेषज्ञता का मूल्यांकन किया जाएगा।

30. जिन स्थानों पर फुल रैक रेलवे गुड्स शेड है, वहां साइट वरीयतः गुड्स शेड के 8 कि.मी. के अंदर हो। जहां कोई फुल रैक रेलवे गुड्स शेड मौजूद है वहां साइट वरीयतः ऐसे स्थानों की म्यूनिसिपल सीमा के 8 कि.मी. के दायरे तथा ऐसे लोकेशन की जीरो प्वाइंट से 15 कि.मी. के अंदर होना चाहिए। जहां भी 25000 एमटी क्षमता और उससे अधिक की आवश्यकता हो, तो निजी रेलवे साइडिंग के लिए प्रावधान वरीयतः हो । भूमि वरीतयतः नेशनल या स्टेट हाइवे पर होनी चाहिए। गोदाम को जाने वाली सड़क ट्रक परिचालन हेतु किसी भी प्रकार के ट्रैफिक प्रतिबंध से मुक्त होनी चाहिए । फुल रैक रेलवे गुड्स शेड से 8 कि.मी. की परिधि के अंदर दूरी मापदंड रेलवे साइडिंग सहित गोदामों पर लागू नहीं होते है।

31. सफल निविदादाता स्वीकृति की तिथि से 15 दिनों के अंदर प्रतिभूति जमा करेगे और उन्हें नॉन रेलवे साइडिंग गोदाम के मामले में निर्माण कार्य की समाप्ति के एक वर्ष और स्वीकृति पत्र की तिथि से रेलवे साइडिंग गोदामों के मामले में दो वर्ष की अधिकतम अवधि मिलेगी । गोदामों के निर्माण की अवधि में वे निविदादाता जो भूमि

की मांग करते है, उन्हें दस्तावेज प्रस्तुत करने के लिए प्रदत्त 120 दिनों का समय शामिल होगा। अधिकतम एक वर्ष तक के निर्माण कार्य में विलंब की, गारंटी अवधि में तदनुरूप कटौती सहित लिखित में उनके अनुरोध पर निविदादाताओं को अनुमति दी जाएगी । एसडब्ल्यूसी , संतुष्ट होने के उपरांत गोदाम इस अनुबंध के विनिर्देशनों तथा शर्तों के अनुसार पूरा किया गया है और हर प्रकार से गोदाम का कार्य पूरा होने के एक माह के अंदर गोदाम अधिग्रहित किया जाएगा तथा गांरटी अवधि गोदाम के अधिग्रहित होने की तिथि से शुरू होगी । यदि गोदाम बढ़ी हुई नियम अवधि में पूरा होता है तो एसडब्ल्यूसी को 3 माह पूरा होने के अंदर गोदाम अधिग्रहित होने की तिथि चुनने का स्वनिर्णय होगा। एक वर्ष से अधिक विलंब के मामले में, करार निरस्त हो जाता है।

32. एसडब्ल्यूसी के पास यदि गोदाम का निर्माण कार्य हर प्रकार से पूरा नहीं होता तथा विस्तारित तिथि तक एसडब्ल्यूसी को लीज आउट नहीं किया जाता है तो दस वर्ष के लिए किराये की गांरटी पर उक्त गोदामों को अधिग्रहण करने से इन्कार करने का अधिकार सुरक्षित है और उस स्थिति में निविदादाता की प्रतिभूति जमा राशि भी जब्त की जाती है।

33. निविदादाता अनुबंध की अवधि के दौरान एसडब्ल्यूसी की पूर्वानुमति के बिना साझेदार/डायरेक्टर में बदलाव सहित फर्म के संविधान में कोई परिवर्तन नहीं करेगा अन्यथा आगे से अनुबंध के समाप्त होने का उत्तरदायी होगा, यह ठेकेदार द्वारा अनुबंध का उल्लंघन समझा जाएगा।

34. निविदादाता गोदाम को कब्जे में लेने के दिन एसडब्ल्यूसी के साथ लीज डीड करेगा।

35. लीज डीड के पंजीकरण , स्टैम्प डयूटी आदि का व्यय पट्टेदार द्वारा वहन किया जाएगा।

36 लीज के मामले में ही गारंटी अवधि के दौरान किराये में कोई वृद्धि नहीं होगी । तथापि, यदि गोदाम को सेवाओं सहित लीज के लिए किराये पर लिया जाता है तो किराये में वार्षिक वृद्धि डब्ल्यूपीआई में प्रतिशतता वृद्धि का 33% रहेगी।

37 एसडब्लूसी को दस वर्ष की गारंटी अवधि के बाद गोदाम रिलीज करने की स्वतंत्रता है।

38. निविदादाता द्वारा परिसर में आवश्यक सहायक सुविधाएं जैसेकि सड़कें बिछाना, तौलपुल का संस्थापन, कार्यालय भवन का निर्माण, साइट की चारदीवारी करना, नालियां, शौचालयों, बिजली की आपूर्ति करना, पानी आदि उपलब्ध कराया जाए। निविदा में उल्लिखित किराये में प्रति क्विंटल प्रति माह सभी सहायक व्यवस्थाएं शामिल होगी। कार्यालय भवन, तौलपुल, सड़कों, रेलवे साइडिंग आदि के लिए किसी किराये का भुगतान नहीं किया जाएगा। निविदादाता भूमि के चार्जेस वहन करेगा जिसे रेलवे द्वारा गोदाम परिसर के अंदर उठान प्वाइंट से रेलवे साइडिंग के अंतिम छोर तक तथा रेलवे साइडिंग के रखरखाव चार्जेस भी वार्षिक आधार पर लेवी की जा रही है।

39 निविदादाता को परिसंपत्ति उपयोग का अधिकतम उपयोग करने हेतु कोल्ड स्टोरेज, फूड प्रोसेसिंग आदि के लिए सुविधाओं सहित अन्य कृषि जिंसों के भंडारण हेतु उसी परिसर में अतिरिक्त भंडारण क्षमता विकसित करने दिया जाएगा। फिर भी यह सुनिश्चित किया जाए कि एसडब्ल्यूसी के भंडारण और ऑपरेशन पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता है। तथापि, गारंटी योजना के तहत ऐसी अतिरिक्त सुविधा शामिल नहीं की जाएगी तथा निविदादाता द्वारा ऐसी अतिरिक्त भंडारण सुविधाएं किराये पर देने के लिए सामान्य मार्किट चैनलों का इस्तेमाल किया जाए। ऐसी अतिरिक्त भंडारण सुविधाएं विकसित करने से पहले, निविदादाता एसडब्ल्यूसी से अनुमति लेगा ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि ऐसी गतिविधियों से एसडब्ल्यूसी के आपरेशन्स और स्टाक्स की सुरक्षा बाधित नहीं होगी । तथापि, अतिरिक्त स्थान का इस्तेमाल किसी भी जिंस के भंडारण के लिए न किया जाए जो खाद्यान्न को प्रभावित कर सकता है।

40 कॉम्पलेक्स के निर्माण और रनिंग के लिए संबंधित ग्रामीण और / अथवा शहरी स्थानीय निकायों, राज्य और केंद्र सरकार के विभागों /संबंधित प्राधिकारियों से आवश्यक अनुमोदन /लाइसेंस प्राप्त करने के लिए अपनी लागत पर निविदादाता की जिम्मेदारी होगी तथा इस संबंध में चाहे जो हो, एसडब्ल्यूसी की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी ।

41 रेलवे साइडिंग के गोदामों के मामले में, निविदादाता एक संभाव्यता (feasibility)रिपोर्ट संलग्न करें जो रेलवे से आदर्शतः हो । तथापि, यदि यह संभव हो तो निविदादाता मौजूदा रेलवे लाइन के प्लाट से जोड़ने के लिए बिछाई जाने वाली रेलों के सुझावित ले-आउट सहित मौजूदा रेलवे लाइन का विस्तृत स्केच प्लान और गोदाम की प्रस्तावित लोकेशन दर्शाते हुए अपनी संभाव्यता रिपोर्ट प्रस्तुत करें । इस रिपोर्ट में भी भूमि के आनरशिप का विवरण देना चाहिए । जिसके माध्यम से बिछाई जाने वाली प्रस्तावित रेलवे लाइन पारित की जाएगी तथा भूमि प्राप्त करने के लिए कैसे प्रस्ताव किया जाता है। एसडब्ल्यूसी को इसके आकलन के आधार पर इस संभाव्यता रिपोर्ट को स्वीकार करने या निरस्त करने की स्वतंत्रता होगी । तथापि, यदि बाद में, भारतीय रेलवे किसी आधार पर मौजूदा रेलवे लाइन से प्रस्तावित भूमि /साइट से जुड़ने से मना करता है तो निविदादाता की बयाना जमा राशि व प्रतिभूति जमा राशि तथ्य के होते हुए भी जब्त कर ली जाएगी भले ही एसडब्ल्यूसी ने निविदादाता द्वारा प्रस्तुत संभाव्यता रिपोर्ट स्वीकार की थी।

42 निविदादाता को प्रस्तावित ढांचे का स्थान दर्शाते हुए निविदा के साथ विस्तृत साइट और ले आउट प्लान संलग्न करना होगा और उसमें मुख्य सड़क से संपर्क भी दर्शाना होगा ।

43 निविदा प्रस्तुत करने के बाद एसडब्ल्यूसी द्वारा साइट के परिवर्तन पर सहमति नहीं होगी ।

44. जहां प्रस्तावित भूमि पर गोदाम का निर्माण किया जाना है वह अच्छी टाइटलयुक्त अभारग्रस्त होगी और किसी भी विवाद से मुक्त होगी अन्यथा एसडब्ल्यूसी को लीज पर वेयरहाउस को अधिग्रहित नहीं करने का अधिकार होगा।

45. निविदादाता, एसडब्ल्यूसी की अनुमति से संविदा प्रदान करने के बाद गोदामों के निर्माण के लिए अग्रिम प्राप्त करने हेतु उक्त संपत्ति का मोर्टगेज(mortgage) / चार्ज कर सकता है।

46 एसडब्ल्यूसी द्वारा नियुक्त किए ठेकेदार द्वारा संभाल और परिवहन कार्य पूरा किया जाएगा । एसडब्ल्यूसी को अपने स्टॉफ के माध्यम और एकमात्र स्वविवेक पर अन्य किसी पार्टी / एजेंसी के माध्यम से खाद्यान्न का स्टॉक संरक्षित ओर बनाए रखने का अधिकार है और इस संबंध में निविदादाता कोई दावा अथवा आपत्ति करेगा ।

47 यदि गोदाम अथवा उसका कोई भाग भंडारण योग्य नहीं होता है तो एसडब्ल्यूसी निविदादाता को उसके लिए अधिसूचित करेगा तथा निविदादाता परिसर को भंडारण योग्य बनाने हेतु अपनी लागत पर तत्काल आवश्यक मरम्मत करवाएगा । गोदाम या उसके ऐसे भाग के संबंध में कोई किराया देय नहीं है जिसे अवधि के लिए भंडारण योग्य नहीं किया गया था, वह परिसर भंडारण योग्य नहीं रह गया है। यदि निविदादाता उपरोक्तानुसार मरम्मत पूरी करने हेतु विलंब करता है अथवा विफल होता है तो एसडब्ल्यूसी काम करवाने के लिए स्वतंत्र होगा तथा व्यय को देय किराये / प्रतिभूति जमा से काट लिया जाएगा । यदि गोदाम स्थायी रूप से भंडारण योग्य नहीं होने पर प्रदान किया जाता है तो एसडब्ल्यूसी को करार समाप्त करने तथा बिना किसी देयता / मुआवजे के गारंटी / करार से बाहर निकलने का अधिकार सुरक्षित है ।

48 निवेशक को अपनी लागत पर करार अवधि के दौरान कई बार विधिवत रूप से बीमाकृत शेड्यूल्ड संपत्ति रखनी चाहिए हालांकि सेवाओं सहित करार के मामले में निवेशक को अपनी लागत पर करार अवधि के दौरान कई बार विधिवत बीमाकृत शड्यूल्ड संपत्ति और स्टॉक रखना होगा।

49 इस निविदा दस्तावेज के निविदा आमंत्रण सूचना, सभी अनुसूचियां, परिशिष्ट और अनुलग्नकों तथा इनमें निहित शर्तों को पढ़ा जाए तथा इसे निविदा का भागस्वरूप समझा जाए और जो निविदादाता पर बाध्यकारी होगी ।

50. क्षतिपूर्ति (indemnity)

निविदादाता को सभी देयताओं, क्षतियों, हानियों, व्ययों, मौतों, मांगों , कार्यों, कार्यवाहियों, लागतों, करों, डयूटीज, चार्जेस, लेवियों के प्रति इस लीज की शर्तों के दौरान व बाद तथा इस लीज के कार्यों, चूकों , लापरवाही, बाधा, शर्तों के उल्लंघन के परिणामस्वरूप उत्पन्न अथवा किसी प्रकार से संबद्ध चाहे जो हो किसी भी प्रकार के दावे और निविदादाता या इसके प्रबंधन, कर्मचारियों, स्टॉफ, एजेंटों, संबद्धों द्वारा प्रत्यक्ष अथवा अत्यक्ष रूप से दायित्वों का निर्वहन करने में विफल होता है, तो एसडब्लयूसी और इसके कर्मचारियों का बीमा,सुरक्षा और हानिरहित करना होगा।

51. प्रगति रिपोर्ट

(1) निविदादाता अनुबंध की प्रगति तथा गोदाम के निर्माण से संबंधित ऐसी रिपोर्टें समय-समय पर प्रदान करेगा जब भी एसडब्ल्यूसी द्वारा आवश्यकता हो।

(2) अनुबंध के तहत इस प्रकार की रिपोर्टें प्रस्तुत करने, प्राप्त करने तथा स्वीकार करने पर एसडब्ल्यूसी के अधिकार प्रभावित नहीं होंगे, न ही एसडब्लयूसी के प्रति विबंधन(estoppel) के रूप में ऑपरेट होंगे इस तथ्य के कारण से कि उसने ऐसी रिपोर्ट में निहित किसी भी सूचना पर ध्यान नहीं दिया है अथवा आपत्ति नहीं की है।

52. गोदामों का निरीक्षणः- गोदाम के निर्माण कार्य का निरीक्षण निम्न अधिकारियों की समिति द्वारा किया जाएगाः-

i) क्षेत्र के महाप्रबंधक, भारतीय खाद्य निगम द्वारा सिविल इंजीनियर नामित किया जाए

ii) नोडल एजेंसी के एमडी द्वारा सिविल इंजीनियर नामित किया जाए । नोडल एजेंसी राज्य पीडब्ल्यूडी अथवा किसी अन्य इंजीनियरिंग विभाग से सिविल इंजीनियर भी नामित कर सकती है। तथापि, ऐसे नामित सिविल इंजीनियर का रैंक पीडब्ल्यूडी के एक्जीक्यूटीव इंजीनियर से कम नहीं होगा।

iii) कार्य का निरीक्षण निम्नलिखित स्तरों पर किया जाएगाः-

क) ले-आउट स्तर

ख) लिंटेल लेवल

ग) रूफिंग लेवल

घ) कंपीलीशन लेवल

निविदादाता निर्माण के प्रत्येक चरण के पूरा होने के बारे में नोडल एजेंसी को सूचित करेगा । समिति के सदस्य शीघ्रातिशीघ्र परंतु 15 दिन की अवधि से अधिक नहीं, निर्माण स्थल का निरीक्षण करेंगे ।

iv) निरीक्षण के उपरांत, समिति द्वारा एक संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट तैयार की जाएगी और 7 दिनों की अवधि के अंदर सफल निविदादाता को प्रेषित की जाएगी ।

v) सफल निविदादाता द्वारा निरीक्षण रिपोर्ट में इंगित दोषों पर बिना किसी अतिरिक्त खर्च या समय के चाहे जो हो ध्यान देना होगा।

vi) निरीक्षण का दायरा सामान्य ले-आउट, विभिन्न घटकों के स्तर, ढांचागत स्थिरता और गोदामों और अन्य भवनों के बाहरी व आंतरिक विद्युतीकरण के लिए सीमित होगा।

यदि सफल निविदादाता द्वारा निरीक्षण के विभिन्न स्तरों पर इंगित दोषों को हटाया जाता है तो नोडल एजेंसी द्वारा गोदाम को अधिग्रहित नहीं किया जाएगा ।

53. गोदाम को अधिग्रहित करना

(1) इस करार के लिए पार्टियां स्पष्ट रूप से सहमत हो कि अनुबंध की शर्तों में एसडब्ल्यूसी के पूरी तरह संतुष्ट पर उक्त गोदाम के निर्माण पूरा होने पर निविदादाता अनुबंध के अुनसार गोदाम को कब्जे में लेने के लिए एसडब्ल्यूसी द्वारा निर्धारित तिथि को परिसरों, फिक्चर्स, फिटिंग्स, संस्थापनों सहित गोदाम का कब्जा सौंपेगा तथा एसडब्ल्यूसी उसे अपने कब्जे में लेगा।

54. गोदाम के अधिग्रहण के समय शिकायत का निवारणः

नोडल एजेंसी के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक तथा सदस्य के रूप में भारतीय खाद्य निगम के प्रबंध निदेशक के रूप में संबंधित राज्य के कार्यकारी निदेशक (अंचल) वाली समिति गोदाम को अधिग्रहित करते समय निविदादाताओं की शिकायतों की जांच करेगी । गोदाम को अधिग्रहित करते समय किसी भी विवाद की दशा में, निविदादाता पर उपरोक्त समिति का निर्णय अंतिम और बाध्यकारी होगा।

55. यह करार एसडब्ल्यूसी और निविदादाता के बीच द्विपक्षीय करार है और योजना के डिजाइनिंग के रूप में भारत सरकार तथा विभिन्न स्तरों पर संबद्ध होने के नाते भारतीय खाद्य निगम का दिवालियापन अथवा तत्पश्चात् इस द्विपक्षीय करार के लिए पार्टी के रूप में नहीं समझा जाएगा।

56. **भ्रष्ट प्रथाएं:**

निविदादाता, एसडब्ल्यूसी में कार्यरत किसी भी व्यक्ति को न तो किसी प्रकार का उपहार देंगे और न ही ऐसा करने की सहमति प्रदान करेंगे और न ही एसडब्ल्यूसी के साथ किए गए कॉन्ट्रेन्ट निष्पादित किए जाने के परिणामस्वरूप किसी भी व्यक्ति विशेष को किसी भी तरह का कोई पक्षपात अथवा गैर-पक्षपात नहीं करेंगे और न ही किसी प्रकार का प्रलोभन अथवा ईनाम अथवा प्रोत्साहन देंगे । निविदादाता अथवा उसके द्वारा नियुक्त किसी भी व्यक्ति द्वारा अथवा उसकी ओर से कार्य कर रहे किसी भी व्यक्ति द्वारा,चाहे वह निविदादाता के संज्ञान में हो अथवा न हो, यदि उपरोक्त शर्तों का उल्लंघन किया जाता है अथवा निविदादाता द्वारा कोई अपराध किया जाता है तो इसके परिणामस्वरूप एसडब्ल्यूसी के पास कॉन्ट्रेक्ट और निविदादाता के साथ हुए सभी या किसी अन्य अनुबंध को समाप्त करने का अधिकार होगा और इस प्रकार कॉन्ट्रेक्ट समाप्त किए जाने से हुई किसी भी हानि की वसूली निविदादाता से की जाएगी ।

57. **दिवालियापन और अनुबंध का उल्लंघन:**

(क) निगम किसी भी समय, लिखित में नोटिस देकर, कॉन्ट्रेक्टर को बिना किसी क्षतिपूर्ति दिए निम्न में से किसी भी दशा में कॉन्ट्रेक्ट समाप्त कर सकता है, अर्थातः-

क. निविदादाता यदि कोई व्यक्ति विशेष है अथवा कोई फर्म, उसका कोई पार्टनर है, यदि वह किसी भी समय दिवालिया मान लिया जाए अथवा उसके विरुद्ध उसकी एस्टेट के प्रशासन के आदेश हैं अथवा दिवालिया अधिनियम के तहत उसके विरूद्ध कोई कार्यवाही की गई हो।

ख. यदि निविदादाता को एक कंपनी के नाते स्वेच्छा से अथवा न्यायालय के आदेश से हटाया जाता है अथवा डिबेंचर धारकों की ओर से किसी रिसीवर, लिक्विडेटर या प्रबंधक को नियुक्त किया जाता है अथवा ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हो जाएं जो न्यायालय अथवा डिबेंचर धारकों को एक रिसीवर, लिक्विडेटर या प्रबंधक नियुक्त करने का अधिकार देती हों,

(ख) यदि निविदादाता अनुबंध की किसी भी शर्त का उल्लंघन करता है तो उसका ठेका भी निरस्त कर दिया जाएगा और उस दशा में निविदादाता ऐसे उल्लंघन स्वरूप सभी हानि और क्षति के लिए जिम्मेदार होगा।

सदैव यह प्रावधान होता है कि इस प्रकार की समाप्ति का किसी भी कार्रवाई अथवा उपचार के अधिकार पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा जो प्रोदभूत होगा अथवा इसके बाद एसडब्ल्यूसी को प्रोदभूत होगा और यह भी प्रावधान किया गया है कि निविदादाता किसी भी अतिरिक्त खर्च के लिए एसडब्ल्यूसी को भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा।

58. वित्तीय बोलियों का मानकीकरण (normalization)

मूल्य बोली का आकलन करते समय रु. ..... प्रति क्विंटल प्रति किलोमीटर के मानकीकरण वाले घटक रेलहैड से 8 कि.मी. की दूरी से परे लोकेशन के लिए प्राप्त सभी बोलियों पर लागू होंगे।

तथापि, सड़क से संबद्ध गोदामों के मामले में, निम्नलिखित दिशा-निर्देशों का अनुपालन किया जाएगाः-

1. गोदाम के स्थान की सीमा जिला मुख्यालय की म्यूनिसिपल सीमा की चारदीवारी से 8 कि.मी. या स्थान के जीरो प्वाइंट पर तय की जाती है। इस प्रकार के सड़क मार्ग से संबद्ध स्थानों के लिए कोई मानकीकरण घटक लागू नहीं होंगे।

2. उपरोक्त सीमाओं से अधिक के प्रस्तावों पर विचार नहीं किया जाएगा।

59. अप्रत्याशित घटना (Force Majeure):

अप्रत्याशित घटना का मतलब ऐसे घटना या परिस्थिति अथवा घटनाओं के समूह से है जो प्रभावित पार्टी के समुचित नियंत्रण से बाहर हैं, जिसे ऐसी पार्टी इस करार के क्रियान्वयन के संबंध में उचित

दक्षता और देखभाल के बावजूद नहीं रोक सकी या उस पर काबू नहीं पा सकी, जो ऐसी पार्टी की लापरवाही के परिणामस्वरूप या ऐसी पार्टी इसके अंतर्गत उसके उन कर्तव्यों को पूरा करने में विफल रही हो जो अक्षम बनाने वाली प्रकृति और तीव्र आकार वाली हो और इस करार के अंतर्गत प्रभावित पार्टी के दायित्वों पर वास्तविक प्रतिकूल प्रभाव पड़ा हो।

ऐसी पार्टी इस करार के तहत इसके संबंधित दायित्वों को उस सीमा तक निलंबित या माफ करने का पात्र होंगी जिसको अप्रत्याशित करना इनका ऐसा निष्पादन अवरूद्ध हुआ हो।

(क). **अप्रत्याशित घटना (Force Majeure) की प्रक्रिया:**

यदि पार्टी आकस्मिक घटना के कारण राहत का दावा करता है तो ऐसी घटना से प्रभावित पार्टी जितना जल्दी से जल्दी व्यावहारिक हो किसी भी दशा में प्रत्याशित घटना की जानकारी का पता लगने के सात दिनों के अंदर उसका नोटिस देगी और अन्य पार्टी को लिखित में ऐसी आकस्मिक घटना के प्रभाव का विस्तार से युक्तिसंगत वर्णन करेगी जिसमें इस करार के तहत पार्टी के दायित्वों पर ऐसी आकस्मिक घटना के प्रभाव और इन प्रभावों के शुरू होने और समाप्ति की अनुमानित तारीख भी शामिल होगी। स्थिति के समाप्त होने पर , इस सेक्शन के तहत अप्रत्याशित घटना का दावा करने वाली पार्टी घटना की समाप्ति के सात दिनों में लिखित में सूचित करेगा। पार्टी जहां तक व्यावहारिक हो इस करार के तहत सभी दायित्वों के निष्पादन को जारी रखेगी परंतु अप्रत्याशित घटना की निरंतरता के दौरान सभी दायित्वों के निष्पादन से छूट देने पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

(ख). **दीर्घकालिक अप्रत्याशित घटना:**

निरंतर रूप से अप्रत्याशित घटना के द्वारा ऐसी अप्रत्याशित घटना के शुरू होने की तारीख से लगातार 60दिनों से अधिक की अवधि के लिए पार्टी का कार्य निरंतर बाधित होता या रूकता है तो पार्टी के दायित्वों के निलंबन के होते हुए भी वे इस करार को समाप्त करने के लिए स्वतंत्र है।

60. अनुबंध और विवाद रेजूलेशन (resolution) को नियंत्रित करने वाले कानून:

यह अनुबंध भारत में लागू कानूनों द्वारा शासित होगा। इस निविदा के कारण हुए किसी भी विवाद का निपटारा सक्षम प्राधिकार क्षेत्र वाले कोर्ट ऑफ लॉ में किया जाएगा।

निविदादाता /प्राधिकृत
हस्ताक्षरकर्ता के हस्ताक्षर

तकनीकी मूल्यांकन शीट

परिधी	वितरण
1. (i) मालिक/फर्म/कंपनी आदि का नाम। ii) स्थायी पता iii) पत्राचार हेतु पता iv) दूरभाष/मोबाइल नं. v) फैक्स नं. vi) ई-मेल	
2. गांव/नगर/शहर का नाम जहां प्रस्तावित भूमि (साइट) स्थित है।	
3. भूमि (साइट) की सर्वे संख्या	
4. रेल्वे वस्तु शैड का नाम प्रस्तावित साइट से दूरी सहित	
5. क्या निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत किए गए हैं: i) शीर्षक विलेख की प्रतिलिपि अथवा ii) पंजीकृत पट्टा विलेख की प्रतिलिपि अथवा iii) भूमि का विवरण देता हुआ हलफनामा जैसाकि खसरा सं./किला सं.(राज्य विशिष्ट भूमि राजस्व कोड में राजस्व रिकॉर्ड हेतु प्रयोग हुई नामावली) जो कि निविदाकार को अधिग्रहण के लिए स्वीकृति की तिथि से 120 देनों के अंदर तथा राष्ट्रीयकृत बैंक द्वारा जारी बैंक गारंटी के रूप में अनुपूरक गारंटी देना होगा। iv) प्राइवेट पंजीकृत लीज पर भूमि के मामले में, गोदाम के निर्माण हेतु पट्टादाता से हलफनामे के माध्यम से अनापत्ति प्रमाण-पत्र v) भार मुक्तता प्रमाण-पत्र vi) फर्म पंजीकरण प्रमाण-पत्र/साझेदारी विलेख/कंपनी के मामले में एओए एवं एमओए की प्रतिलिपि vii) सीमाओं को दर्शाते हुए स्कैच प्लान की प्रतिलिपि viii) गोदामों, कार्यालय बिल्डिंग, सड़क, रेल्वे साइडिंग, तौल-पुल, पार्किंग क्षेत्र और अन्य सहायक सुविधाओं के ले-आउट को दर्शाता हुआ ले-आउट प्लान की प्रतिलिपि	हाँ/नहीं हाँ/नहीं हाँ/नहीं हाँ/नहीं हाँ/नहीं हाँ/नहीं हाँ/नहीं हाँ/नहीं

6. i) भूमि का क्षेत्र ii) प्रस्तावित भंडारण क्षमता	
7. रेलवे साइडिंग गोदामों के मामले में निविदाकार द्वारा संभाव्यता रिपोर्ट (रिपोर्ट अनुलग्नक)	हाँ/नहीं
8. दूरी i) निकटतम एफसीआई/एसडब्ल्यूसी/ सीवीसी गोदामों से ii) निकटतम मंडियों से, उनके नाम सहित	
9. राष्ट्रीय/राजकीय हाईवे से दूरी, हाईवे के नाम सहित	
10. सभी अवरोधों से मुक्त प्रस्तावित गोदाम के लिए यातायात पहुंच	हाँ/नहीं
11. निविदाकार का PAN (संलग्न प्रतिलिपि)	
12. प्रस्तुत हुई अपेक्षित धरोहर राशि	हाँ/नहीं i) EMD की राशि रु. में ii) ड्राफ्ट सं. और तिथि
13. पिछले 3 वर्षों हेतु आयकर रिटर्न या गैर-करदाता के मामले में एक वर्ष की बैंक स्टेटमेंट	
14. संपूर्ण आवश्यक बैंक गारंटी	हाँ/नहीं i) बैंक गारंटी की राशि ii) बैंक गारंटी की अवधि iii) बैंक गारंटी सं. एवं तिथि iv) जारीकर्ता बैंक एवं शाखा का नाम v) बैंक/शाखा का पूरा पता और दूरभाष

(दस्तावेजी साक्ष्यों संबंधी किए गए दावों को संलग्न करें)

निविदादाता/अधिकृत

हस्ताक्षरकर्ता के हस्ताक्षर

नोटः

1. SWC निविदादाता द्वारा जमा किए गए दस्तावेजों को सत्यापन करने का अधिकार सुरक्षित रखती है तथा साथ ही किसी प्रकार की अतिरिक्त जानकारी और आवश्यक समझे गए दस्तावेजों हेतु बुला सकता है।
2. यदि उपरोक्त कॉलम के किसी एक या अधिक में जगह की कमी पाई जाती है, तो अतिरिक्त सूचना अलग से कागज पर संलग्न की जा सकती है और इन कागजों की अनुलग्नक संख्या उपरोक्त संगत कॉलम/कॉलमों में वर्णित की जाए। ऐसे सभी अनुलग्नक निविदादाताओं या उनके प्राधिकृत प्रतिनिधि द्वारा हस्ताक्षरित और मुहरबंद होने चाहिए।

मूल्य बोली (पट्टे सहित सेवाएं)

सेवा करों को छोड़कर दरें अंकों तथा शब्दों में रु./- प्रति क्विंटल प्रति माह में उद्धृत की जाएं। मूल्य में बोली में कोई भी कटिंग/ओवरराइटिंग नहीं होनी चाहिए।

मैं/हम एतदद्वारा सभी संबद्ध ऑपरेशनों सहित इन सुविधाओं के रख-रखाव हेतु जिसमें परिरक्षण, कॉम्प्रिहेन्सिव इंश्योरेंस, वॉच एण्ड वार्ड, सहायक सुविधाएं जैसे कार्यालय कक्ष, शौचालय, वॉटर-टैंक, लेबर रेस्ट शैड, इलैक्ट्रिक रूम, पंप रूम, लॉरी तौल पुल, इंटरनेट सुविधा सहित कंप्यूटर सिस्टम और संबद्ध मैनपावर के लिए खाद्यान्न/मोटे अनाज/चीनी आदि प्रतिमाह प्रति क्विंटल, प्रतिमाह (सेवाकर को छोड़कर) भंडारण चार्ज (Storage charge) के रूप में निम्नलिखित दरें उद्धृत करता हूं/करते हैं।

(i) अंको में दरें

रुपये.....पैसे.....प्रति क्विंटल प्रतिमाह

(ii) शब्दों में दरें

रुपये..... तथा

पैसे.....

..... केवल प्रति क्विंटल प्रतिमाह

इस दर में संपत्ति-कर, सड़कों और बिल्डिंगों का माइनर/मेजर रख-रखाव, पानी और बिजली का संस्थापन एवं उनके प्रभार, तौल-पुल का रख-रखाव, कंप्यूटर सुविधाएं उनका उपयोग और अन्य प्रभार तथा ऑपरेशन से जुड़े अन्य स्थानीय कर/सांविधिक चार्ज और किए जाने वाले करार, की शर्तों के अनुसार उपलब्ध सुविधाएं शामिल है।

निविदाता के हस्ताक्षर/प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता

हस्ताक्षरकर्ता का पूरा नाम
निविदादाता का पूरा नाम

मूल्य बोली (पट्टा केवल)

सेवा करों को छोड़कर दरें अंकों तथा शब्दों में रु./- प्रति क्विंटल प्रति माह में उद्धृत की जाएं। मूल्य में बोली में कोई भी कटिंग/ओवरराइटिंग नहीं होनी चाहिए।

मैं/हम एतद्वारा सभी संबद्ध ऑपरेशनों सहित इन सुविधाओं के रख-रखाव हेतु किराया जिसमें सहायक सुविधाएं जैसे कार्यालय कक्ष, शौचालय, वॉटर-टैंक, लेबर रेस्ट शैड, इलैक्ट्रिक रूम, पंप रूम, लॉरी तॉल पुल, तथा संबद्ध मैनपावर के लिए प्रति क्विंटल, प्रतिमाह (सेवाकर को छोड़कर) निम्नलिखित दरें उद्धृत करता हूं/करते हैं।

(i) अंको में दरें

रुपये.....पैसे.....प्रति क्विंटल प्रतिमाह

(ii) शब्दों में दरें

रुपये..... तथा

पैसे.....

..... केवल प्रति क्विंटल प्रतिमाह

इस दर में संपत्ति-कर, सड़कों और बिल्डिंगों का माइनर/मेजर रख-रखाव, पानी और बिजली का संस्थापन, तौल-पुल का रख-रखाव तथा गोदामों और उन गोदाम ऑपरेशनों पर अन्य स्थानीय कर/सांविधिक चार्ज और किए जाने वाले करार, की शर्तों के अनुसार उपलब्ध सुविधाएं शामिल है।

निविदाता के हस्ताक्षर/प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता

हस्ताक्षरकर्ता का पूरा नाम
निविदादाता का पूरा नाम

अनुसूची-I

निजी पार्टियों द्वारा परम्परागत प्रकार के गोदामों के निर्माण हेतु प्रस्तावित विनिर्देश

(5,000 मीट्रिक टन क्षमता मानक हेतु विचार**)**

1. केंद्र से गोदाम केंद्र 125.55m x 21.80m

2. बाहर से बाहर = 126.01m x 22.26m

3. रेल / सड़क की तरफ बरामदा चौड़ाई : गोदाम और अन्य की एक ओर 1.83
0.9m चौड़ाई का गोदाम आईसोलेटेड प्लेटफार्म की साइड केवल शटर के सामने उपलब्ध करायी जाए (आकार 2.44 m X 0.9 m)

4. प्लींथ की ऊंचाई : i) सड़क संबद्ध हेतु - 0.80 m
ii) रेल संबद्ध हेतु - 0.91 m

5. 3 कम्पार्टमेंट वाले 5,000 मीट्रिक टन गोदाम। प्रत्येक कंपार्टमेंट C/C लंबाई 41.85m और क्षमता = 1,670 मीट्रिक टन।

6. प्रत्येक कंपार्टमेंट में स्टेकों की संख्या 12 संख्या

7. स्टैक का आकार = 6.10m x 9.15m (20' x 30')

8. सड़क तल से गोदाम की ऊंचाई =5.60m और रेल संबद्ध =6.35m

9. सड़क के किनारे पर बरामदा ट्रस ऊंचाई = 3.35m और रेल संबद्ध किनारे पर 3.95m से अधिक प्लींच

10. रोलिंग शटरों की संख्या = 1.83 m आकार की 12 संख्या X 2.44 m प्रत्येक

11. शीर्ष वैटीलेटर्स आकार 1.50m x 0.60 m = दोनों लंबी दीवारों में 54 संख्या

12. वी8 वैंटीलेटर्स 0.39 m X 0.80 m (तल के अंदर वायु प्रवेश) और बाहरी दीवारों पर विस्तारित धातु 0.6 m X 0.6 m (तल के बाहर वायु प्रवेश)

13. लंबी दीवार में 4.65 c.c. पर उपलब्ध किए जाने वाले आर.सी.कॉलम और GW एवं P.W.4.36 m c/c.

14. सीपीडब्ल्यू विनिर्देशों, 2009, वॉल.I अनुसार एसीसी/सीजीआई/पूर्व-लेपित गैलबेनाइज्ड लौह प्रोफाइल शीट सहित लेपित शीट के साथ उपलब्ध कराची जाने वाली छत।

परंपरागत गोदामों हेतु कोई विनिर्देश ऊपर उल्लिखित नहीं है तो भारतीय खाद्य निगम के मौजूदा विनिर्देशों के अनुसार होगा। यदि भारतीय खाद्य निगम के कोई विनिर्देश नहीं है, तो गोदामों के लिए CWC विनिर्देशों का पालन किया जाएगा।

यदि भारतीय खाद्य निगम और CWC द्वारा विनिर्देश अंतर्निहित (covered) नहीं तो गोदामों के निर्माण हेतु नवीनतम प्रकाशन के उपयुक्त IS कोड 607 का पालन किया जाएगा।

ट्यूबलर ट्रसेस (Tubular Trusses) : सामान्य हवा जोन में उपयुक्त नवीनतम BIS कोड में वर्गीकृत हवा जोन के अनुसारः- 200kg/sq.m और 150kg/sq.m या वास्तविक आवश्यकताओं के अनुसार।

क. सहायक आवश्यकता

ऑफिस ब्लॉक, सेंट्री पोस्ट, केबिन सहित तौल पुल, कम्पाउन्ड दीवार, विद्युतीकरण, जलापूर्ति, आंतरिक सड़कें, जल निकासी और सीवरेज (drainage & sewerage) आदि। बाहरी उपयोगकर्ता जैसे ट्रक ड्राइवरों एवं क्लीनरों आदि की आवश्यकता को पूरा करने के लिए अलग शौचालय ब्लॉक का निर्माण किया जाए। कार्यालय बिल्डिंग जिसमें शौचालय शामिल हैं, का न्यूनतम प्लींथ क्षेत्र 78sqm होगा।

ख. गोदाम हेतु सामान्य विनिर्देश का विवरण

1. **नींव :** पथरीली सामान्य मिट्टी (Gravelly Ordinary soils) हेतु प्रस्तावित नींव की गहराई कॉलमों के लिए 1.30m और पैनल दीवारों के लिए 1.20m है (10.93 टन प्रति sq.mt की मृदा सहन क्षमता हेतु नींव डिजाइन पर आधारित है)। अन्य प्रकार की मृदाओं हेतु, नींव उचित रूप से तैयार की जानी चाहिए। कॉलमों और पैलन दीवारों के अंतर्गत क्रमशः सीमेंट कांक्रीट (1:4:8) (1 सीमेंट: 4 कोर्स सेंड(coarse sand): 40mm साधारण आकार के 8 मोटे पत्थर उपलब्ध कराए जाएं। नींव और सुपर-स्ट्रक्चर हेतु सीमेंट मोर्टार (1:6) (1 सीमेंट: 6 कोर्स सेंड) आर.आर. मेसनरी/ब्रिक मेसनरी उपलब्ध करायी जाए। फर्श (floor) के अंदर भूमि/रेत की अच्छी गुणवत्ता उपलब्ध की जाए।
2. **प्लींथ बीम, टाई बीम और कॉलम:-** कॉलम, कॉलम की नींव, प्लींथ बीम, 2.44m स्तर पर गोदाम के आस-पास लिंटल बीम और लंबी दीवारों में छत स्तर पर टाइर बीम में 1:1 ½:3 (1 सीमेंट:1½ कोर्स सेंड: 20mm साधारण आकार के 3 मोटे पत्थर)/ एम-25 उपलब्ध कराए जाएं।
3. **सुपर-स्ट्रक्चर:-** सभी दीवारें सीमेंट मोर्टार (1:6) (1 सीमेंट : 6 कोर्स सेंड) सहित ब्रिक मेनसरी में 34cm मोटी या आर.आर. मेनसरी में 38cm मोटी उपलब्ध की जाएं।
4. **सन-शैड/छज्जा:-** आवश्यकताओं के अनुसार उपलब्ध की जाएं।
5. **परिसज्जा (finishing):-** दोनों ओर अर्थात आंतरिक एवं बाहरी दीवारों पर सीमेंट मोर्टार (1:6) (1 सीमेंट : 6 महीन रेत (fine sand)) सहित 12mm मोटा सीमेंट प्लास्टर, कॉलमों की अनावृत्त सतह पर सीमेंट मोर्टार (1:3) सहित 6mm मोटे प्लास्टर के साथ आंतरिक दीवारों पर सफेदी के तीन कोट और बाहरी दीवारों पर रंग-रोगन/स्नोसम।
6. **फर्श बनाना (flooring):-** (क) बेस हेतु 230 mm मोटी रेत भरना। (ख) 100 mm मोटी पी.सी.सी. (1:4:8) (1 सीमेंट : 4 कोर्स सेंड : 40 mm साधारण आकार की 8 मोटी रोड़ी)। (ग) पैनल हेतु फ्लोरिंग में 50x4mm आकार ग्लास स्ट्रिप्स की फिक्सिंग 50mm मोटी C.C (1:2:4) (1 सीमेंट : 2 कोर्स सेंड : 20 mm साधारण आकार के 4 मोटी रोड़ी) साफ सीमेंट punning सहित फ्लोरिंग।
7. **छत बनाना (Roofing):-** सीपीडब्ल्यूडी विनिर्देश,2009, वॉल.I के अनुसार जिंक कोटेड शीट सहित एसीसी/सीजीआई/पूर्व-लेपित गेलवेनाइज्ड लौह प्रोफाइल शीट फिक्सिंग हेतु purlins सहित आर.सी.सी. कॉलमों पर ट्यूबलर ट्रसेस।

7.2 एक विकल्प के रूप में निम्नलिखित विनिर्देशों के साथ Galvalume sheet छत बनाने के लिए उपलब्ध कराया जा सकता हैः-

7.2.1 ढांचे की छत के बिना किसी ट्रस या कुछ भी के स्वावलंबी/पूव-इंजीनियर्ड ढांचे सहित, एकल अवधि संरचनात्मक होना चाहिए, रेल-संबद्ध और सड़क-संबद्ध भंडारण ढांचों दोनों हेतु कॉलम की समाप्ति पर प्लींथ स्तर से टाई स्तर तक 5600mm से कम ऊंचाई नहीं होनी चाहिए। रूफिंग सिस्टम इस प्रकार से डिजाइन किया जाए कि हवा भार (IS part 3 के अनुसार) को झेल सके। डिजाइन में अन्य उपयुक्त IS कोड का भी अनुपालन किया जाए। स्टील शीट 914mm चौड़ी (सहनशीलता+ 1-2mm) जिसकी न्यूनतम मोटाई 1.03mm (सहनशीलता+ 1-0.02mm) की होनी चाहिए। स्टील शीट की न्यूनतम नम्य होने की क्षमता (yield strength) 350 M pa. होनी चाहिए। स्टील शीट निम्नलिखित मानकों के अनुसार दोनों तरफ से मिश्र धातु (alloy) से लेपित होनी चाहिएः-

क) स्टील शीट पर alloy कोटिंग 55% अल्युमीनियम, 43.5% जिंक और 1.5% सिलिकॉन की होनी चाहिए। कोटिंग की न्यूनतम मोटाई बाहरी सतह पर 20 माइक्रोन और आंतरिक सतह पर 10 माइक्रोन होनी चाहिए। लेपित स्टील की मोटाई 1.03mm से कम नहीं होनी चाहिए, जिसमें BMT,alloy कोटिंग और printing/पेंट कोटिंग शामिल हैं,

या

ख) IS:277 के अनुसार स्टील शीट के दोनों सतहों का कुल, न्यूनतम 120 GSM की जिंक कोटिंग हो। शीट की न्यूनतम कुल लेपित मोटाई 0.50mm हो।

7.2.2 छत के कुल क्षेत्रफल के लगभग 2% पारदर्शक/पारदर्शी शीट, 2mm न्यूनतम मोटाई की पॉलीकारबोनेट मेटिरियल (पॉली लेयर) की बनी शीट सहित और एक समान वितरित प्राकृतिक रोशनी के लिए कराई जाएं। 2mm की मोटाई वाले 600mm x 1200mm आकार की पॉलीकारबोनेट शीट प्राकृतिक रोशनी हेतु बिल्डिंग की लंबाई सहित 900 cm की दूरी पर छत में अधिष्ठापन (installed) किया जाए। पॉलीकारबोनेट शीट की फिक्सिंग water tight और संरचनात्मक रूप से मजबूत होनी चाहिए। ढांचागत सुरक्षा/स्थिरता हेतु 40x60mm आकार के m.s.wind ties पारदर्शी शीटों पर उपलब्ध कराए जाएं।

7.2.3 1,670 मी.ट. प्रत्येक के 3 कंपार्टमेंट वाले 5000 मी.ट. क्षमता के गोदाम में, 24" आकार के 9 टर्बो वैंटीलेटर्स (एल्यूमीनियम), प्रत्येक कंपार्टमेंट अर्थात 5000 मी.ट. क्षमता के गोदामों में 27 टर्बों वैंटीलेटरों के लिए 2200 CFM क्षमता। अतः, 5000 मी.ट. के गोदाम में प्रत्येक बे/पैनल (bay/panel) में एक टर्बो वैंटीलेटर लगाने की आवश्यकता है।

7.2.4 छत की डिजाइन लोडिंग मानकों (IS: 875) हेतु सामान्य निर्माणकारी प्रक्रिया और उपयुक्त भारतीय मानक कोड के अनुरूप होना चाहिए।

8. **<u>खिड़कियां, वैंटीलेटर, रोलिंग शटरः</u>** दीवार पर लगे 1.83m x 2.44m आकार के रोलिंग शटर (clear opening), 0.62m X 0.62 m आकार के वायु प्रवेशी (खिड़कियां) तथा angle iron सहित 1.50m X 0.60m आकार के शीर्ष वैंटीलेटर।

ग) **सड़कें:-** MDR/SH/NH जैसा भी मामला हो, के स्तर से ऊपर निर्माण स्तर और आंतरिक मार्ग स्तर क्रमशः 200mm और 300mm रखा जाए। 6.7m की साफ चौड़ाई वाली 27.5cm मोटी W.B.M सड़क (मेटल रोड), तथा गोदामों की दो पंक्तियों के बीच gravel base की आवश्यक परतों सहित 15m चौड़ी सड़क, ट्रैफिक को झेलने के लिए metal layer, 4cm मोटी प्रीमिक्स कार्पेट के साथ बिछाई जाए। कम CBR गुणों वाली खराब मृदा के मामले में W.B.M. की मोटाई अधिक हो सकती है।

घ) **कंपाउंड वॉल:-** ब्रिक वर्क (1:6) या आर.आर. में 1.98m ऊंची बाउंडरी दीवार। भूमि स्तर से ऊपर 0.6m ऊंची मेसनरी, दीवार के शीर्ष पर लगे 2.44m C/C angle iron सहित कांटेदार तार/कनसर्टीना तारों की 7 पंक्तियां/ब्रिक मेसनरी के लिए दीवार की कठोर सतह पर सीमेंट मोर्टार 1:6 (1 सीमेंट : 6 बारीक रेत) में 15mm मोटा प्लास्टर तथा दीवार की समतल सतह (plain side) पर सीमेंट 1:6 (1 सीमेंट : 6 महीन रेत) सहित 12mm मोटा प्लास्टर करना तथा आर.आर. मेसनरी हेतु दीवार की किसी भी तरफ ruling/raised & cut on इंगित कर उपलबध कराया जाए।

ड़) **मुख्य प्रवेश पर गेट:-** ट्यूब सहित 6.10m चौड़ा स्टील गेट तथा ट्यूब/angle iron सहित 0.91m चौड़े Wicket गेट।

च) **इलैक्ट्रिकल संस्थापन (Installation):-** रोलिंग शटरों के निकट बाहरी ट्यूब लाइट। समान अंतराल में गोदामों के बाहर की तरफ सोडियम वेपर फिटिंग और आवश्यक 3 पिन पॉवर/लाइट प्लग प्वाइंट्स को उपलब्ध करना। देर के घंटों के दौरान गोदामों के आपरेशनों हेतु गोदामों के पास और साथ ही प्लेटफार्म जहां सोडियम वेपर या CFL lamp lighting fixtures सहित फिटिंग है उचित प्रकाश व्यवस्था (Lighting) उपलब्ध करायी जाए।

छ) **जलापूर्ति:-** कार्यालय ब्लॉक के लिए आपूर्ति हेतु ओवरहेड टैंक का पानी शुद्ध करने के लिए उचित व्यवस्था की जाए तथा लेबर/स्टाफ/अधिकारियों एवं अन्य हेतु पीने का पानी उपलब्ध कराया जाए।

ज) **पानी की निकासी बाहरी (External Drainage):-** साइट परिस्थितियों के अनुसार पानी की निकासी (Drainage) उचित रूप के डिजाइन सहित कैंपस उपलब्ध है।

झ) **सीवरेज:-** क्षेत्र में व्याप्त प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड मानदंडों के अनुसार सीवरेज का उपचार करे।

कार्यालय बिल्डिंग विनिर्देश:-

1. नींव (Foundations):- सभी दीवारों हेतु CC(1:5:10) (1 सीमेंट:5 खुरदरी रेत:40MM साधारण आकार के 10 मोटे पत्थर) मोटी की समतल प्रक्रिया सहित पर्याप्त गहराई की नींव उपलब्ध कराई जाए। नींवों हेतु सीमेंट मोर्टार (1:6) (1सीमेंट:6 कोर्स सेंड) में ब्रिक मेनसरी। रैनडम रब्बल स्टोन मेनसरी उपलब्ध कराई जाए।

2. प्लींथ बीम, सन-शेड, रुफ स्लैब और लिंटल्स:- आर.आर.मेनसरी। ब्रिक वर्क पर प्लींथ वर्क हेतु 1:1½:3 (1सीमेंट:1½खुरदरी रेत:20mm साधारण आकार के 3 मोटे पत्थर) का आर.सी.सी. मिक्स। सभी बाहरी दरवाजों और खिड़कियों हेतु आवश्यक सन-शेड उपलब्ध किए जाए। छत स्लैब (roof slab) 1:1½:3 (1 सीमेंट:1½ खुरदरी रेत:20 mm साधारण अकार के 3 मोटे पत्थर) के न्यूनतम 100 mm मोटे आर.सी.सी. मिक्स सहित उपलब्ध की जाएं, दरवाजों और खिड़कियों पर लिंटल उपलब्ध किए जाएं।

3. अधिरचना (सुपर स्ट्रक्चर): सिमेंट मोर्टार (1:6) में ईंट-चिनाई 0.23 मी. मोटी प्रदान की जाएगी।

4. परिष्करण (फिनिशिंग): ईंट-चिनाई के पक्की दीवार पर सिमेंट मोर्टार (1:6) के साथ 12 मिमी मोटी सीमेंट प्लास्टर और कच्ची तरफ सीमेंट मोर्टार (1:6) के साथ 15 मिमी मोटी सीमेंट प्लास्टर प्रदान किया जाएगा

5. रंगाई (पेंटिंग): सभी आंतरिक सतह की दीवारों के लिए प्राइमर के एक कोट के ऊपर oil bound distemper के दो कोट और बाहरी दीवारों पर प्राइमर के एक कोट पर स्नोसेम (snowcem) के दो कोट।

6. फर्शबंदी (फ्लोरिंग): तल के नीचे भरने वाली रेत भरी जाएगी। स्वच्छ सीमेंट पनिंग (punning) के साथ सीमेंट कंक्रीट में 40 मी.मी. मोटी फर्शबंदी और ग्लास पट्टी पैनल प्रदान किए जाएंगे।

7.दरवाजे और खिड़कियां: सहायक संरचनाओं, लकड़ी के पैनल वाले दरवाजे, 0.90मी. X 1.98मी. और 0.76मी. X 1.98मी. न्यूनतम आकार के फ्लश दरवाज़ा के लिए प्रदान किया जाना है। 0.90मी. X 1.20मी. आकार की खिड़कियां वाला पेनल लोहे की ग्रिल के साथ और कांच के वेंटिलेटर प्रदान किए जाएंगे

8.सैनिटरी: कांच का वॉश बेसिन, भारतीय शैली की शोच सीट, वेंटिलेशन शाफ्ट, बारिश- पानी के पाइप, 100 मी.मी. वाले पत्थर के पाइप, सेप्टिक टैंक और फैलाव छत आवश्यकतानुसार प्रदान किया जाना है।

9. विद्युतीकरण: आवश्यक उपयुक्त ट्यूब लाइट फिटिंग और पंखों के साथ आंतरिक एवं बाह्य विद्युतीकरण प्रदान किए जाने के लिए।

(I) <u>वे-ब्रिज और केबिन रूम</u>: नामी कंपनी से खरीदे गए 40/60 एमटी क्षमता की इलेक्ट्रॉनिक लॉरी वे-ब्रिज (भाखानि की आवश्यकता के अनुसार) स्थापित किए जाएंगे। 3.3 मीटर *4.8 मीटर आकार के केबिन रूम प्रदान किए जाएंगे।

(J) <u>सैंटरी पोस्ट</u>: मुख्य गेट के निकट 1.2 मीटर * 2 मीटर के आकार का विद्युतीकरण सहित चौकीदार कक्ष , बनाया जाएगा।

(K) <u>पारंपरिक प्रकार के भंडारण गोदाम के लिए भूमि की आवश्यकता (आइडल शेप में)</u>

अ) पहले 5,000 एम.टी. क्षमता = 2.0 एकड़ (लगभग)

ब) इसके अलावा 1.7 एकड़ अतिरिक्त भूमि की आवश्यकता होगी जिसमें प्रत्येक गोदाम में 5,000 एमटी क्षमता की वृद्धि होगी।

नोट: भूमि का आकार यथासंभव आयताकाररूप का होगा। रेलवे साइडिंग गोदामों के मामले में, प्लॉट की लंबाई एकल प्लेसमेंट में पूर्ण रेक सुविधा को समायोजित करने के लिए पर्याप्त होनी चाहिए।

उपरोक्त भूमि की आवश्यकता कम हैं और यह भूमि के आकार और स्थलाकृति के आधार पर भिन्न हो सकती है।

(L) <u>गोदाम का निरीक्षण</u>: गोदाम के निर्माण कार्य का निरीक्षण समिति के अधिकारियों द्वारा किया जाएगा:

i) महाप्रबंधक, (क्षेत्र) भाखानि द्वारा सिविल इंजीनियर को नामित किया जाएगा।

ii) नोडल एजेंसी के एमडी द्वारा सिविल इंजीनियर को नामित किया जाएगा। । नोडल एजेंसी अपने राज्य के पीडब्ल्यूडी या किसी अन्य इंजीनियरिंग विभाग से सिविल इंजीनियर को नामित कर सकती है। हालांकि, नामांकित सिविल इंजीनियर पीडब्ल्यूडी के कार्यकारी अभियंता से कम रैंक का नहीं होगा।

<u>पीईजी योजना के अंतर्गत खाद्य भंडारण गोदामों के निरीक्षण के लिए चेक लिस्ट :</u>

ले-आउट स्टेज		
(i)	क्या साइट पर भवन निर्माण की स्थिति प्रस्तुत योजना के अनुसार है?	हाँ/नहीं
(ii)	क्या परिधीय सड़कों और अन्य सेवाओं के लिए जगह उपलब्ध है?	हाँ/नहीं
(iii)	क्या ले-आउट में समग्र जल निकासी का उचित प्रबंध है?	हाँ/नहीं
(iv)	क्या साइट के ले-आउट पर मूल आयाम के गोदाम है?	हाँ/नहीं
(v)	क्या ढांचागत ड्राइंग उपलब्ध है? (क) यदि हाँ, क्या स्ट्रक्चरल इंजिनियर द्वारा ढांचागत डिजाइनिंग की गई है? (ख) यदि नहीं तो, ढांचागत ड्राइंग को प्राप्त होने की लक्षित तिथि बताए।	हाँ/नहीं
(vi)	क्या जल निकासी योजना तैयार कर ली गई है?	हाँ/नहीं
(vii)	क्या स्थानीय निकाय से अनुमोदन आवश्यक है? यदि हाँ, अनुमोदित योजना की प्रतिलिपि दें।	हाँ/नहीं
(viii)	क्या एजेंसी ने कार्य योजना प्रस्तुत की है? यदि हाँ, क्या लक्षित तिथि प्रस्ताव के अनुरूप है?	हाँ/नहीं
(ix)	क्या सभी आवश्यक T&P साइट पर रखी गई है?	हाँ/नहीं
(x)	क्या एजेंसी द्वारा पर्याप्त निर्माण सामग्री का प्रबंध किया गया है?	हाँ/नहीं
(xi)	क्या पिछले निरीक्षण के दौरान पाई गई टिप्पणियों/कमियों पर ध्यान दिया गया है?	हाँ/नहीं
(xii)	ध्यान में आई टिप्पणियों/कमियों को नोट करें।	हाँ/नहीं
लिंटल लेवल		
(i)	क्या सारी सामग्री को उचित तरीके से स्टोर/स्टैक में रखा गया है?	हाँ/नहीं
(ii)	क्या सामग्री का कोडल प्रावधान के अनुसार प्रयोग में लाने से पहले टेस्ट किया गया है?	हाँ/नहीं
(iii)	क्या ले आउट के अनुसार फाउंडेशन वर्क के मूल कार्य पूरे कर लिए गए हैं?	हाँ/नहीं
(iv)	क्या अनुमोदित ड्राइंग के अनुसार RCC कॉलम को रखा गया है?	हाँ/नहीं
(v)	क्या ईंटों/आर.सी.सी. की गुणवत्ता संतोषजनक है?	हाँ/नहीं
(vi)	क्या एजेंसी द्वारा प्रस्तुत की गई कार्य योजना प्रगति के अनुरूप है?	हाँ/नहीं
(vii)	ध्यान में आई कमियों/टिप्पणियों को नोट करें।	हाँ/नहीं
रूफ लेवल		
(i)	क्या पिछले निरीक्षण के दौरान पाई गई टिप्पणियों/कमियों पर ध्यान दिया गया है?	हाँ/नहीं
(ii)	क्या सारी सामग्री को उचित तरीके से स्टोर/स्टैक्स में रखा गया है?	हाँ/नहीं
(iii)	क्या सामग्री को कोडल प्रावधान के अनुसार प्रयोग से पहले टेस्ट किया गया है?	हाँ/नहीं
(iv)	क्या सड़कों/सहायक बिल्डिंगों का निर्माण साइट की आवश्यकता के अनुसार हो रहा है और कार्य की प्रगति मुख्य गोदामों के अनुरूप हो रही है?	हाँ/नहीं
(v)	ध्यान में आई कमियों/टिप्पणियों को नोट करें।	हाँ/नहीं
(vi)	किसी भी कमी के ध्यान में आने पर, बिल्डिंग को कब्जे में ले लिया गया है?	हाँ/नहीं
कम्पलीशन लेवल		
(i)	क्या रुफिंग के सभी जरूरी कार्य जैसे विंड टाई इत्यादि को पूरा कर लिया गया है?	हाँ/नहीं
(ii)	वेंटीलेटर आवश्यकता के अनुसार है?	हाँ/नहीं
(iii)	क्या रोलिंग शटर क्रियाशील है?	हाँ/नहीं

(iv)	क्या सड़क निर्माण का कार्य पूर्ण हो गया है?	हाँ/नहीं
(v)	क्या इलेक्ट्रीसिटी कनेक्शन/जलापूर्ति इत्यादि का कार्य पूर्ण हो गया है?	हाँ/नहीं
(vi)	क्या जल निकासी का कार्य पूर्ण हो गया है?	हाँ/नहीं
(vii)	क्या चारदीवारी/सुरक्षा गेट का कार्य पूर्ण हो गया है?	हाँ/नहीं
(viii)	क्या यह बिल्डिंग व्यवसाय के लिए उपयुक्त है?	हाँ/नहीं
(ix)	यदि हाँ, तो व्यवसाय के लिए संभावित तारीख।	हाँ/नहीं
(x)	यदि नहीं तो, क्या कमी रह गई है। उसके निराकरण की अनुमानतः समय सीमा क्या है और अधिग्रहण करने की नियत तिथि क्या है?	हाँ/नहीं

<u>प्रपत्र-क</u>

निष्पादन गारंटी के रूप में प्रतिभूति जमा के साथ प्रस्तुत करने के लिए बैंक गारंटी का प्रोफार्मा जहाँ भूमि निर्धारित अवधि के अंदर अधिग्रहण के लिए प्रस्तुत है।

(जारीकर्ता बैंक के नाम से उचित मूल्य के खरीदे गैर – न्यायिक (नॉन-जूडिशल) स्टाम्प पेपर पर प्रस्तुत किया जाए)

यह गारंटी विलेख _____ दिन _____ मध्य _____ (बैंक का नाम) जिसका पंजीकृत कार्यालय _____ (स्थान) में स्थित है तथा इसका स्थानीय कार्यालय _____ में है। आगे जिसका उल्लेख प्रतिभूत के रूप में किया गया है), तथा राज्यभंडारण निगम, पंजीकृत कार्यालय _____ तथा इसका मुख्यालय _____ पर स्थित है (आगे जिसका उल्लेख् एस.डब्ल्यू.सी. के रूप में किया गया है)

चूंकि मैसर्स _____ (आगे जिसका उल्लेख 'निविदाकर्त्ता' के रूप में किया गया है) कंपनी/फर्म _____ के तहत पंजीकृत (यदि लागू हो तो) तथा जिसका पंजीकृत कार्यालय _____ में है जो _____ (स्थानों) में खाद्यान्नों के भंडारण के लिए _____ मी.टन क्षमता हेतु निर्मित, अपनी तथा ऑपरेट/लीज आधार पर 10 वर्ष की न्यूनतम गारंटी के लिए एस.डब्ल्यू.सी. द्वारा प्रबंध तथा पर्यवेक्षित किए जाने वाले डी.सी.पी भंडार के लिए ररराज्य की भंडारण जरूरतों हेतु गोदामों के निर्माण के लिए निविदा के प्रस्तुतीकरण के संबंध में बैंक गारंटी के प्रपत्र के रूप में अनुपूरक गारंटी प्रस्तुत करने के लिए बाध्य है।

चूंकि निविदाकर्त्ता खंड सं._____ के अनुसार निविदा के नियमों एवं शर्तों _____ दिनांक _____ भूमि के अधिग्रहण के स्वामित्व के दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत करना या निविदा की स्वीकृति के 120 दिनों के भीतर (निविदा में विनिर्दिष्ट) पंजीकृत पट्टे का निष्पादन के रूप में _____ बैंक गारंटी के जरिए पूरक गारंटी देने के लिए सहमत हो गया है।

अब यह दृष्टव्य है किः

1. यह कि प्रतिभूत, निविदाकार द्वारा भा.खा.नि. को प्रस्तुत उपरोक्त निविदा के लिए भा.खा.नि. की ओर से उस गारंटी विलेख के प्रस्तुत करने पर भा.खा.नि. से मांग प्राप्त होने की तिथि से एक सप्ताह के अंदर निविदाकार को नोटिस दिए बिना रु. ..... (रुपये.....) की उस राशि गारंटीशुदा भुगतान का वचन देता है जिसे इस निविदा के संबंध में प्रतिभूति के बतौर भा.खा.नि. को देने के लिए निविदाकार बाध्य है।
2. निविदाकार की किसी भी अशक्तता अथवा अनियमितता के कारण तथा भा.खा.नि. निविदाकार अथवा जमानती की संरचना में किसी प्रकार के विघटन अथवा परिवर्तन के कारण यह गारंटी प्रभावित नहीं होगी।
3. एस. डब्ल्यू. सी. इस गारंटी के तहत कोई भी दावा करने के लिए पात्र होगा यदि निविदाकार अपनी निविदा प्रस्तुत करने के पश्चात् स्वीकृति से पहले उसकी पेशकश को लचीला एवं संशोधित करने या निश्चित भूमि के अधिग्रहण के दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत करने में असफल होना या 120 दिनों की निर्धारित अवधि में पंजीकृत पट्टे या निविदा की स्वीकृति के पश्चात् अनुबंध की नियम एवं शर्तों का उल्लंघन करता है। एस. डब्ल्यू. सी. का निर्णय अंतिम एवं बाध्यकारी होगा।
4. इस गारंटी के तहत जमानत के लिए किया गया प्रतिभूति उस भुगतान के लिए अपनी देयता का एक वैध निर्वहन होगा और इस भुगतान के लिए प्रतिभूति के खिलाफ कोई दावा नहीं होगा।

5. जमानती द्वारा निविदा की अवधि के दौरान यह गारंटी भा.खा.नि. की लिखित पूर्वानुमति के बिना रद्द नहीं की जाएगी/नहीं की जा सकती है।
6. पूर्वोक्त पैरों में किसी भी बात के होने पर भी इस गारंटी के तहत जमानती की जिम्मेदारी ..... रुपये मात्र तक ही सीमित होगी।
7. यह गारंटी दिनांक ..... तक प्रभावी रहेगी तथा एस. डब्ल्यू. सी. द्वारा जमानती को इस आशय की लिखित सूचना देने पर ही यह गारंटी समाप्त होगी तथा निष्प्रभावी होगी तथा ऐसी स्थिति में इस गारंटी को निष्पादित मान लिया जाएगा।
8. निविदाकार द्वारा एस. डब्ल्यू. सी., बैंक अथवा किसी अन्य व्यक्ति के विरुद्ध किसी न्यायालय अथवा ट्रिब्यूनल मे मुकद्दमे अथवा कार्यवाही लंबित होने की दशा में किसी भी विवाद अथवा विवादों के होने के बावजूद प्रतिभूत को एस. डब्ल्यू. सी. द्वारा की गई मांग के अनुसार राशि का भुगतान करना होगा क्योंकि इस गारंटी के तहत प्रतिभूति की देयता निश्चित तथा असंदिग्ध है।
9. उक्त टेंडर की किसी शर्त को लागू करने में एस. डब्ल्यू. सी. द्वारा बरती गई सहिष्णुता अथवा चूक अथवा निविदाकार के प्रति एस. डब्ल्यू. सी. की ओर से दर्शाए गए किसी अनुग्रह की दशा में किसी भी रूप में जमानती के दायित्व का निष्पादन नहीं होगा। इस गारंटी के अंतर्गत प्रतिभूति की देयता भा.खा.नि. द्वारा प्रतिभूति को इस आशय की सूचना लिखित में देने पर ही निष्पादित होगी।
10. उपरोक्त पैराओं में किसी भी बात के निहित होने के बावजूद, जब कि लिखित रूप में प्रतिभूति पर दिनांक..... को अथवा इससे पूर्व इस गारंटी के तहत कोई मांग अथवा दावा नहीं किया जाता है तब तक प्रतिभूति इस गारंटी के तहत अपनी सभी देयताओं से मुक्त नहीं होगा।
11. प्रतिभूति को इसके ज्ञापन तथा आर्टिकल्स ऑफ ऐसोसिएशन के अंतर्गत इस गारंटी को जारी करने की शक्ति प्राप्त है तथा वह व्यक्ति जो एतद्वारा इस विलेख का निष्पादन कर रहा है उसके पास बैंक द्वारा प्रदत्त प्राधिकार के तहत ऐसा करने का आवश्यक अधिकार है।

निविदा के लिए तथा उनकी ओर से

हस्ताक्षरित एवं सुपुर्द किए

उपरोक्त उल्लिखित बैंक के लिए तथा उसकी ओर से

(बैंकर का नाम तथा मुहर)

परिशिष्ट –।

राज्य भंडारण निगम और निवेशक के बीच पट्टा (लीज) करार

(गोदाम हर प्रकार से पूरा होने के बाद एसडब्ल्यूसी द्वारा गोदाम अधिग्रहित करते समय निष्पादित करना)

यह करार एक भाग मैसर्स..... (निवेशक का नाम व पता), (जिसे इसमें आगे "पट्टाकर्ता " कहा गया है और इसके अंतर्गत कार्यालय में उसके वारिस, निष्पादक, प्रशासक, प्रतिनिधि और उत्तराधिकारी, जिसका आशय जब तक प्रसंग से निकाला नहीं है अथवा प्रतिकूल है, शामिल करने हेतु समझा जाए) तथा अन्य भाग राज्य भंडारण निगम, ... के तहत एक निकाय निगमित (जिसे इसमें आगे "पट्टेदार" कहा गया है और इसके अंतर्गत कार्यालय में उनके उत्तराधिकारी, जिसका आशय जब तक प्रसंग से निकाला नहीं है अथवा प्रतिकूल है, शामिल करने हेतु समझा जाए) के बीच आज दिनांक..... 2011 को किया गया है।

निजी भागीदारी से निर्मित होने वाले गोदामों के इस्तेमाल के लिए पट्टेदार द्वारा दी गई किराये पर लेने की दस वर्षीय गारंटीशुदा के प्रस्तावों के आधार पर तथा उसके लिए जारी निविदाओं के पट्टेदार और उक्त निविदा की स्वीकृति के बाद दिनांक..... के वैध अनुबंध को गोदाम के निर्माण के लिए निष्कर्ष निकाला गया है और इसके बाद पट्टेदार को लीज, निविदा के शर्तों के अनुरूप इसमें पार्टियों के बीच बाध्यकारी है और पट्टेकर्ता ने निर्माण पूरा कर लिया है तथा पट्टेदार की .....क्षमता के ..... (गोदाम का पूरा पता) पर गोदाम के कब्जा सौंपना है।

पट्टेकर्ता ने ..... (बैंक का नाम) द्वारा दिनांक..... को सं..... की रु..... (गोदाम की पूरी क्षमता के लिए रु..... की दर से प्रति एम टी) के लिए बैंक गारंटी भेजी है।

इस करार के साक्षी निम्नानुसार हैः –

1. पट्टा उक्त गोदाम का कब्जा लेने की तिथि से दस वर्ष की अवधि के लिए लागू रहेगा। पट्टेदार प्रति माह रु...../क्विंटल की दर से तीन प्रतियों में मासिक बिल प्रस्तुत करने के 15 दिनासें के अंदर lessor की सहमति से भुगतान करेगा और दस साल की अवधि के दौरान किराए में कोई वृद्धि नहीं होगी। वास्तविक कब्जे की तारीख से अनुबंध के चालू रहने तक Lessor के अनुरोध पर Lessee किराए का भुगतान प्राधिकृत बैंक द्वारा करेगा, पार्टी एवं बैंक के अनुरोध के अनुसार Lessee 10 वर्ष की अवधि पूर्ण होने पर गोदाम को छोड़ने की छूट दे सकेगा।
2. पट्टा विलेख के पंजीकरण, स्टाम्प ड्यूटी आदि के लिए हुए खर्च को Lessor द्वारा वहन किया जाएगा।
3. यह सुनिश्चत करना Lessor का दायित्व होगा कि इस लीज के निष्पादन के समय बची हुई बैंक गारंटी को प्रचलित लीज अवधि एवं तत्पश्चात् छः महीने तक जारी रखा जाए। एस.डब्ल्यू.सी. स्वयं बैंक गारंटी की वास्तविकता और साथ ही समय समय पर निविदाकर्ता द्वारा इसके एक्सटेंशन (Extension) का सत्यापन करेगा।

4. यदि निविदाकर्त्ता अनुबंध के तहत अपने दायित्वों का पालन करने में विफल रहता है या उसकी उपेक्षा करता है, तो निगम को पूर्ण अधिकार है कि वह निविदाकर्त्ता द्वारा जमा की गई प्रतिभूति जमा (Security Deposit) की सम्पूर्ण राशि या आंशिक रूप से राशि को जब्त कर सकता है अथवा निविदाकर्त्ता द्वारा प्रस्तुत प्रतिभूति जमा की उपयुक्तता के लिए अथवा उसके किसी भी भाग के लिए अथवा किसी क्षति, हानि, प्रभार, व्यय जो कि निगम द्वारा वहन की गई को या खर्च की गई के लिए दावित किए जाए जाने वाली, कोई भी देय राशि की सन्तुष्टता के लिए अधिकार प्राप्त होगा
5. लीजी (lessee) (Lessee) के साथ अनुबंध अवधि के दौरान गोदामों को खाद्यान्न भंडारण हेतु फिट रखने के लिए Lessor (लीजर (lessor)) जिम्मेदार होगा। लीजर (lessor) (Lessor) द्वारा प्रमुख या मामूली मरम्मत जैसे कि पुताई, पेंटिंग इत्यादि का खर्च वहन किया जाएगा। लीजर (lessor) (Lessor) द्वारा रोजाना की छोटी मोटी मरम्मत अपनी लागत पर 24 घंटे के अंदर करवा ली जाएगी। सभी बड़ी मरम्मतें जैसे रिसाव, बाहरी दिवारों की मरम्मत, रुफिंग, बिजली की तारों का जलना, पाइपों इत्यादि के बदलने का कार्य लीजी (lessee) (Lessee) के स्थानीय प्रतिनिधि के माध्यम से दी गई समय-सीमा के भीतर लीजर (lessor) (Lessor) द्वारा कराया जाएगा। खाद्यान्न भंडार को होने वाली क्षति या लीजी (lessee)/लीजर (lessor) के मैनपावर की सुरक्षा आदि का अति आवश्यक कार्य तुरंत किया जाएगा। यदि लीजर (lessor) इसे करने में विलंब करता है या इसे करने में असफल होता है, तो लीजी (lessee) को यह छूट है कि वो कार्य को अपने कब्जे में ले ले और इसमें होने वाले खर्च को किराए/प्रतिभूमि जमा से काट लिया जाएगा।
6. यदि गोदाम या उसका कोई भी हिस्सा भंडारण करने योग्य न रहे तो, एस.डब्ल्यू.सी. निविदाकर्त्ता को इसके बारे में सूचित करेगा एवं निविदाकर्त्ता उस परिसर को भंडारण योग्य बनाने के लिए तत्काल मरम्मत कराएगा। गोदाम या उसका कोई भी हिस्सा जो कि भंडारण योग्य नहीं थे उस अवधि का उन्हें किराया नहीं दिया जाएगा। निविदाकर्त्ता उपरोक्त की मरम्मत करने में देरी करता है या असफल होता है तो एस.डब्ल्यू.सी को कार्य को कब्जे में लेने की छूट है एवं उस खर्च को दिए गए किराये/प्रतिपूर्ति जमा से काट लिए जाएगा। गोदाम को स्थायी रूप से भंडारण योग्य न बनाया रखा जाने के लिए एस.डब्ल्यू. सी के पास करार को समाप्त करने तथा बिना किसी देयता/मुआवजे के गारंटी/करार से बाहर होने का अधिकार सुरक्षित है।
7. पट्टेदार अपनी पट्टावधि के दौरान किसी भी समय पट्टा समाप्त कर सकता है, यदि पट्टादाता संविदा के तहत किसी भी दायित्व को पूरा करने में विफल रहता है या अनुबंध की किसी भी शर्तों का उल्लंघन करता है तो अपने आखिरी ज्ञात जगह के निवास / व्यापार पर पट्टेदाता को लिखित रूप में तीस दिन का नोटिस देकर और पट्टेदार ऐसी समाप्ति के कारण गारंटीशुदा भर्ती की शेष अवधि के लिए किसी भी मुआवजा या किराया या किसी अन्य भुगतान के हकदार नहीं होंगे। पट्टेदार द्वारा अनुबंध की समाप्ति की स्थिति में, बैंक गारंटी को भुनाना होगा। पट्टेदार का निर्णय इस खंड के तहत निर्णय अंतिम, निर्णायक और पट्टादाता पर बाध्यकारी होगा।
8. पट्टेदार गोदाम को लेने की तारीख से गारंटी अवधि के दौरान पट्टादाता द्वारा नामांकित बैंक के माध्यम से किराए का भुगतान करेगा। पट्टादाता की पहल पर किसी भी बैंकर से आवश्यकतानुसार बैंक ऋण ले सकता है। बैंक ऋण, बैंक और शाखा से चुनाव में उधार लेना पसंद है, पट्टादाता का विकल्प है और यदि आवश्यक हो, तो पट्टेदार सहमति देगा, केवल बैंक के साथ त्रिपक्षीय समझौते में प्रवेश करने की सीमा तक और गोदाम का अधिग्रहण करने पर सीधे बैंक को किराए के भुगतान के लिए पट्टादाता।
9. आवश्यकतानुसार अस्थायी कार्यालय केबिन, एयर-कंडीशनर, टेलीफोन आदि को स्थापित करने को छोड़कर पट्टेदार भवन / परिसर के लिए कोई भी बदलाव या परिवर्धन नहीं करेगा। पट्टेदार को लीज डीड की समाप्ति के समय सभी फिक्स्चर, फिटिंग और सामान के साथ पट्टेदार संपत्ति के खाली कब्जे का आत्मसमर्पण करेगा।
10. पट्टेदार संबंधित प्राधिकारणों से प्राप्त बिलों के अनुसार विद्युत शुल्क और जल शुल्क का भुगतान करेगा। जब और जहां सत्यापन की मांग की जाए बिना असफल और दस्तावेजी सबूतों का उत्पादन करना, पट्टादाता अनुसूचित संपत्ति के संबंध में

सभी कर, उप-कर, लेवी, संपत्ति कर आदि सहित फीस का भुगतान करेगा। ऐसे करों और लेवी का भुगतान करने के अभाव में, पट्टेदार संबंधित प्राधिकरणों को दंड आदि (यदि कोई हो) के साथ ही उसी का भुगतान करने के लिए स्वतंत्रता होगा और उसके बाद किराया से वसूली करे।

11. पट्टादाता सभी वैधानिक अधिनियम, विनियम, नियम, आदेश और स्थानीय / नगरपालिका कानूनों का अनुपालन सुनिश्चित करेगा और समय-समय पर संशोधित, ऐसे अधिकारियों और वैधानिक प्रावधानों का अनुपालन करने के लिए पट्टादाता आवश्यक रिटर्न दाखिल, करों का भुगतान, कर, अधिभार शुल्क आदि लागू होगा करेगा और और किसी भी तरह के नियम / कानून के अनुपालन के लिए लगाए गए जुर्माना या दंड के लिए पट्टेदाता जिम्मेदार होगा।
12. समय-समय पर लागू दरों के अनुसार यह सेवा कर (यदि लागू हो) संबंधित प्राधिकरण में जमा करने के लिए पट्टादाता की ज़िम्मेदारी होगी। मान्य सेवा कर पंजीकरण संख्या वाले प्रस्तुत चलन चालान पर पट्टादाता द्वारा प्रदान किए गए मासिक किराये के साथ लागू होने वाला सेवा कर का दावा किया जा सकता है।
13. पट्टेदार जहां ठीक समझे इमारत पर अनुसूचित परिसर में साथ ही प्रवेश द्वार पर भी अपना साइंस बोर्ड प्रदर्शित करने का हकदार होगा।

14. कि पट्टादाता पट्टेदार की पूर्व अनुमति के बिना पट्टेदार के लिए पट्टे पर अनुसूचित जायदाद में सामान और सामाग्री में किसी को भी शामिल नहीं करेगा ।
15. धर्मकाँटा आपरेशन्स पट्टेदार द्धारा उठाया जायेगा । वार्षिक रखरखाव अनुबंध कंपनी के साथ पट्टेदार द्धारा किया जायेगा और उस शुल्क की कटौती पट्टादाता के भण्डारण शुल्क बिल से काटी जायेगी । ए.एम.सी. रखरखाव और धर्मकाँटा के प्रमाणिकरण के साथ-2 देखरेख की जायेगी ।
16. पट्टादाता समझौता अवधि के दौरान उसकी लागत पर हरेक वक्त विधिवत बीमाकृत अनुसूचित प्रोपर्टी को अवश्य रखेगा ।
17. पट्टेदार, ऐसी अवधि के दौरान जिसे पट्टेदार फिट समझता है गोदाम के पूरे या कुछ भाग को किसी एक पार्टी या सत्ता को उपठेका दे सकता है परन्तु गारंटी के अंतराल को भा.खा. नि. के अनुमोदन होने पर बढ़ाया नहीं जायेगा । ठेकेदार की किसी भी अनुम ति के बगैर पट्टेदार द्धारा उपठेका प्रभावी माना जायेगा और कोई भी अतिरिक्त अदायगी और क्षतिपूर्ति ऐसे उपठेका के लिये ठेकेदार को अदा की जायेगी ।
18. पट्टादाता, सभी देनदारियों, क्षतिपूर्ति, हानियों के विरुद्ध इस पट्टे की अवधि के दौरान और बाद में हानि रहित और उसके कर्मचारियों को क्षतिपूर्ति, बचाव और पकड़, खर्च, मृत्यु, मांग, क्रिया, कार्यवाही, लागत, कर, कर्तव्य, प्रभार, लेवी और किसी भी प्रकृति के दावों के परिणामस्वरूप या किसी भी तरह से कार्य, चूक, लापरवाही, उपद्रव, उल्लंघन पट्टेदार या उसके प्रबंधन, कर्मचारियों, कर्मचारियों, एजेंटों या सहयोगियों द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से इस पट्टे की शर्तों और दायित्वों को पूरा करने में विफलता।

19. वेयरहाउस पर कमबीयर के स्थानीय प्राधिकृत प्रतिनिधि या उसकी ओर से काम करने वाले किसी भी अधिकारी पट्टादाता, उसके एजेंट, प्रतिनिधियों या कर्मचारियों को किसी भी निरीक्षण और मरम्मत करने के एकमात्र उद्देश्य के लिए परिसर में प्रवेश करने की अनुमति देगा। सेवाओं का प्रस्तुतीकरण करते समय पट्टादाता अपने एजेंटों, प्रतिनिधियों या कर्मचारियों द्वारा परिसर, सामान, उपकरण और संपत्ति के कारण किसी भी हानि या नुकसान को ठीक करने के लिए सहमत और कार्य करेगा।

20. पट्टादाता ठेकेदार की पूर्व अनुमति के बिना अनुबंध की मुद्रा के दौरान नहीं करेगा , फर्म के संघटन/ संविधान में कोई बदलाव जिसमें साथी / निदेशक की असफलता का बदलाव शामिल होगा जो कि अनुबंध तुरंत समाप्ति की ओर जिम्मेदार होगा जैसे ठेकेदार द्धारा ठेके का उल्लंघन सुधार के दुष्परिणाम के साथ होगा । पट्टाधारक (lessee) इन स्थानों को भारतीय खाद्य निगम तथा/अथवा अपने खाद्य भण्डारण को रखने के लिए किराए पर ले रहा है । ठेकेदार भण्डारण को रखने के लिए इन स्थानों को प्रयोग करने के लिए स्वतंत्र होगा चाहे यह स्थान किसी दूसरी पार्टी से संबंधित भी क्यों न हो । पट्टेदाता को उसके खाते में कोई भी अतिरिक्त शुल्क नहीं चुकाना पड़ेगा ।

ऐसा करने के दौरान, ठेकेदार अस्थायी ढ़ाचा निर्माण को प्राप्त करने के लिए किसी अतिरिक्त शुल्क के बिना भी हकदार होगा कि ठेकेदार बाद में अपनी लागत पर इन अस्थायी ढ़ाचों को हटा लेगा ।

21. इस पट्टानामा के नियम सरकारी, टीकाकरित, व्याख्यित होंगें और भारत सरकार के कानूनों के अनुसार लागू किये जायेंगें। पट्टानामा के नियमों की व्याख्या में यदि कोई संदेह पाया जाता है, पट्टादाता का निर्णय सभी पार्टियों पर अंतिम और बाध्यकारी माना जायेगा ।

22. गारंटी का निष्पादन

(क) लीजर (lessor), संविदा की शर्तों को पूरा करने के लिए, लीज के प्रतिपादन तथा सर्विस एग्रीमेंट के समय अपरिवर्तनीय बैंक गारंटी के रूप में संपूर्ण भंडारण क्षमता के लिए रु. 50 प्रति मीट्रिक टन की दर से प्रतिभूति प्रस्तुत करेगा जिसमें विफल होने पर प्रतिभूति जमा को जब्त कर लिया जाएगा तथा लीज/विधि की शर्तों के अधीन लीजी (lessee) को उपलब्ध कराए गए इस प्रकार के अन्य उपचार पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बना गारंटी को निरस्त कर दिया जाएगा। बैंक गारंटी निर्धारित प्रपत्र में होनी चाहिए तथा किसी राष्ट्रीयकृत बैंक द्वारा जारी होनी चाहिए।

(ख) लीजी (lessee) द्वारा लीज की शर्तों के अधीन तथा "बेबाकी प्रमाण-पत्र" जारी होने के बाद, लीजर (lessor) को सेवाओं के संतोषजनक निष्पादन तथा लीजर (lessor) द्वारा शर्तों का पूरा करने पर देय निष्पादन गारंटी लौटा दी जाएगी। लीज की निबंधन एवं शर्तों का उल्लंघन करने पर लीजी (lessee) को यह अधिकार होगा कि वह लीज की अवधि के दौरान किसी भी समय तथा इसके छः महीने बाद बैंक गारंटी को वापिस (इनवॉक) कर सकता है।

(ग) कटौती के लिए निर्धारित की गई राशि के संबंध में लीजी (lessee) का निर्णय अंतिम होगा तथा लीजर (lessor) इसे मानने के लिए बाध्यकारी होगा।

23. समंजन (सेट ऑफ)

इस लीज के तहत लीजर (lessor) को देय तथा भुगतानी कोई भी राशि जो कि इस अनुबंध के अधीन उदभूत (अराइज) अथवा पार्टी के बीच के किसी अन्य अनुबंध के अधीन किसी भी राशि के भुगतान के लिए लीजी (lessee) के किसी भी दावे के प्रति समंजित (सेट ऑफ) किए जाए।

24. अप्रत्याशित घटना (Force Mejeure):

अप्रत्याशित घटना का मतलब ऐसे घटना या परिस्थिति अथवा घटनाओं के समूह से है जो प्रभावित पार्टी के समुचित नियंत्रण से बाहर हैं, जिसे ऐसी पार्टी इस करार के क्रियान्वयन के संबंध में उचित दक्षता और देखभाल के बावजूद नहीं रोक सकी या उस पर काबू नहीं पा सकी, जो ऐसी पार्टी की लापरवाही के परिणामस्वरूप या ऐसी पार्टी इसके अंतर्गत उसके उन कर्तव्यों को पूरा करने में विफल रही हो जो अक्षम बनाने वाली प्रकृति और जटिल हो और इस करार के अंतर्गत प्रभावित पार्टी के दायित्वों पर वास्तविक प्रतिकूल प्रभाव पड़ा हो ।

ऐसी पार्टी इस करार के तहत इसके संबंधित दायित्वों को उस सीमा तक निलंबित या माफ करने का पात्र होंगी जिसको अप्रत्याशित करना इनका ऐसा निष्पादन अवरूद्ध हुआ हो ।

(क) अप्रत्याशित घटना (Force Maueure) की प्रक्रिया:

यदि सेवा प्रदाता आकस्मिक घटना के कारण राहत का दावा करता है तो ऐसी घटना से प्रभावित पार्टी जितना जल्दी से जल्दी व्यावहारिक हो किसी भी दशा में प्रत्याशित घटना की जानकारी का पता लगने के सात दिनों के अंदर उसका नोटिस देगी और भारतीय खाद्य निगम अन्य पार्टी को लिखित में ऐसी आकस्मिक घटना के प्रभाव का विस्तार से युक्तिसंगत वर्णन करेगी जिसमें इस करार के तहत पार्टी के दायित्वों पर ऐसी आकस्मिक घटना के प्रभाव और इन प्रभावों के शुरू होने और समाप्ति की अनुमानित की तारीख भी शामिल होगी । स्थिति के समाप्त होने पर , इस सेक्शन के तहत अप्रत्याशित घटना का दावा करने वाली पार्टी घटना की समाप्ति के सात दिनों में भारतीय खाद्य निगम को लिखित में सूचित करेगा पार्टी जहां तक व्यावहारिक हो इस करार के तहत सभी दायित्वों के निष्पादन को जारी रखेगी परंतु अप्रत्याशित घटना की निरंतरता के दौरान सभी दायित्वों के निष्पादन से छूट देने पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

(ख). **दीर्घकालिक अप्रत्याशित घटना:**

निरंतर रूप से अप्रत्याशित घटना के द्वारा ऐसी अप्रत्याशित घटना के शुरू होने की तारीख से लगातार 60 दिनों से अधिक की अवधि के लिए पार्टी का कार्य निरंतर बाधित होता या रूकता है तो पार्टी के दायित्वों के निलंबन के होते हुए भी वे इस समझौते को समाप्त करने के लिए स्वतंत्र है ।

25. यह अनुबंध भारत में लागू कानून के द्वारा शासित होगा । इस निविदा के संबंध में उत्पन्न सभी विवाद, सक्षम प्राधिकार क्षेत्र के विधि न्यायालय में निपटाए जाएंगे ।

साक्षी के रूप में यह पट्टा विलेख(लीज डीड) पार्टी के विधिवत् प्राधिकृत प्रतिनिधियों द्वारा उपरोक्त लिखित दिन तथा तारीख को निष्पादित किया गया है ।

(पट्टेदार का नाम तथा पदनाम)

साक्षीः

1.

2.

पट्टेदाता का नाम तथा पता

साक्षीः

1.

2.

परिशिष्ट –II

राज्य भंडारण निगम और निवेशक के बीच पट्टा (लीज) तथा सेवा करार

(गोदाम हर प्रकार से पूरा होने के बाद एसडब्ल्यूसी द्वारा गोदाम अधिग्रहित करते समय निष्पादित करना)

यह करार एक भाग मैसर्स..... (निवेशक का नाम व पता), (जिसे इसमें आगे "पट्टाकर्ता " कहा गया है और इसके अंतर्गत कार्यालय में उसके वारिस, निष्पादक, प्रशासक, प्रतिनिधि और उत्तराधिकारी, जिसका आशय जब तक प्रसंग से निकाला नहीं है अथवा प्रतिकूल है, शामिल करने हेतु समझा जाए) तथा अन्य भाग राज्य भंडारण निगम, ... के तहत एक निकाय निगमित (जिसे इसमें आगे "पट्टेदार" कहा गया है और इसके अंतर्गत कार्यालय में उनके उत्तराधिकारी, जिसका आशय जब तक प्रसंग से निकाला नहीं है अथवा प्रतिकूल है, शामिल करने हेतु समझा जाए) के बीच आज दिनांक..... 2011 को किया गया है।

निजी भागीदारी से निर्मित होने वाले गोदामों के इस्तेमाल के लिए पट्टेदार द्वारा दी गई किराये पर लेने की दस वर्षीय गारंटीशुदा के प्रस्तावों के आधार पर तथा उसके लिए जारी निविदाओं के पट्टेदार और उक्त निविदा की स्वीकृति के बाद दिनांक..... के वैध अनुबंध को गोदाम के निर्माण के लिए निष्कर्ष निकाला गया है और इसके बाद पट्टेदार को लीज, निविदा के शर्तों के अनुरूप इसमें पार्टियों के बीच बाध्यकारी है और पट्टेकर्ता ने निर्माण पूरा कर लिया है तथा पट्टेदार की .....क्षमता के .... (गोदाम का पूरा पता) पर गोदाम के कब्जा सौंपना है।

पट्टेकर्ता ने ..... (बैंक का नाम) द्वारा दिनांक..... को सं..... ..... की रु..... (गोदाम की पूरी क्षमता के लिए रु..... की दर से प्रति एम टी) के लिए बैंक गारंटी भेजी है।

इस करार के साक्षी निम्नानुसार हैः –

1. पट्टा दस वर्ष की अवधि के लिए लागू रहेगा । लीजी (Lessee)10 वर्ष की गारंटी अवधि पूर्ण होने पर गोदाम रिलीज करने के लिए स्वतंत्र होगा ।
2. पट्टा विलेख के पंजीकरण, स्टाम्प ड्यूटी आदि के लिए हुए खर्च को Lessor द्वारा वहन किया जाएगा।

3. पट्टेदार के साथ समझौता अवधि के दौरान गोदामों के खाद्य भण्डार के भण्डारण को ठीक ठाक रखने की जिम्मेदारी ठेकेदार की होगी। वाइट् वाश, पेंटिंग इत्या दि के साथ – 2 छोटा और बड़ा रखरखाव का खर्चा इत्यादि ठेकेदार द्धारा चुकाया जायेगा। दिन प्र ति दिन की छोटी मरम्मत ठेकेदार के द्धारा अपने खर्चे पर उठानी होगी, जहाँ तक यह सम्भव है उसे 24 घंटे के भीतर यह कार्य निपटाना होगा। पट्टेदार द्धारा निर्धारित समय के अंतगर्त सभी बड़ी मरम्मते जैसे रिसाव, बाहरी दिवारों की मरम्मत, छत, बिजली की तारों का जलना, पाइप का बदलना इत्यादि ठेकेदार को निर्धारित समय के अंतगर्त पूरा करना होगा। खाद्यान्न को खराब होने से बचाने के लिए आवश्यक मरम्मत या ठेकदार / पट्टेदार की सुरक्षा का बंदोबस्त के लिए तुरंत करना होगा। ऊपर बताये गये विषय में मरम्मत इत्यादि के कार्य करने में ठेकेदार देरी करता है या कर नहीं पाता है, उस स्थिति में पट्टेदार उस कार्य को करने में स्वतंत्र होगा, उस पर किया गया खर्चा ठेकेदार को दिये जाने वाले किराये / सुरक्षा जमा राशि से काट लिया जायेगा।

4. गोदाम या उसको कोई भाग खराब पाये जाने के मामले में, एस.डब्ल्यू.सी. निविदाकार को इस बारे सूचित करेगा और निवदाकार द्धारा परिसर को ठीक कराने की जिम्मा खुद अपने खर्चे पर उठाना होगा। गोदाम के ऐसेहिस्से के संदर्भ में कोई भी भाड़ा नहीं चुकाया जायेगा। यदि उपरोक्त बताये गये कार्य को करने में निविदाकर्ता देरी करता है या कर नहीं पाता है, उस स्थिति मे एस.डब्ल्यू.सी. उस कार्य को करने के लिए स्वतंत्र होगी, और उस पर किया गया खर्चा निवि दा कर्ता को जारीकिये जाने वाले किराये या जमा सुरक्षा पूँजी से काट लिया जायेगा। एस.डब्ल्यु सी. के पास समझौतों को समाप्त करने का अधिकार आरक्षित होगा यदि गोदाम को स्थाई रूप से खराब किया जाता है।

5. पट्टादाता द्धारा मुद्रा के दौरान किसी भी समय अनुबंध को समाप्त किया जा सकता है। ठेकेदार अनुबंध के तहत या अनुबंध के नियमों के उल्लंघन करने पर दायित्वों को पूरा नहीं कर पाता है, उस स्थि ति में ठेकेदार को तीस दिनों का नोटिस उसके पिछले निवास स्थि या कार्यस्थान पर भेज दिया जायेगा। ऐसे अवसान या समाप्ति होन पर ठेकेदार गारंटी के शेष अंतराल के लिए किसी भी क्षतिपूर्ति या किराया या किसी दूसरी अदायगी का हकदार नहीं होगा। पट्टेदार द्धारा अनुबंध को समाप्त करने के प्रसंग में, बैंक गारंटी को भुनाया / नकदीकरण किया जायेगा। पट्टेदार का निर्णय, इस वाक्यांश/ खंड के तहत ठेकेदार के लिए अंतिम, निर्णायक और बाध्यकारी होगा।

6. पट्टादाता ठेकेदार को गोदाम के अधिग्रहण की तारीख से गारंटी पीरियड के दौरान राष्ट्रीकृत बैंक के माध्यम से किराये का भुगतान करेगा। ठेकेदार के सूत्रपात पर, बैंक लोन की य दि आवश्यकता है, किसी भी बैंकर से लिया जा सकता है। ठेकदार अपनी पसंदीदा बैंक लोन, बैंक और शाखा से उधार ले सकता है। पट्टादाता अपनी सहमति देगा यदि बैंक तीसरे पक्ष के समझौते की माँग करता है और ठेकेदार द्धारा गोदाम के अधिग्रहण करने पर, किराये की अदायगी सीधे बैंक खाते के माध्यम से होगी।

7. गोदाम को अधिकार में लेने की तारीख से, पट्टादाता ठेकेदार द्धारा मासिक बिल के जमा करने की तारीख से 15 दिनों के अंदर किराये का भुगतान करेगा, जिसके लिए पट्टेदार द्धारा मनोनीत अधिकारियों द्धारा जारी कार्य का प्रमाणपत्र की तीन प्रतियों ठेकेदार को जमा करानी होगी। पट्टादाता ठेकेदार को कराये का भुगतान ठेकेदार के निवेदन पर उसके पसंदीदा राष्ट्रीकृत बैंक में करने पर राजी हो सकता है।

9. ठेकेदार संबंधित प्राधिकारी से प्राप्त बिल के आधार पर बिजली का बिल और पानी का बिल चुकायेगा। ठेकेदार सभी प्रकार के टैक्स और शुल्क, प्रापर्टी टैक्स चुकायेगा और उनका प्रमाण पत्र भी सबूत के तौर पर प्रस्तुत करना होगा, जब सत्यापन के लिए माँग की जायेगी। ऐसे टैक्स और लेवीज की अदायगी न करने के मामले में, पट्टादाता सभी शुल्को को पैनल्टी के साथ चुकाने पर स्वतंत्र होगा और उस शुल्क को ठेकेदार के किराये से वसूल कर लिया जायेगा।

10. पट्टादता सभी नियमों, नगरपालिका अनुपालन सुनिश्चित करेगा और ठेकेदार रिटर्न भाग और लेवी जमा करेगा।
11. यह ठेकेदार की जिम्मेदारी होगी वह संबंधित प्राधिकारी के साथ मिलकर समय समय पर लागू दरों के साथ सेवा कर को जमा करायेगा।
12. पट्टेदार जिसे उपर्युक्त समझेगा, अपने हस्ताक्षर बोर्ड को अनुसूचित परिसर में भवन के प्रवेश द्धार पर लगाने का हकदार होगा।
13. ठेकेदार पट्टेदाता की पूर्व अनुमति के बिना किराये पर दी गई अनुसूचित सम्मपति में किसी सामान या सामाग्री को नहीं रखेगा।
14. धर्मकाँटा को वा र्षिक रखरखाव पट्टेदाता द्धारा किया जायेगा और उसे ठेकेदार के भण्डारण प्रभार शुल्क से काट लिया जायेगा।
15. ठेकेदार अनुसूचित प्रापर्टी को अवश्य रखेगा और उसकी लागत पर स्टॉक का बीमा किया जायेगा।

16.पट्टेदार को ऐसी अवधि के लिए किसी पार्टी / एनटिटी(entity) के गोदाम के संपूर्ण अथवा किसी भी भाग को सबलीज करने के लिए स्वतंत्र है, पट्टेदार को उचित समझा जाता है परंतु भारतीय खाद्य निगम के अनुमोदन के अधीन गारंटी अवधि नहीं बढ़ी है। पट्टेकर्ता (Lessor) की अनुमति के बिना पट्टेदार द्वारा सबलीज प्रभावित हो सकती है और ऐसी सबलीज के लिए अतिरिक्त भुगतान अथवा क्षतिपूर्ति पट्टेदार को देय नहीं होगी।

17.पट्टेकर्ता को सभी देयताओं, क्षतियों, हानियों, व्ययों, मौतों, मांगों, कार्यों, कार्यवाहियों, लागतों, करों, डयूटीज, चार्जेस, लेवियों के प्रति इस लीज की शर्तों के दौरान व बाद तथा इस लीज के कार्यों, चूकों , लापरवाही, बाधा, शर्तों के उल्लंघन के परिणामस्वरूप या से उत्पन्न अथवा किसी प्रकार से संबद्ध चाहे जो हो किसी भी प्रकार के दावे और निविदादाता या इसके प्रबंधन, कर्मचारियों, स्टॉफ, एजेंटों, संबद्धों द्वारा प्रत्यक्ष अथवा अत्यक्ष रूप से दायित्वों का निर्वहन करने में विफल होता है, तो पट्टेदार और इसके कर्मचारियों का बीमा,सुरक्षा ओर हानिरहित करना होगा।

<u>18.पट्टेकर्ता द्वारा अनुबंधित श्रमिक और / या कार्मिकों की देयता</u>

(क) सभी श्रमिक और/ या कार्मिक हर प्रकार से अपने कर्मचारियों /कामगारों के रूप में पटटेकर्ता द्वारा अनुबंधित होगे , अंतर्निहित अथवा स्पष्ट होंगे। किसी श्रमिक की समस्या / दुर्व्यवहार के कारण किसी भी प्रकार की हानि की दशा में, पट्टेकर्ता समय समय पर पट्टेदार द्वारा नियत की जाने वाली पैनल दर पर पट्टेदार को हानि(यों) की क्षतिपूर्ति करेगा।

(ख)देश के विभिन्न लेबर लॉ के प्रावधानों का अनुपालन करने की जिम्मेदारी पट्टेकर्ता की होगी।

(ग)पट्टेकर्ता और पट्टेदार/भारतीय खाद्य निगम के कामगारों के बीच कोई “मास्टर - सर्वेंट” संबंध नहीं होगा।

(घ)पट्टेकर्ता अनुबंध श्रमिक(विनियम एवं उन्मलन अधिनियम), ईएसआई एक्ट, ईपीएफ, और एमपी अधिनियम, मजदूरी भुगतान अधिनियम, न्यूनतम वेतन अधिनियम, बोनस भुगतान अधिनियम, औद्योगिक विवाद अधिनियम, भारतीय अनुबंध अधिनियम तथा अन्य सभी सांविधिक प्रावधान और इस पट्टेदार के लिए लागू अनुसार अधिनियमन और अन्य कोई सांविधिक दायित्व तथा इसके अंतर्गत तथा निगम द्वारा जब भी मांग की गई तो अनुबंध और रिपोर्ट का अनुपालन लागू है , के तहत प्रावधान का कड़ाई से पालन करेगा। इस अनुबंध / लॉ से उत्पन्न होने वाली सभी सांविधिक लेवियां के लिए पट्टेकर्ता जिम्मेदार होगा।

19. चालू अवधि के दौरान लीजर (lessor) बिना लीजी (lessee) के ठेके में कोई परिवर्तन नहीं करेगा, काम के विधान में किसी प्रकार का परिवर्तन, पार्टनर/निदेशक सहित, यह माना जाएगा कि यह ठेके के नियमों के विरुद्ध है तथा ठेका समाप्त किया जा सकता हे। पट्टाधारक (lessee) इन स्थानों को भारतीय खाद्य निगम तथा/अथवा अपने खाद्य भण्डारण को रखने के लिए किराए पर ले रहा है तथा किसी अन्य पार्टी का भी खाद्यान्न रख सकेगा जिसके लिए वह लीजर (lessor) को कोई अतिरिक्त प्रभार नहीं देगा। ऐसा करते समय बिना किसी अतिरिक्त प्रभार के लीजी (lessee) किसी अन्य पार्टी की वस्तुएं को रख सकता है जो कि भविष्य में समाप्त किया जा सकता है।

20. **<u>लेखाः-</u>** अनुबंध के संबंध में किए गए कार्यों के संबंध में सभी खातों, पुस्तकों, कागजात और दस्तावेजों, पट्टेदार की ओर से कार्यरत किसी भी अधिकारी द्वारा निरीक्षण, लेखा परीक्षा के लिए खुला होगा। पट्टादाता उस समय और स्थान पर उसी का उत्पादन करने के लिए जिम्मेदार होगा जैसा कमबी द्वारा निर्देशित किया जा सकता है। पट्टेदार को किसी भी दस्तावेज, रजिस्टर, रिकॉर्ड करने के लिए पट्टादाता और पट्टादाता द्वारा बनाए रखने के लिए लिखने का अधिकार होगा, ऐसे दस्तावेजों, रजिस्टरों और रिकॉर्ड को बिना किसी शुल्क के बनाए रखने के लिए बाध्य होगा। इस तरह की पुस्तकों और अन्य नियत दस्तावेजों को ठेकेदार की मुद्रा के दौरान और उसके बाद छह महीने के दौरान धारक द्वारा बनाए रखा जाएगा।

21. इस पट्टेदारी की शर्तों को भारत के कानूनों के अनुसार लागू किया जाता है, समझाया, व्याख्या और लागू किया जाता है।

22. गारंटी का निष्पादन

(क) लीजर (lessor), संविदा की शर्तों को पूरा करने के लिए, लीज के प्रतिपादन तथा सर्विस एग्रीमेंट के समय अपरिवर्तनीय बैंक गारंटी के रूप में संपूर्ण भंडारण क्षमता के लिए रु.100 प्रति मीट्रिक टन की दर से प्रतिभूति प्रस्तुत करेगा जिसमें विफल होने पर प्रतिभूति जमा को जब्त कर लिया जाएगा तथा लीज/विधि की शर्तों के अधीन लीजी (lessee) को उपलब्ध कराए गए इस प्रकार के अन्य उपचार पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बना

गारंटी को निरस्त कर दिया जाएगा। बैंक गारंटी निर्धारित प्रपत्र में होनी चाहिए तथा किसी राष्ट्रीयकृत बैंक द्वारा जारी होनी चाहिए।

(ख) लीजी (lessee) द्वारा लीज की शर्तों के अधीन तथा "बेबाकी प्रमाण-पत्र" जारी होने के बाद, लीजर (lessor) को सेवाओं के संतोषजनक निष्पादन तथा लीजर (lessor) द्वारा शर्तों को पूरा करने पर देय निष्पादन गारंटी लौटा दी जाएगी। लीज की निबंधन एवं शर्तों का उल्लंघन करने पर लीजी (lessee) को यह अधिकार होगा कि वह लीज की अवधि के दौरान किसी भी समय तथा इसके छः महीने बाद बैंक गारंटी को वापिस (इनवॉक) कर सकता है।

(ग) लीजर (lessor) (पट्टादाता) को यह सुनिश्चित करने का उत्तरदायित्व होगा कि बैंक गारंटी लीज की अवधि के दौरान तथा उसके बाद 6 माह तक निरन्तर रूप से वैध रहे।

(घ) कटौती के लिए निर्धारित की गई राशि के संबंध में लीजी (lessee) का निर्णय अंतिम होगा तथा लीजर (lessor) इसे मानने के लिए बाध्यकारी होगा।

23. भंडारण हानियाँ

लीजी (lessee) के निरीक्षण के दौरान, लीजर (lessor) की चूक की वजह से भण्डार के प्रेषण के समय पाई गई असामान्य भंडारण हानियों के लिए यदि कोई हो तो लीजर (lessor) उत्तरदायी होगा। भारतीय खाद्य निगम के लिए स्वीकार्य भंडारण हानि की अनुमति होगी तथा भंडारण में अस्वीकार्य हानि के मूल्य की वसूली उस तरीके से की जाएगी जैसाकि भारतीय खाद्य निगम,भाखानि के भंडार के लिए लागू भंडारण हानि/लाभ की वसूली के संबंध में करता है।

24. लीजी (lessee) को जब कभी भी आवश्यकता होगी, लीजर (lessor) भंडार की सुपुर्दगी करने के लिए उत्तरदायी होगा। किसी प्राकृतिक आपदा को छोड़कर, किसी भी कारण से हुई चूक के मामले में, लीजी (lessee) को यह अधिकार होगा कि वह अनुबंध एवं विधि के तहत निगम के किसी अन्य अधिकार अथवा उपचार पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बना आनुपातिक भंडारण प्रभारों की कटौती/वसूली करे।

25. समंजन (सेट ऑफ)

इस लीज के तहत लीजर (lessor) को देय तथा भुगतान योग्य कोई भी राशि जो कि इस अनुबंध के अधीन उदभूत (अराइज) अथवा पार्टी के बीच के किसी अन्य अनुबंध के अधीन किसी भी राशि के भुगतान के लिए लीजी (lessee) के किसी भी दावे के प्रति समंजित (सेट ऑफ) किए जाए।

26. इस लीज डीड में लीज विलेख तथा इसके परिशिष्ट शामिल है।

27. इस लीज की शर्तें भारतीय कानून के अनुसार शासित होगी, जिनका तदनुसार अर्थ लगाया जाएगा तथा व्याख्या की जाएगी और वे लागू होंगे। इस लीज विलेख की शर्तों की व्याख्या करने में कोई संदेह हो तो लीजी (lessee) का निर्णय अंतिम तथा पार्टियों के लिए बाध्यकारी होगा।

28. लीजर (lessor), सभी प्रकार की सहायक तथा आनुषंगिक कर्तव्यों, सेवाओं तथा कार्यों जोकि वेयरहाउस में लीजी (lessee) को प्राधिकृत प्रतिनिधियों द्वारा अथवा उनकी ओर से कार्य कर रहे अधिकारी द्वारा दर्शाए गए हों, उनके सहित लीजर (lessor) को दी गई सभी सेवाएं अथवा जब कभी भी आवश्यकता होगी परिशिष्ट में दी गई कोई भी सर्विस प्रदान करेगा तथा वेयरहाउस में लीजी (lessee) के स्थानीय प्राधिकृत प्रतिनिधियों अथवा उनकी ओर से कार्यरत किसी भी अधिकारी द्वारा समय-समय पर निर्देशित सर्विस प्रदान करेगा तथा जो इस करार की नियम एवं शर्तों के अनुरूप हो।

29. लीजी (lessee) को हुई हानि के लिए लीजर (lessor) (पट्टादाता) का उत्तरदायित्व

(क) लीजी (lessee) (पट्टादार) द्वारा प्रदान किए जाने वाले सॉफ़्टवेयर में दैनिक आधार पर डेटा प्रविष्टि सुनिश्चित करना लीजर (lessor) की जिम्मेदारी होगी जिसके लिए कंप्यूटर पर काम करने के पर्याप्त ज्ञान वाले आवश्यक कर्मी लीजी (lessee) द्वारा प्रदान किए जाएंगे। पर्याप्त उपकरण / मैनपावर प्रदान करने या यहां उल्लिखित किसी भी सेवा को प्रभावी ढंग से करने में और गोदाम में लीजी (lessee) (पट्टेदार) के स्थानीय अधिकृत प्रतिनिधि की संपूर्ण संतुष्टि के लिए, अपने पूर्ण विवेक से, इस लीज (पट्टे) के तहत अन्य अधिकारों और प्रतिकारों के प्रति पूर्वाग्रह के बिना पट्टादाता के हिस्से पर किसी विशेष दिन / दिनों पर किसी भी गलती या चूक की स्थिति में पट्टादाता से मुआवजे के माध्यम से प्रति दिन 1000 रुपये प्रतिपूर्ति करने का अधिकार होगा और

पट्टादाता की लागत पर अस्थायी वैकल्पिक व्यवस्था भी करनी होगी। गोदाम में पट्टेदार के स्थानीय प्राधिकृत प्रतिनिधि या उसकी ओर से कार्य करने वाला कोई अधिकारी का यह निर्णय पट्टादाता पर अंतिम और बाध्यकारी होगा।

(ख) किसी भी कमी या क्षति / नुकसान की स्थिति में, चाहे किसी भी कारणवश जब वह स्टॉक पट्टादाता की निगरानी में हैं, या गोदाम से रेल / सड़क पारगमन के दौरान, जिसके लिए पट्टेदाता की गलती को कारण माना गया है, पट्टेदार द्वारा वहन किए जाने वाले सभी घाटे की भरपाई के लिए वह उत्तरदायी होगा। इस संबंध में पट्टेदार के निर्णय अंतिम और पट्टादाता पर बाध्यकारी होगा।

(ग) अपने कर्मचारियों / मजदूरों की किसी भी लापरवाही या डिफ़ॉल्ट के कारण या उपकरणों की विफलता के कारण या श्रमिकों के पास पर्याप्त सुरक्षा सहायता की उपलब्धता नहीं होने के कारण या उनके कर्मचारियों / मजदूरों द्वारा अनाज की चोरी के कारण या लापरवाही, उपेक्षा, अपने कर्मचारियों / मजदूरों के अपने रोजगार में दुराचार के कारण उनके खातों पर जमाकर्ताओं के लिए पट्टेदार द्वारा भुगतान के मुआवजे के लिए कोई देयता, पट्टादाता किसी भी नुकसान, विनाश या खाद्यान्नों की गिरावट या कर्तव्यों के निष्पादन में देरी के लिए जिम्मेदार होगा । वह सभी दावों का भुगतान करेगा, और मुकदमेबाजी का खर्च भी वहन करेगा, यदि कोई हो, पट्टेदार द्वारा किए गए बिना किसी आपत्ति के तुरंत मांग पर। पट्टेदार को ऐसे नुकसान की राशि को घटा / पुनर्प्राप्त करने का अधिकार होगा। पट्टेदार का निर्णय अंतिम होगा और इस संबंध में ठेकेदारों पर बाध्यकारी होगा।

(घ) लीज समझौते के निष्पादन के बाद लीजर (lessor) के असफल होने अथवा लीजर (lessor) के अनुबंध के प्रचलन के दौरान उससे विमुख (रिसाइलिंग) होता है तो लीजी (lessee) को यह अधिकार होगा कि वह किए गए कार्य को अपने अधिकार में लें तथा इसकी वजह से लीजी (lessee) को हुई हानि, यदि कोई हो तो, लीजर (lessor) इसके लिए जिम्मेदार होगा तथा लीजी (lessee) को ऐसी हानि की कटौती (वसूली करने तथा अनुबंध) विधि के तहत किसी उपचार पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना लीजर (lessor) से बकाया राशि का दावा करने का अधिकार होगा।

(ड़) भंडार के परिरक्षण, रख-रखाव तथा सुरक्षा के उद्देश्य से कार्य नियंत्रण संभालने के लिए लीजर (lessor) हमेशा कर्मचारी/ श्रमिक की पर्याप्त संख्या बनाए रखना सुनिश्चित करेगा।

30. कार्य की मात्रा (Volume of Work)

भंडारण के दौरान खाद्यान्नों की मात्रा घटती-बढ़ती (फ्लक्चुएट) रहती है तथा ठेका की अवधि के दौरान हैंडल किए जाने वाले कार्य की मात्रा में हुए उतार-चढ़ाव के लिए किसी भी दावे पर विचार नहीं किया जाएगा।

31. पारिश्रमिकः

लीजर (lessor) (पट्टाकार) को इस लीज में दिए गए प्रावधान के अनुसार सभी सेवाओं का निष्पादन करना होगा। लीजर (lessor) को सहमति दरों पर भुगतान किया जाएगा। लीजर (lessor) को अतिरिक्त सेवाएं दी जाएंगी जिनका इस लीज में विशेषरूप से कोई प्रावधान नहीं है। इसके लिए आपसी बातचीत के द्वारा निर्धारित दरों पर पारिश्रमिक देय होगा। इस प्रकार की अतिरिक्त सेवाओं के लिए दरों के संबंध में, किसी भी प्रकर के समझौते की अनुपस्थिति में, लीजी (lessee) (पट्टेदार) का निर्णय अंतिम तथा बाध्यकारी होगा। अतिरिक्त सेवाओं के लिए दरों के निर्धारित न होना, लीजर (lessor) को ऐसी सेवाओं को कार्यान्वित न करने अथवा सेवा प्रदान न करने का अधिकार नहीं देता है।

32. परिशिष्ट में दिए अनुसार, पट्टाकार भंडार के परिरक्षण के लिए उत्तरदायी होगा।

33. पट्टेकार, सुपुर्द किए भंडार के लिए कड़ी सुरक्षा की व्यवस्था करेगा तथा गबन/भंडारण घटतों के मामले में लीजर (lessor), भंडार की आर्थिक लागत की सीमा तक लीजी (lessee) को क्षतिपूर्ति करने के लिए उत्तरदायी होगा।

34. पट्टेकार, भंडार के परिरक्षण तथा रख-रखाव के लिए कामगारों तथा वॉच एंड वार्ड को नियुक्त करने के अलावा भंडार की प्राप्ति तथा प्रेषण की परिशुद्धता को सत्यापित करने के लिए कार्मिकों को नियुक्त करेगा तथा लीजर (lessor) का प्राधिकृत प्रतिनिधि लीजी (lessee) के कर्मचारी के साथ वेट चेक मीमो, रजिस्टर/तौलनशीट तथा दैनिक ट्रांनेक्शन रजिस्टर पर हस्ताक्षर करते हुए भंडार की प्राप्ति तथा प्रेषण एवं भंडार के भार की परिशुद्धता को विधिवत रूप से सत्यापित करेगा तथा पट्टेदाता के कर्मचारी के साथ वेट चेक मीमो, रजिस्टर/तौलनशीट तथा दैनिक ट्रांजेक्शन रजिस्टर सहित हस्ताक्षर करेगा।

35. लीजर (lessor) उचित भंडारण के लिए सभी आधारभूत आवश्यकताएं अर्थात् डनेज, वुडन, क्रेट्स/बेम्बो मैट्स, एलडीवीई क्वर्स, नेट्स, तिरपाल, धूम्रीकरण के लिए कीटनाशक तथा कीटनाशकों के उपयोग के लिए जरूरी स्प्रेइंग उपकरण तथा अन्य केमिकल, लॉक, तौल मापक तथा लीजी (lessee) के तकनीकी सहायक के परामर्श के अनुसार तथा परिशिष्ट के अनुपालन में अन्य सभी सामग्री जो भंडार को स्वस्थ रखने के लिए आवश्यक हो उपलब्ध कराएगा।

36. पट्टेकार कैलेंडर वर्ष में भंडार की स्वस्थता को बनाए रखने के लिए पहले ही जरूरी सभी कीटनाशकों की भी खरीद करेगा। इस उद्देश्य के लिए पट्टेदार(लीजी (lessee)) के प्राधिकृत अधिकारी के साथ खरीदे गए कीटनाशकों के बिल भी जमा कराएगा। लीजर (lessor) द्वारा समय-समय पर इस्तेमाल किए गए कीटनाशाकों तथा खाली कंटेनर/टब का भी रिकार्ड रखना होगा जिनका लीजी (lessee) के पूर्व अनुमोदन से तथा लीजी (lessee) के प्राधिकृत प्रतिनिधि की उपस्थिति में निपटान किया जाएगा।

37. गेहूँ/धान के बारिश से प्रभावित भंडार की प्राप्ति के मामले में, ठेकेदार/एजेंसी आवश्यक सालवेजिंग कार्य करेगी तथा ऐसे भंडार की स्वस्थता को बनाए रखने के लिए इसके भंडारण की तारीख से 06 माह की अवधि के दौरान चट्टे लगाने से पहले भंडार का वातन (एरेट) किया जाए तथा ठेकेदार का यह दायित्व होगा कि आपसी सहमति की शर्त के अधीन इस अवधि को बढ़ाया जा सकता है अन्यथा निगम इसके निपटान अथवा आगे के परिरक्षण के लिए इसका अधिग्रहण करेगा।

38. पट्टेदार निम्न मैनपावर मुहैया करेगा –

क्र.सं.	क्षमता मी.टन में	क्लर्क और अकाउंटेण्ट	सुरक्षा कार्मिक	स्वीपर
01	10,000	02	03	04
02	20,000	04	05	08
03	30,000	05	06	10
04	40,000	07	08	12
05	50,000	**08**	10	14

39. पट्टेदार निम्नानुसार इंटरनेट सुविधा वाले कंप्यूटर भी उपलब्ध कराएगा-

भंडारण क्षमता	कम्प्यूटरों की संख्या
10,000 मी.ट.	02
20,000 मी.ट.	03
30,000 मी.ट.	04
40,000 मी.ट.	05
50,000 मी.ट.	06

40. चूंकि भारतीय खाद्य निगम के लिए आईआरआरएस सॉफ्टवेयर में डाटा फीड करके प्रतिदिन के भंडार लेखे रखने हेतु तथा इंटरनेट के माध्यम से नई दिल्ली में सेंट्रल सर्वर में डाटा भेजना अनिवार्य है, अतः लीजर (lessor) के लिए यह जरूरी होगा कि वह निर्धारित अनुसार प्रतिदिन डाटा फीड करे तथा आईआरआरएस सॉफ्टवेयर के माध्यम से भंडार का लेखा रखे तथा इसे इंटरनेट के माध्यम से सेंट्रल सर्वर में भेंजे। यदि ठेकेदार यह सेवा मुहैया कराने में विफल होता है तो, पट्टेकार आउटसोर्सिंग के द्वारा अथवा अपने स्टाफ द्वारा कार्य को पूरा करने के लिए स्वतंत्र हैं तथा पट्टेदार इस वैकल्पिक व्यवस्था पर वहन की गई लागत का भुगतान लीजी (lessee) को करेगा।

41. **अप्रत्याशित घटना (Force Mejeure):**

अप्रत्याशित घटना का मतलब ऐसे घटना या परिस्थिति अथवा घटनाओं के समूह से है जो प्रभावित पार्टी के समुचित नियंत्रण से बाहर हैं, जिसे ऐसी पार्टी इस करार के क्रियान्वयन के संबंध में उचित दक्षता और देखभाल के बावजूद नहीं रोक सकी या उस पर काबू नहीं पा सकी, जो ऐसी पार्टी की लापरवाही के परिणामस्वरूप या ऐसी पार्टी इसके अंतर्गत उसके उन कर्तव्यों को पूरा करने में विफल रही हो जो अक्षम बनाने वाली प्रकृति और जटिल हो और इस करार के अंतर्गत प्रभावित पार्टी के दायित्वों पर वास्तविक प्रतिकूल प्रभाव पड़ा हो । ऐसी पार्टी इस करार के तहत इसके संबंधित दायित्वों को उस सीमा तक निलंबित या माफ करने का पात्र होंगी जिसको अप्रत्याशित करना इनका ऐसा निष्पादन अवरूद्ध हुआ हो ।

(क) अप्रत्याशित घटना (Force Maueure) की प्रक्रिया:

यदि सेवा प्रदाता आकस्मिक घटना के कारण राहत का दावा करता है तो ऐसी घटना से प्रभावित पार्टी जितना जल्दी से जल्दी व्यावहारिक हो किसी भी दशा में प्रत्याशित घटना की जानकारी का पता लगने के सात

दिनों के अंदर उसका नोटिस देगी और भारतीय खाद्य निगम अन्य पार्टी को लिखित में ऐसी आकस्मिक घटना के प्रभाव का विस्तार से युक्तिसंगत वर्णन करेगी जिसमें इस करार के तहत पार्टी के दायित्वों पर ऐसी आकस्मिक घटना के प्रभाव और इन प्रभावों के शुरू होने और समाप्ति की अनुमानित की तारीख भी शामिल होगी। स्थिति के समाप्त होने पर , इस सेक्शन के तहत अप्रत्याशित घटना का दावा करने वाली पार्टी घटना की समाप्ति के सात दिनों में भारतीय खाद्य निगम को लिखित में सूचित करेगा पार्टी जहां तक व्यावहारिक हो इस करार के तहत सभी दायित्वों के निष्पादन को जारी रखेगी परंतु अप्रत्याशित घटना की निरंतरता के दौरान सभी दायित्वों के निष्पादन से छूट देने पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

(ख). **दीर्घकालिक अप्रत्याशित घटना:**

निरंतर रूप से अप्रत्याशित घटना के द्वारा ऐसी अप्रत्याशित घटना के शुरू होने की तारीख से लगातार 60 दिनों से अधिक की अवधि के लिए पार्टी का कार्य निरंतर बाधित होता या रूकता है तो पार्टी के दायित्वों के निलंबन के होते हुए भी वे इस समझौते को समाप्त करने के लिए स्वतंत्र है।

42. यह अनुबंध भारत में लागू कानून के द्वारा शासित होगा। इस निविदा के संबंध में उत्पन्न सभी विवाद, सक्षम प्राधिकार क्षेत्र के विधि न्यायालय में निपटाए जाएंगे।

साक्षी के रूप में यह पट्टा विलेख(लीज डीड) पार्टी के विधिवत् प्राधिकृत प्रतिनिधियों द्वारा उपरोक्त लिखित दिन तथा तारीख को निष्पादित किया गया है।

(पट्टेदार का नाम तथा पदनाम)

साक्षीः

1.

2.

पट्टेदाता का नाम तथा पता

साक्षीः

2.

2.

परिशिष्ट-I

एसडब्लयूसी के गुणवत्ता नियत्रंण मैनुअल तथा एसडब्ल्यू सी द्वारा यथासंशोधित मैनुअल की मुख्य विशेषताएं जोकि परिरक्षण अनुबंध की निबंधन एंव शर्तों का भाग तथा हिस्सा होगी

1. भण्डारण से पूर्व उठाए जाने वाले कदम:

भण्डार की अव्यवस्थित हैंडलिंग से बचने के लिए तथा उसके उचित लेखांकन तथा परिरक्षण के लिए सुनियोजित ढंग से कार्य करने की आवश्यकता है। अत: गोदामों में नया भण्डार प्राप्त होने से पहले, वेयरहाउस मैनेजर/टी.ए./जे.ए. इसे प्राप्त करने के लिए पूरी तरह से तैयार होने चाहिए। इस संबंध में, वेयरहाउस मैनेजर/टीए/जे.ए. द्वारा निम्नलिखित बिन्दुओं पर ध्यान दिया जाए:-

(i) यह सुनिश्चित करने के लिए गोदामों की जांच की जाए कि गोदामों की छत तथा दीवारों में कोई लीकेज नहीं है तथा ड्रेनेज सही स्थिति में है।

(ii) गोदामों की साफ-सफाई की जाए तथा उन्हें रोगाणुमुक्त बनाया जाए।

(iii) भण्डारण क्षमता का अनुमान लगाया जाए।

(iv) स्टैक प्लॉन बनाया जाए।

(v) डनेज

2. गोदामों की जांच करना:

भण्डारण किए जाने वाले भण्डार की क्षति को रोकने के लिए वेयरहाउस मैनेजर/टी.ए./जे.ए. इस बात की जांच करेंगे कि मानसून के दौरान गोदाम की छत अथवा दीवारों से कोई लीकेज न हो तथा गोदाम के फर्श में कोई रिसाव नही हो। गोदाम पूर्ण रूप से सही स्थिति में होने चाहिए। सभी दरारें भरी हुई तथा सीमेंट से प्लास्टर की हुई होनी चाहिए। गोदामों की रिसाव वाली संभावित दीवारों तथा छत की जांच की जाए तथा उन्हें बंद किया जाए ताकि बरसात में पानी लीकेज से गोदामों में न घुस पाए तथा भण्डार क्षतिग्रस्त न हो। यदि वहां चूहों का कोई बिल हो तो, A1 फॉस्फाइड का इस्तेमाल किया जाए तथा मिट्टी (वेट मड प्लास्टरिंग) से

छिद्रों को बंद किया जाए। 24 घण्टे बाद क्ले (वेड मड प्लास्टिरंग) को हटा दिया जाए तथा खुले भाग को कांच के टूटे टुकड़ों के साथ सीमेंट मिलाकर बंद कर देना चाहिए।

3. गोदामों की साफ-सफाई तथा उन्हें रोगाणुमुक्त बनाना:

गोदामों में पूरी तरह से झाड़ू लगी हुई तथा साफ-सफाई होनी चाहिए। यदि किसी संक्रमण का अंदेशा हो तो इन्हें A1 फॉस्फाइड, मलाथियोन अथवा डीडीवीपी स्प्रे से रोगाणुमुक्त किया जाए।

4. स्टैक प्लान बनाना।

स्टैक प्लान बनाते समय निम्नलिखित तीन बिन्दु ध्यान में रखे जाएं:

i. स्टॉकों के भंडारण के लिए अधिक से अधिक जगह प्रयोग हेतु रखी जाए।
ii. हैंडलिंग ऑपरेशन, स्टॉकों के निरीक्षण और उनका आसानी और दक्षता के साथ कीटाणुमुक्त उपचार करने के लिए उचित गलियारे छोड़े जाएं।
iii. जहां तक संभव हो गोदामों में वायु संचारण एयरेशन) और)वेंटिलेशन के अधिकतम लाभ की व्यवस्था जहां की जाए और जहां तक संभव हो सभी स्टॉक का आधार क्षेत्र (एरिया बेस)एक समान हो।

5. स्टैक लाइंस:

फ्लोर एरिया को एकसमान आकार में विभाजित किया जाए और आयताकार स्टैक नीचे से ऊपर तक क्रमांकित हों। प्रस्तावित स्टैक की सीमा को चिह्नित करने के लिए स्टैक लाइंस 2 इंच चोड़ी सफेद या काले रंग से खींची जाएं। इन स्टैक आधारों को चिन्हित करते समय वेंटीलेशन और आपरेशनल्स उद्देश्यों के लिए स्टैक और दीवार या पिलर्स के बीच में 2 फुट से 2.5 फुट चोड़े गलियारों छोडे जाए। ढुलाई उद्देश्य के लिए मुख्य गलियारे की चौड़ाई 3 फुट हो सकती है।

6. स्टैक का आकार:

गोदामों में स्टैक का वास्तविक आकार सामान्य रूप से 30 फुट X 20 फुट के आकार से अधिक नहीं होना चाहिए।

7. डनेज:

स्टैक की नमी से होने वाले नुकसान से सुरक्षित रखने के लिए स्टैक के नीचे उचित डनेज का उपयोग बुनियादी आवश्यकता है और इस नियम का उल्लंघन नहीं किया जा सकता है।

8. डनेज के प्रकार:

i. लकड़ी की पेटी (वूडन क्रेट) एक आदर्श डनेज है क्योंकि यह स्टैक को फ्लोर से 5 इंच ऊपर रखती है और बैग के नीचे हवा की निरंतर परिसंचरण प्रदान करती है।

ii. 30 फीट x 20 फीट आकार के प्रत्येक स्टैक के नीचे डनेज के रूप में निर्धारित विनिर्देशन के अनुसार लकड़ी की 40 पेटियाँ का इस्तेमाल किया जाएगा।

9. स्टैक कार्ड:

उचित आकार के कवर के साथ पारदर्शी प्राकृतिक रंग वाले पॉलिथीन में निर्धारित स्टैक कार्ड प्रत्येक स्टैक पर प्रदर्शन (डिस्प्ले) के लिए तैयार होने चाहिएं।

10. स्वीपिंग का संग्रह:

भंडारण के दौरान और बाद में खुले अनाज / स्वीपिंग को एकत्रित करके उसे साफ करने के बाद और मानक बोरों में भरा जाएगा और प्रचलित प्रक्रिया के अनुसार उनकी गणना की जाएगी।

11. स्टैकवार रजिस्टर:

भंडारण के पूरा होने के बाद, निरीक्षण और कीटाणुमुक्त उपचार के लिए निर्धारित स्टैकवार रजिस्टर तैयार किया जाएगा।

12. भंडारण के दौरान अनाज की देखभाल:

क. स्वच्छता

गोदाम में एक सप्ताह में कम से कम दो बार नियमित रूप से सफाई की जाए और साफ-सुथरा और स्वास्थ्यकर स्थिति में रखा जाना चाहिए। दीवार की छत, गलियारे और बैग पर से सभी जाले नियमित रूप से हटाए जाने चाहिए और बैग पर ठीक से ब्रश और सफाई की जानी चाहिए। खुला अनाज नंगे फर्श पर पड़ा नहीं होना चाहिए।

ख. नमूना बैगों का प्रावधान

प्रत्येक गोदाम में नमूना बैगों की पर्याप्त संख्या उपलब्ध कराई जानी चाहिए। निरीक्षण के उद्देश्य के लिए चट्टों से लिए गए सभी नमूनों को भी इन नमूना बैगों में रखा जाना चाहिए।

ग. वायु-संचारण (एयरेशन)

वायु-संचारण के लिए गोदामों के दरवाजे, खिड़कियाँ और वेंटिलेटर साफ / शुष्क / खिली धूप वाले दिनों में खुले रखे जाने चाहिएं।

घ. छिड़काव

जैसे ही स्टैक पूरा हो जाए, इस पर निम्नलिखित मानदंडों के अनुसार छिड़काव किया जाए:

कीटनाशकों के नाम	कीटनाशकों की प्रकृति	खुराक की मात्रा (डोज़)	टिप्पणियां
मैलाथियोन ई सी 50 (1:100)	संपर्क ज़हर)कान्टैक्ट पॉइज़न(	कीड़ों को नियंत्रित करने और क्रॉस संक्रमण से बचने के लिए दीवारें/गलियारे बोरों की सतह पर तैयार सोल्यूशन 3 लीटर प्रति 100 वर्ग मीटर।	प्रत्येक पखवाड़ा
डीडीवीपी 1):150)	सेमी फूगीमेंट और संपर्क ज़हर)कान्टैक्ट पॉइज़न(	दीवारों /गलियारों/ खाली जगह पर,तैयार सोल्यूशन के 3 लीटर प्रति 100 वर्ग मीटर (1000 वर्ग फुट)	प्रत्येक दो सप्ताह में एक बार

ङ. सतह का निर्धारण:

स्टैक के सरफेस एरिये की गणना, फार्मूला 2h (L+B) + (L x B) को लागू करते हुए उसकी पांचों साइडों के लिए की जानी चाहिए। इसमें इंटर बैग स्पेस के लिए एलाउंस के रूप में 10% जोड़ा जाना चाहिए।

च. अलग जिंसों के लिए अलग भंडारण:

प्रत्येक जिंस का भंडारण अलग स्टैक में, अलग पहचान के साथ फसल वर्षवार किया जाना चाहिए।

छ. छिड़काव / धूमीकरण से पहले बौरों को ब्रश करना:

स्टॉकों को साफ या उनमें छिड़काव करने से पहले, बैगों पर इकट्ठा हुई धूल, जाले, कोकून, अंडे आदि जो बैग से चिपके हुए हो सकते हैं को हटाने के लिए ब्रश करना चाहिए। मृत कीट और धूमिक के अवशेषों को हटाने के लिए धूमीकरण के बाद भी बैग अच्छी तरह से ब्रश किए जाने चाहिए।

ज. पाक्षिक निरीक्षण:

गोदामों और स्टॉकों का दो सप्ताह में कम से कम एक बार अच्छी तरह से निरीक्षण किया जाना चाहिए। वर्षा के दौरान निरीक्षण अक्सर होते रहने चाहिए। निरीक्षण में निम्नलिखित प्रक्रिया शामिल है:-

गोदाम की दीवारों, छत और फर्श की जाँच, बैग भंडारण के मामले में बैगों की बाहरी, ऊपरी और नीचे की परत की जाँच करना। प्रत्येक चट्टे के प्रतिनिधि नमूने की जांच करना। थोक भंडारण के मामले में विभिन्न गहराई / साइडों का भंडारों की जांच।

पाक्षिक निरीक्षणों की टिप्पणियों की रिकॉर्डिंग वाला गोदामवार / स्टैकवार उचित रजिस्टर रखा जाना चाहिए।

झ. निरीक्षण के दौरान यह पता लगाया जाना चाहिए और सूचित किया जाए कि क्या:-

1) गोदाम की स्वच्छता और साफ-सफाई के उचित मानकों का रखखाव किया जा रहा है।
2) यहाँ पर कोई रिसाव / दरार है और गोदाम में किसी मरम्मत की आवश्यकता है।
3) गोदाम में रिसाव के कारण भंडारों को नुकसान होने की कोई संभावना है।
4) फर्श रिसाव (सीपेज) से मुक्त है या नहीं, यदि नहीं तो क्या भंडार की सीपेज से क्षतिग्रस्त होने की संभावना है।
5) भंडारण में कोई ऊष्मा है या नहीं।
6) ऊष्मा के कारण भंडारों को पलटने की आवश्यकता है।
7) थोक भंडारण के मामले में दीवारों के साथ केक फोरमेशन किया गया है।
8) निचली परत वाले बैगों और अन्य बैगों का अनाज सूखा है, यदि नहीं तो क्या अत्यधिक नमी के कारण भंडारण को क्षति पहुँचने की कोई संभावना है।
9) भंडार कीड़ाग्रस्तता से मुक्त हैं। यदि नहीं तो कीड़ाग्रस्तता का प्रकार और मात्रा कितनी है और क्या भंडारण का छिड़काव / धुमीकरण का उचित कारण है।
10) कीड़ाग्रस्तता के कारण भंडार को कोई क्षति हुई और, यदि हाँ, किस हद तक।
11) क्या सड़ने के कारण किसी स्टाक का तत्काल निपटान की जरूरत है।
12) ठीक समय पर घूमीकरण किया गया है।
13) भंडार की देय तिथि पर साफ-सफाई होती है।
14) क्या गोदामों में चूहों से कोई परेशानी है।
15) चूहों की वजह से भंडार को कोई नुकसान हुआ है।

निरीक्षण के दौरान नोट की गई टिप्पणियां स्टैकवार निरीक्षण रजिस्टर और स्टैक कार्ड में दर्ज की जानी चाहिए। निरीक्षण के परिणामस्वरूप उपरोक्त बिन्दुओं पर जो भी कार्रवाई करने की आवश्यकता हो तुरंत की जाए। इस संबंध में की गई कार्रवाई और की जाने वाली कार्रवाई की जरूरत के बारे में एक विस्तृत रिपोर्ट भारतीय खाद्य निगम को भेजी जाए।

ञ. धूमीकरण:

कीड़ा ग्रस्तता के मामले में, निम्नलिखित मानदंडों के अनुसार गैस प्रूफ कवर्स के तहत एल्यूमीनियम फास्फाइड से भंडारों में धूमीकरण किया जाना चाहिए:-

मात्रा- भंडार के प्रति मीट्रिक टन पर दवाई की 3 गोली या 9 ग्राम अनावरण अवधि: 5-7 दिन

मात्रा	टिप्पणियाँ
गैस प्रूफ कवर के तहत धूमीकरण 3 गोली या 9 ग्राम प्रति मीट्रिक टन भंडार पर दवाई की गोली।	तुरंत जब भी कीटों का प्रकोप देखा जाए तुरंत और मानसून की शुरुआत से पहले प्री मानसून-धूनी।

घूमीकरण के बाद, किसी भी रेंगने वाले कीड़ों हेतु चट्टों के ऊपर और सभी सतहों की जाँच की जानी चाहिए। यदि कोई भी रेंगने वाला कीड़ा पाया जाता है तो फिर इसे अच्छी तरह एवं प्रभावी ढंग से घूमीकरण करने का संकेत माना जाए। इसके कारणों का पता लगाया जाए और भविष्य में ऐसे ऑपरेशन को टाला जाए और भंडारण का फिर से घूमीकरण किया जाना चाहिए और घूमीकरण की अनावरण अवधि के बाद, बोरों और स्टैकों से राख और मृत कीट को दूर करने के लिए ठीक से ब्रश और सफाई की जानी चाहिए और स्टॉकों पर से किसी भी जीवित कीट की संभावना को खत्म करने के लिए डेल्टामेथरिन या डीडीवीपी (रेंगनेवाले कीड़ाग्रस्तता के मामले में) से छिड़काव किया जाए।

सेवा प्रदाता भी स्टॉकों के सकुशल रखरखाव के लिए निर्धारित कलेंडर वर्ष के दौरान कम से कम तीन महीने पहले सभी आवश्यक कीटनाशकों की खरीद करेगा। उन्हें संबंधित क्षेत्रीय प्रबंधक के साथ खरीदे गए कीटनाशकों के खरीद बिल को भी जमा करना होगा।

सेवा प्रदाता समय-समय पर उपयोग किए कीटनाशकों और खाली कंटेनर / ट्यूब का भी रेकॉर्ड रखेगा जिनका निपटारा मुख्यालय और क्षेत्रीय कार्यालय के अधिकृत प्रतिनिधि की उपस्थिति में पूर्व अनुमोदन के साथ किया जाएगा।

ट. वर्षा से प्रभावित स्टॉकों के लिए उपचार:

वर्षा से प्रभावित गेहूं / चावल के स्टॉकों की प्राप्ति के मामले में सेवा प्रदाता भंडारण के दौरान ऐसे स्टॉकों की हैल्थ को बनाए रखने के लिए चट्टे लगाने से पहले आवश्यक बचाव अभियान चलाएगा और भंडारों को वातित करेगा। और उसकी जिम्मेदारी इस शर्त के अधीन होगी कि इस अवधि को पारस्परिक सहमति से विस्तारित किया जा सकता है अन्यथा निगम अपने निपटान के लिए शेयरों को और अधिक संरक्षण के लिए ले जाएगा।

13. गोदाम से स्टॉकों की डिलीवेरी के समय की जाने वाली कार्रवाई:

जैसे ही परिचालन का आबंटन किया जाए, सेवा प्रदाता, भारतीय खाद्य निगम से आपूर्त किए जाने वाले स्टॉकों की प्राथमिकता और पहचान तय करेगा। तत्पश्चात, सेवा प्रदाता, भारतीय खाद्य निगम द्वारा दी गई प्राथमिकता के आधार पर स्टॉकों का वितरण सुनिश्चित करेगा। प्राथमिकता में विचलन (डेविएशन) के मामले में, भारतीय खाद्य निगम के प्राधिकृत प्रतिनिधि द्वारा उसके लिए स्पष्टीकरण देते हुए इसे अधिकृत किया जाएगा।

14. कार्य का संक्षिप्त विवरण

i. घुन लगने और जीवित कीड़ाग्रस्तता के कारण गुणवत्ता में कटौती के लिए एजेंसी / सेवा प्रदाता जिम्मेदार होंगे।

ii. सेवा प्रदाता इस उद्देश्य के लिए अपने कर्मचारी वर्ग की तैनाती द्वारा स्टॉकों के प्राप्ति / प्रेषण की सत्यता की पुष्टि करने के लिए अपने कर्मियों की तैनाती करेगा और सेवा प्रदाता का अधिकृत प्रतिनिधि प्राप्ति और प्रेषण की प्रविष्टियों और भंडारों के वजन की सटीकता का विधिवत सत्यापन करेगा, जिसके लिए वह भारतीय खाद्य निगम के अधिकृत प्रतिनिधि के साथ मिलकर स्टॉकों के भार की सत्यता के लिए तौल जांच मेमो रजिस्टर / तुलाई शीट और दैनिक लेनदेन रजिस्टर में अपने हस्ताक्षर करेगा। इसके अलावा स्टॉकों के संरक्षण और निगरानी के लिए कार्यकर्ताओं की तैनाती भी की जाएगी।

iii. सेवा प्रदाता की निगरानी के दौरान किसी भी वजह से माल में हुई किसी भी कमी या क्षति / हानि आदि के मामले में सेवा प्रदाता, निगम को इस तरह की कमी या क्षति / हानि के लिए माल के मूल्य सहित संबंधित क्षेत्र प्रबंधक, भारतीय खाद्य निगम द्वारा आरोपित दंड और जुर्माना अदा करने के लिए उत्तरदायी होगा। इसके अलावा, यदि ऐसी हानि या क्षति में सेवा प्रदाता की कोई मिलीभगत है तो संबंधित क्षेत्र प्रबंधक, भारतीय खाद्य निगम यथोचित जुर्माना लगा सकता है (उत्पादक संघ / कार्टेल)। किसी भी विवाद के मामले में, महाप्रबन्धक, भारतीय खाद्य निगम का निर्णय अंतिम और सेवा प्रदाता के लिए बाध्यकारी होगा।

iv. एजेंसी / सेवा प्रदाता इसी वर्ष के लिए निर्धारित समान विनिर्देशनों का कड़ाई से पालन करते हुए स्टॉकों की प्राप्ति / प्रेषण को सुनिश्चित करेगा। इस संबंध में सेवा प्रदाता द्वारा किसी भी चूक की ज़िम्मेदारी को भारतीय खाद्य निगम, मुख्यालय के परिपत्र सं. क्यू सी/5(22)/प्रोक. क्वालिटी कोम्प./2001 दिनांक 3/4.6.02 में निहित निर्देशों / प्रक्रिया के अनुसार नवीन संशोधन के साथ शासित किया जाएगा। ऊपर दिए गए निर्देशों के नवीनतम संशोधनों / सुधारों के साथ खुद को अपडेट रखने की ज़िम्मेदारी सेवा प्रदाता की होगी।

निवेशकों द्वारा गोदामों में स्टॉक की हेल्थ को समुचित रूप से बनाये रखने के लिए आवश्यक ढ़ांचागत सुविधाएं उपलब्ध कराना:

एक यूनिट के रूप में 10,000 एमटी क्षमता वाले गोदामों में सेवा प्रदाता द्वारा निम्नलिखित वस्तुएं उपलब्ध कराना आवश्यक है :

क्र.सं.	मद/वस्तु का नाम	विनिर्देशन	अपेक्षित अनुमानित मात्रा
1	लकड़ी की पेटी (वुडन क्रेटस)	संलग्न विनिर्देशनों के अनुसार 5" X 3" आकार की प्रत्येक क्रेट के लिए	10,000 एमटी क्षमता वाले प्रत्येक चट्टे के लिए 40 वुडन क्रेट अर्थात 2880 क्रेट्स।
2	बाँस की चटाई (बैम्बू मेट)	क्रेट पर एक परत (लेयर) के लिए	प्रत्येक 5" X 3" आकार के लिए 2880 चटाई
3	गोदरेज नवतल ताले	2 चाबियों सहित 7 लिवर	प्रत्येक शटर के लिए 2 ताले और अन्य भवन के लिए अपेक्षित मात्रा के अनुसार।
4	तराजू के पलड़े(वेइंग स्केल)	तौल और माप विभाग द्वारा अनुमोदित बटटों पैन्स, चेन और ट्राईपोड स्टैण्ड	2 सेट
5	फुट स्प्रेयर	-	2
6	नमी मापक मीटर	माडल सं. 6005 – एसएल	1
7	एलडीपीई पोलिथीन कवर	आकार 32" X 21" X 17" औसतन मोटाई 1000 गज वजन 52 कि.ग्रा.	24
8	सैंड स्नैक्स	7" की परिधि सहित लम्बाई 40"	1600
9	पोकर्स (ऑयरन अके)		4
10	एनामेल प्लेटस		4
11	छलनी(सीव) सेट		1
12	थर्मोमीटर		1
13	सीढ़ी		1

14	बाल्टी	20 लीटर क्षमता	2
15	मग	1 लीटर क्षमता	2
16	मापक ग्लास	100 एमएल क्षमता	2
17	एल्मुनियम फास्फाईड	3 ग्राम की प्रत्येक टैबलेट (धूमीकरण के लिए)	10,000 एमटी के लिए 90 कि.ग्रा. प्रति धूमीकरण (एक वर्ष में धूमीकरण के लिए न्यूनतम चार राउंड) अर्थात 360 किलो ग्राम प्रति वर्ष
18	डीडीवीपी (डाई मेथी / डाईक्लोरोविनी/फॉस्फेट)	15 दिनों में एक बार (छिड़काव)	4 लीटर प्रति माह
19	डेल्टामेथरीन	3 तीन माह अथवा धूमीकरण के बाद एक बार (छिड़काव हेतु)	प्रति माह .ग्रा.कि 5

परिशिष्ट-II

पट्टा अवधि के लिए लागू बैंक गारंटी का मॉडल फार्म

यह गारंटी विलेख ..... के ..... दिन (बैंक का नाम)..... के बीच जिसका पंजीकृत कार्यालय ..... में स्थित है तथा इसका स्थानीय कार्यालय ..... में है (आगे जिसका उल्लेख प्रतिभूत के रूप में किया गया है) तथा राज्य भंडारण निगम, पंजीकृत कार्यालय .....के तहत गठित और इसके कार्यालय ..... में पंजीकृत कार्यालय ..... में स्थित है (आगे जिसका उल्लेख राज्य भंडारण निगम के रूप में किया गया है) के बीच किया गया है ।

जबकि मैसर्स ..... (इसके बाद जिसका उल्लेख 'पट्टेदार' के रूप में किया गया है) ..... (यदि लागू हो) के तहत पंजीकृत एक कंपनी / फर्म तथा जिनका पंजीकृत कार्यालय ..... में है, वे पट्टा समझौते के निष्पादन के समय निविदाकार अनुबंध के तहत सभी दायित्वों का निर्वाह करने के लिए दिनांक ..... के टेंडर सं0 ..... के अनुसार टेंडर की स्वीकृति पत्र के अनुसार रु..... (रुपये..... .....केवल) @ रु. ..... प्रति मीट्रिक टन की राशि बैंक गारंटी के रूप में प्रतिभूति जमा करने के लिए सहमत हैं ।

अब यह दृष्टव्य है किः-

1. यह कि प्रतिभूति, निविदाकार द्वारा एस डब्ल्यूसी को प्रस्तुत उपरोक्त निविदा के लिए एस डब्ल्यूसी की ओर से उस गारंटी विलेख के प्रस्तुत करने पर एस डब्ल्यूसी से मांग प्राप्त होने की तिथि से एक सप्ताह के अंदर निविदाकार को नोटिस दिए बिना रु. ..... (रुपये .....) की उस राशि के गारंटी शुदा भुगतान का वचन देता है जिसे इस निविदा के संबंध में प्रतिभूति के बतौर एस डब्ल्यूसी को देने के लिए निविदाकार बाध्य है ।
2. पट्टादाता की किसी भी अशक्तता अथवा अनियमितता के कारण तथा एसडबल्यूसी/ पट्टादाता अथवा जमानती की संचरना में किसी प्रकार के विघटन अथवा परिवर्तन के कारण यह गारंटी प्रभावित नहीं होगी ।
3. ज़मानत से एसडब्ल्यूसी को किसी भी पैसे का भुगतान करना होगा ताकि कोई भी विवाद या एसडब्ल्यूसी, बैंक या किसी अन्य व्यक्ति (यों) के खिलाफ किसी भी मुकदमे में या किसी अदालत या न्यायालय के समक्ष लंबित कार्यवाही के द्वारा उठाए गए विवादों के बावजूद ज़मानत हो, इस गारंटी के तहत दायित्व पूर्ण और स्पष्ट है।
4. इस गारंटी के तहत ज़मानत के लिए किया गया प्रतिभू उस भुगतान के लिए अपनी देयता का एक वैध निर्वहन होगा और इस तरह के भुगतान के लिए सबोर के खिलाफ कोई दावा नहीं होगा।
5. अगर प्रतिभू से सहमत है और वचन देती है कि इसमें जो गारंटी शामिल है, वह पूरी तरह से लागू रहेगी और उक्त पट्टा अनुबंध की अवधि के दौरान कथित होगी और यह एसडब्ल्यूसी के सभी बकाया के तहत या उसके द्वारा जारी किए गए पट्टे के आधार पर जारी रहेगा और समझौता पूरी तरह से निभाया गया है और

इसके दावे को संतुष्ट या निर्वहन किया गया है या जब तक एसडब्ल्यूसी ने प्रमाणित किया है कि समझौते के नियमों और शर्तों को पूरी तरह से ठीक तरह से पालन किया गया है और उक्त पट्टादार द्वारा किया जाता है।

6. जमानती द्वारा निविदा की अवधि के दौरान यह गारंटी एसडबल्यूसी की लिखित पूर्वानुमति के बिना रद्द नहीं की जाएगी/नहीं की जा सकती है।

7. पूर्वोक्त पैरों में किसी भी बात के होने पर भी इस गारंटी के तहत जमानती की जिम्मेदारी रु. ..... (रुपये.....) मात्रा तक ही सीमित होगी।

8. यह गारंटी दिनांक ..... तक प्रभावी रहेगी तथा एसडबल्यूसी द्वारा जमानती को इस आशय की लिखित सूचना देने पर ही यह गारंटी समाप्त होगी तथा निष्प्रभावी होगी तथा ऐसी स्थिति में इस गारंटी को निष्पादित मान लिया जाएगा।

9. उक्त टेंडर की किसी शर्त को लागू करने में एसडबल्यूसी द्वारा बरती गई सहिष्णुता अथवा चूक अथवा निविदाकार के प्रति एसडबल्यूसी की ओर से दर्शाए गए किसी अनुग्रह की दशा में किसी भी रूप में जमानती के दायित्व का निष्पादन नहीं होगा। इस गारंटी के अंतर्गत प्रतिभू की देयता एसडबल्यूसी द्वारा प्रतिभू को इस आशय की सूचना लिखित में देने पर ही निष्पादित होगी।

10. उपरोक्त पैराओं में किसी भी बात के निहित होने के बावजूद, जब कि लिखित रूप में प्रतिभू पर दिनांक ..... को अथवा इससे पूर्व इस गारंटी के तहत कोई मांग अथवा दावा नहीं किया जाता है तब तक प्रतिभू इस गारंटी के तहत अपनी सभी देयताओं से मुक्त नहीं होगा।

11. प्रतिभू को इसके ज्ञापन तथा आर्टिकल्स ऑफ ऐसोसिएशन के अंतर्गत इस गारंटी को जारी करने की शक्ति प्राप्त है तथा वह व्यक्ति जो एतद्वारा इस विलेख का निष्पादन कर रहा है उसके पास बैंक द्वारा प्रदत्त प्राधिकार के तहत ऐसा करने का आवश्यक अधिकार है।

हस्ताक्षरित एवं सुपुर्द किए
उपरोक्त उल्लिखित बैंक के लिए तथा उसकी ओर से

विभाग के लिए तथा उनकी ओर से
(बैंकर का नाम तथा मुहर)

<u>नोट:-किसी भी विवाद की स्थिति मे एमटीएफ़ का अंग्रेज़ी अनुवाद ही मान्य होगा।</u>